खण्ड-369, अंक-6
गुरूवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1906
(21 मार्च, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–4
...ा शोध केन्द्र कूड़ाघाट गोरखपुर में ढुलाई सम्बन्धी अव्यवस्था के सम्बन्ध के नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	4
...ासनी, अलीगढ़ में पुलिस द्वारा मुसलमानों को अकारण पीटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	4
बस्ती के कतिपय विकास खण्डों में नलों से पानी न आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	4
तहसील हर्रैया बस्ती में अग्निकाण्ड से हुई क्षति एवं मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	4–5
अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में श्री ...म्मद इसमाईल किदवई की हत्या के सम्बन्ध में नियम में अन्तर्गत सूचना	5–6
कुड़ना, बस्ती में अग्नि काण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6
पीलीभीत में पुलिस द्वारा वकीलों को झूठे मुकदमों में फंसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6–7
बरनावा, मेरठ में संस्तुत नलकूपों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7
बाराबंकी के रारी नाले की सफाई न होने से जलभराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7
वाराणसी के ग्राम शाहजहांपुर में निर्माणाधीन नहर के अधूरे कार्य से किसानों में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
फैजाबाद के ग्राम बरौली और रोतावां में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें .. .	8
राज्य सम्पत्ति निदेशालय द्वारा भवनों के आवंटन की दोषपूर्ण नीति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8–9
बाराबंकी जनपद में सरकार द्वारा आलू क्रय केन्द्रों के न खोलने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	9
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं । ..	9–12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	12

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	12
वाराणसी स्थित साहुपूरी विद्युत केन्द्र में लगी आग से सम्बन्धित कारणों की जांच समिति (अष्टम विधान सभा) का विशेष प्रतिवेदन (1984-85)—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समीति (1984-85) का प्रथम प्रतिवेदन—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985—(पुरः स्थापित किया गया) ..	13-15
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	15-20
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(जारी) ..	20-78
वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान—(प्रस्तुत किये गये)	78-79
वितीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिये लेखानुदान—(जारी) ..	79
वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए दो माह से अधिक का लेखानुदान लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	79-82
वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान (सदन में प्रस्तुत किया गया)	82-83
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(स्वीकृत) ..	83
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1985—(संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	83-92
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधत) विधेयक, 1985—(संकल्प अस्वीकृत-विधेयक पारित)	92-106
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985—(संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)..	106-109
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव—(स्वीकृत) ..	109
प्रदेश में विद्युत् उत्पादन में गिरावट एवं उसकी आपूर्ति में कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	110-115
नत्थी ..	116-117

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 21 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष नियाज़ हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अमरनाथ सिंह श्री (फतेहपुर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
एहतिशाम वली खां, श्री (बहराइच)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
दुर्गा प्रसाद, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नेक चन्द्र पान्डेय, श्री (कानपुर)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद अकिल, श्री (मुरादाबाद) (उर्फ मुन्ना मियां)
मोहम्मद सफी उर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
लोकेन्द्र दत्त, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
सुरेन्द्र, श्री (गाजीपुर)
सैयद अली असरफी श्री (पीलीभीत)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिबार, दिनांक 21 मार्च, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जल निगम द्वारा बिछायी गई पाइप लाइनों का निर्धारित मानक

**1--श्री राजेन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या नगर बिकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम द्वारा जो पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं उनकी गहराई 1-1/2 मीटर से 2 मीटर तक होनी अनिवार्य है ? क्या शासन को यह भी ज्ञात है कि लखनऊ नगर की अधिकांश पाइप लाइनें 1/2 मीटर से 1 मीटर के बीच मे ही डली गई हैं जिससे प्रदूषण होता है जल आपूर्ति में रुकावट होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण करायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

जी नहीं ।

विभिन्न प्रकार की पाइप लाइनों पर न्यनतम तथा अधिकतम कवर मानकों के अनुसार 0·6 मीटर तथा 1·25 मीटर होता है ।

जी नहीं ।

लखनऊ नगर में पाइप लाइनों पर न्यूनतम तथा अधिकतम कवर मानकों के अनुसार सामान्यतः 0·6 मीटर तथा 1·25 मीटर है ।

लागू नहीं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त के उपस्थित न होने पर ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, इसमें रुचि है । माननीय, यह अव्यवस्था पूरे प्रदेश में व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष--

सम्बन्धित प्रश्नकर्ता को तो रुचि होनी चाहिये । उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिये ।

बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के वेतन भुगतान के आदेश

**2--श्री नत्थू लाल (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को नवम्बर व दिसम्बर, 1984 एवं जनवरी तथा फरवरी, 1985 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ।

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठ)--

बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को माह नवम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 तक के वेतन भुगतान के आदेश दिनांक 1 मार्च, 1985 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

(श्री नत्थू लाल के उपस्थित न होने पर ।)

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय, इसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता तो उपस्थित नहीं है ।

श्री बदन सिंह--

माननीय, मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों से सम्बन्धित एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष—

जब वह विषय आयेगा, तब आपको मौका मिलेगा ।

गन्ना शोध केन्द्र कूड़ाघाट, गोरखपुर में ढुलाई साधनों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज मुझे 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें से 15 सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है । आपसे अनुरोध है कि कृपा करके इस सदन के समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं को नियम 301 में लाया करें, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हों ताकि आप सबको अवसर मिल जाये । 26–26 सूचनायें आयेंगी, तो कैसे वक्त मिलेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

महोदय, कूड़ाघाट गोरखपुर गन्ना शोध केन्द्र गोरखपुर में आज भी वाणिज्य क्षेत्र का हजारों क्विंटल गन्ना आपूर्ति व्यवस्था के अभाव में खड़ा सूख रहा है जो अब तक गन्ना मिलों को पेराई हेतु पहुंच जाना चाहिए था । यह दुर्व्यवस्था गन्ना विभाग तथा शोध केन्द्र के कुप्रशासन को उजागर करती है क्योंकि उसके ढुलाई की व्यवस्था अब तक नहीं हो पायी और राजकीय कोष की क्षति हो रही है ।

इस सूखते गन्ने के कारण राजकोष को तो क्षति हुई है सरकार के कुप्रशासन और दुर्व्यवस्था का भी प्रतीक है जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को जनता में कम किया है ।

ऐसे लोकमहत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि शासन जनहित में गन्ना शोध केन्द्र कूड़ाघाट गोरखपुर में कामर्शियल क्षेत्र के खड़े गन्ने का शीघ्रातिशीघ्र पेराई अथवा बीज के प्रयोग हेतु निस्तारित करने का आदेश पारित करे ।

सासनी अलीगढ़ में पुलिस द्वारा मुसलमानों को अकारण पीटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बंगाली सिंह—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि सासनी कस्बा में दिनांक 5–3–85 को पुलिस की ज्यादतियों से वहां की जनता आज भी कराह रही है ।

श्रीमन्, दिनांक 5–3–85 को पुलिस ने घरों में घुस कर जनता को मारा पीटा, नमाज पढ़ते हुए मुसलमान भाइयों को मारा पीटा, घर में खाना बनाती हुई महिलाओं को मारा, दुकान में बैठे दुकानदारों को मारा–पीटा, बीमार आदमियों को चारपाई से उठा कर मारा पीटा मजदूरों को मजदूरी करते हुये मारा तथा इस तरह करीब 100 व्यक्तियों को मारा–पीटा तथा कुछ को जेल भेज दिया ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

बस्ती के कतिपय विकास खण्डों में नलों से पानी न आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के पेय जल संकट को दूर करने के लिए शासन द्वारा जल निगम से डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत विकास खंड इटावा, भनवापुर, खुनयांव व डुमरियागंज के अन्तर्गत जल निगम बोरिंग करके पेयजल लगा रहा है । अब तक जितनी बोरिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वी किया ।

लगी है उसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा पानी नहीं आता है । गांव के लोग पेय जल संकट से त्रस्त हैं । जल निगम के अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित मानक में बोरिंग न करके एक फर्जी तौर पर कागज में बोरिंग दिखा कर पैसा भुगतान करा ले रहे हैं । हरिजनों द्वारा शिकायत करने पर भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं । जिन पेय नलों में पानी आता था, वह भी अब सूख गये हैं क्योंकि उसको निर्धारित मात्रा में गहराई तक नहीं ले जाया गया । कुछ पेय नलों में मिट्टीयुक्त पानी आता है ।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सम्पूर्ण तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच करा कर पेय नलों को ठीक करने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कष्ट करें ।

तसील हर्रैया, बस्ती में अग्निकान्ड से हुयी क्षति एवं मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पान्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठा कर सरकार का ध्यान निम्नांकित गांवों में लगी आग से हुई क्षति के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । तहसील हर्रैया जिला बस्ती में ग्राम बघरौली में 35 घर सरसण्डा में 17 घर भगवानपुर में 15 घर महेवा कुंवर तथा बरदिया लोहार आदि गांवों में आग लगने से गांव का अधिकांश भाग भस्म हो गया । यही नहीं बघरौली तथा अन्य गांवों में आग लगने से गांव का अधिकांश भाग भस्म हो गया । यही नहीं बघरौली तथा अन्य गांवों में आग से जल कर लगभग 4 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गयी है । दर्जनों पशु जल कर खाक हो गये । भगवानपुर तथा बघरोली में डेढ़ दर्जन से अधिक जानवर जल कर भस्म हो चुके हैं । उक्त गांवों के लोगों की लाखों की क्षति एवं जन जीवन तहस नहस हो गया है । चन्द लोगों को मामूली सहायता दी गयी है । ढाई एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी । आग लगने से पीड़ित परिवारों में घोर असन्तोष फैला हुआ है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बघरौली, सरसन्डा, भगवानपुर, महेवा, कुंवर बरदिया लोहा आदि गांव में आग से हुई क्षति के लिए मृतक परिवार तथा अन्य क्षति पीड़ितों को बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा तत्काल सहायता दे कर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दिलाने की कृपा करें ।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में श्री मोहम्मद इस्माइल किदवई की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फजलुल बारी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल के निवास स्थान के सामने स्थित सा0 नि0 वि0 मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में 16-3-85 को दोपहर के समय जबकि वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक कर्मठ तथा ईमानदार कर्मचारी स्व0 मो0 इस्माईल किदवई लिपिक की निर्मम हत्या कर दी गई और श्री किदवई को तीसरी मंजिल पर मारने के बाद हत्यारों ने नीचे फेंक दिया । श्री किदवई के खून के धब्बे तीसरी मंजिल के बरामदे के दीवारों पर थे, एवं नीचे फर्श पर दीवार से बिलकुल मिली हुई मृतक किदवई की लाश खून की चादर में लपटी हुई पड़ी थी । इसी कार्यालय में 22 साल से कार्यरत श्री किदवई को अनजान व्यक्ति के रूप में

सा0 नि0 वि0 कार्यालय से सिविल हस्पताल ले जाया गया यह केवल इसलिए किया गया कि इस हत्या को खुदकशी दिखाया जाय । जबकि इसके बहुत से प्रमाण मौजूद हैं कि मृतक किदवई अकसर अपने कार्यालय के कुछ अन्य लिपिकों की धमकियों का तसकरा किया करते थे और अपनी पत्नी से कहते थे कि जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ना पड़ेगा । मान्यवर, श्रीमती सूफिया किदवई ने दिनांक 16-3-85 को शाम के समय जब देखा कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष हजरतगंज को दिया जिसकी फोटो स्टेट कापी† प्रस्तुत है। पुलित इस बढ़ती हुई अराजकता, राज्यपाल के निवास के सामने हुई हत्या पर पर्दा डालना चाहती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामला जो एक निर्बल वर्ग के असहाय व्यक्ति का है । और अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, शासन को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश देने का कष्ट करें ।

कुडना, बस्ती में अग्निकान्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश चन्द्र--

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करना चाहता हूं । बस्ती जिले के खेसरहा विकास खन्ड के कुडना ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड हो जाने के कारण ग्रामवासियों के घर तथा सामान आग को भेंट चढ़ गये हैं । यह ग्राम प्रति वर्ष की बाढ़ और जल भराव से बर्बाद होता आ रहा है। उनकी बढ़ती हुई विभिन्नता में इस अग्निकान्ड ने कटे पर नमक डालने का काम किया है । बांसी तहसील में इस प्रकार के अग्निकान्ड प्रतिवर्ष होते आ रहे हैं । परन्तु खेद है कि अग्निकान्ड से बचाव का निकट में कोई प्रबन्ध नहीं है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस आकस्मिक आपदा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री को अपने कोष से इस अग्निकान्ड के कारण बर्बाद हुए लोगों के प्रति परिवार कम से कम पांच हजार रुपये सहायता देने की कृपा करें और तहसील मुख्यालय बांसी के लिए एक अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था की जाय ।

पीलीभीत में पुलिस द्वारा वकीलों को झूठे मुकदमों में फंसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद पीलीभीत में दिनांक 20-2-85 से वकीलों की पूर्ण हड़ताल जारी है । और उनके द्वारा फौजदारी, दीवानी, माल व चकबन्दी सभी प्रकार की अदालतों का पूर्ण बहिष्कार करने से एक माह से न्यायालयों में सारा काम काज ठप पड़ा है । यह हड़ताल आस पास फैल रही है और पूरनपुर बीसलपुर के वकीलों ने भी पीलीभीत के वकीलों के समर्थन में हड़ताल कर दी है और यहां भी काम काज ठप पड़ गया है । जानकारी के अनुसार वकीलों की इस हड़ताल का प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विस्तार हो रहा है । जिससे पूरे प्रदेश की न्याय व्यवस्था के सामने एक संकट उत्पन्न होने की प्रबल आशंका है । हड़ताली अधिवक्तगण न्यायपालिका में पीलीभीत में व्याप्त भ्रष्टाचार जिला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित वकीलों को झूठे मुकदमों में फंसाने और उनको गिरफ्तार कर हथकड़ी लगा कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने तथा न्याय पालिका के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने

†छापी नहीं गयी ।

आदि की घटनाओं से आन्दोलित हैं। इस हड़ताल से न केवल पीलीभीत जनपद अपितु आस पास में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और यदि समय रहते स्थिति पर नियन्त्रण न पाया गया यह हड़ताल प्रदेश व्यापी रूप धारण कर लेगी।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री से मांग करता हूं कि तुरन्त इस विषय पर प्रभावी कार्यवाही कर दोषी जनों को दन्डित कराने, अधिवक्तागण को आंतक से मुक्ति दिलाने एवं न्यायपालिका की गरिमा पुनः स्थापित करने का कष्ट करें।

बरनावां, मेरठ में संस्तुत नल-कूपों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मैं 402 विधान सभा क्षेत्र बरनावा से निर्वाचित हुआ हूं। इस क्षेत्र में कृष्णा नदी व हिन्डन नदी के बीच चौगावां शाला है वहां पर भूजल स्तर 80 फुट से भी नीचे चला गया है। सिंचाई के लिए पानी की समस्या व पेयजल तक उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है। जनता शासन में इस क्षेत्र के लिए नहर निकालने की योजना मंजूर की गयी थी, जिसकी चकबन्दी द्वारा जमीन भी छोड़ दी गयी है परन्तु आज तक नहर का कार्य आरम्भ नहीं हुआ। अगर नहर का कार्य जल्दी शुरू न हुआ तो वहां की जनता में त्राहि-त्राहि मच जायेगी। और पेयजल भी उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। चौगांव क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था तुरन्त कराने की कृपा करें और नहर का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू कराया जाय ताकि भू-जल स्तर ठीक सतह पर पहुंच सके। ताकि वहां की जनता यह महसूस कर सके कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में ही निवास कर रहे हैं।

बरनावां क्षेत्र में ग्राम गांगनौली है। ग्राम के पश्चिम से कृष्णा नदी बहती है बरसात में नदी के पानी से इतना कटाव हो गया है और बरसात से पहले कटाव रोकने की कोई व्यवस्था न की गयी तो गांव के कुछ परिवारों को वहां से हटना पड़ेगा। इसलिए मेरी शासन से मांग है कि इसकी व्यवस्था बरसात से पहले की जाय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस कार्य को जल्द से जल्द कराने की कृपा करें।

बाराबंकी के रारी नाले की सफाई न होने से जलभराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बेनी प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज व हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम खसोरवा, अब्दुल्लापुर, मचौली, वैश्यपुर आदि 50 गांव रारी नाले की सफाई न होने के कारण दो वर्षों से भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं। रारी नाले का पानी साल के 12 महीने खेतों में होकर या तो बहता या भरा रहता है। जिसके फलस्वरूप 50 गांव की भूमि में खेती नहीं हो पा रही है। इन गांवों के लोग या तो मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं या गांव छोड़ कर भाग रहे हैं।

मैं सरकार तथा माननीय सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि रारी नाले की सफाई तुरन्त करवाई जाय ताकि 50 गांवों के नागरिकों को राहत मिल सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाराणसी के ग्राम शाहजहांपुर में निर्माण नहर के अधूरे कार्य से किसानों में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वाराणसी जनपद के अन्तर्गत ग्राम शाहशाहपुर तथा समीपवर्ती गांवों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। अदलपुरा लिफ्ट कैनाल योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का कार्य शुरू हुआ किन्तु लगभग दो किलो मीटर खुदाई ग्राम कुसहां तक होकर निर्माण कार्य अरसे से अधूरा पड़ा है जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है।

उक्त नहर मिर्जापुर जिले से कछवां तक जा कर शारदा सहायक नहर में मिल जायगी। इससे सैकड़ों गांव के किसान लाभान्वित होंगे।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर मान्यवर का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि नहर निर्माण के अधूरे कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया जाय।

फैजाबाद के ग्राम बरौली और रोजावां में हुए अग्निकान्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फैजाबाद स्थित तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम बरौली धूरेतोर में दिनांक 9-3-85 को आग लग जाने से 67 घर जल कर राख हो गये जिसमें एक महिला की मृत्यु और 30 व्यक्ति तथा दर्जनों जानवर घायल हुए हैं। दिनांक 10-3-85 को ग्राम रोजावां थाना खन्डासा में आग लगने से 35 घर जल कर भस्म हुए हैं और उसी क्षेत्र में स्थित ग्राम बिरौली ग्राम में 13 और परसपुर सथरा में 8 घर जल कर राख हुए हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों में भीषण अग्निकांड से 123 घर जल कर राख हुए। एक महिला की मृत्यु और 30 व्यक्ति घायल हुए हैं तथा 4 जानवरों की भी मृत्यु हुई है और लाखों की सम्पत्ति जल कर नष्ट हो गयी है।

इस भीषण अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के लोग अन्न, वस्त्र तथा दवाओं के लिए मोहताज हैं तथा आवास के अभाव में तड़प रहे हैं। अभी तक कोई अपेक्षित सहायता उपलब्ध नहीं हो पायी है।

श्रीमन्, आपके माध्यम से इस दर्दनाक घटना को शासन तथा सदन के संज्ञान में ला कर माननीय मुख्य मन्त्री से यह मांग करता हूं कि तत्काल अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर अग्नि पीड़ित परिवारों को अन्न, बस्त्र और आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करें और जिला प्रशासन को अविलम्ब निर्देश दिया जाय कि वे राहत कार्य में अधिकतम आर्थिक सहायता प्रदान करें।

राज्य सम्पत्ति निदेशालय द्वारा भवनों के आवंटन की दोषपूर्ण नीति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का विशेष रूप से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान राज्य कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बनायी गयी आवास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवंटन समिति के नियमों, जिसके अन्तर्गत सरकारी आवास हेतु 10 वर्षों की लगातार सेवा की अनिवार्यता रखी गयी है, वहीं पर 10 या इससे अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित नीति नहीं बनायी गयी है, जो निश्चित ही अन्यायपूर्ण है । इसके अतिरिक्त यह प्रश्न और भी आपत्तिजनक बन गया है कि नयी कालोनियों के आवंटन में राज्य सम्पत्ति विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों को प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया है जिन्हें पहले ही सरकारी आवास आवंटित हो चुका है और वे बार-बार सुविधाजनक कालोनियों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं । इससे यह होगा कि ऐसे नये कर्मचारियों को जिन्होंने निर्धारित सेवावधि या उससे अधिक पुराने हैं, आवास से हमेशा वंचित रहेंगे ।

मैं चाहता हूं कि शासन इस दोष पूर्ण नीति को तुरन्त समाप्त करते हुए ऐसी नीति बनाये जिससे निर्धारित सेवावधि पार करने वाले कर्मचारियों को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार नयी कालोनियों में मकानों का आवंटन करें । उसके बाद यदि आवास शेष रहते हैं तभी स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों पर विचार करें ।

बाराबंकी जनपद में सरकार द्वारा आलू क्रय केन्द्रों के न खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निम्न अति गम्भीर प्रश्न को सदन और शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

बाराबंकी जनपद, आलू के उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के अगे बढ़े हुए जिलों में है । इस वर्ष आलू की भरपूर पैदावार बाराबंकी जनपद में हुई परन्तु खेद है कि किसानों के आलू की बाजार में कोई पूछ नहीं है । सरकार द्वारा जनपद में अभी तक एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है । विवश होकर किसानों को लागत से भी नीचे अपना आलू बेचना पड़ रहा है । शीतगृहों में भी किसानों को आलू रखने की सुविधा नहीं मिल पा रही है । शीतगृह मालिक मनमाना किराया मांग रहे हैं । बाराबंकी का आलू उत्पादक किसान तबाही के गर्त में जा रहा है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बाराबंकी जनपद में तत्काल शीतगृहों में निर्धारित रेट पर आलू रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर तथा तत्काल क्रय केन्द्र खोलने के आदेश दें ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप नियम 300 की सूचनाओं के विषय में बोल रहे हैं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी हां मान्यवर, नियम 300 में ही व्यवस्था का प्रश्न है । दिनांक 16 तारीख को यहां पर शासन की तरफ से 17 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाने थे, हम लोगों में वितरित भी किये गये हैं । 18 तारीख को 17 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गये हैं, 6 विधेयक के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, 3 प्रस्तुत किये जा चुके हैं, पारित भी हो चुके हैं, 3 आज रखे गये हैं । इस प्रकार से 11 अध्यादेश रह गये हैं । वैसे भी अध्यादेश जारी करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का अच्छा काम नहीं माना जायगा । इससे बड़ी अक्षमता किसी सरकार की और क्या हो सकती है कि अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित न करवा पाये ?

हमारी मांग थी नेता, विरोधी दल की तरफ से और सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से मांग थी कि इन विधेयकों को वापस ले लिया जाय । इनको वापस नहीं ले पाये हैं और पारित भी नहीं करा पा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अक्षमता नहीं हो सकती है कि एक तरफ अध्यादेश जारी करें और दूसरे, विधान सभा के चलते अध्यादेशों को पारित न करवा पायें । मैं चाहता हूं कि माननीय नेता सदन, आश्वासन दें कि अपनी कलम से लोकतंत्र के पन्नों को काला नहीं करेंगे सत्रावसान के बाद फिर से अध्यादेश जारी करके । जो अध्यादेश विधेयक के के रूप में पारित नहीं करा पायेंगे, उनको फिर से अध्यादेश के रूप में जारी नहीं करेंगे । 21 मार्च के बाद बहुत से ऐसे अध्यादेश हैं, जिनका कार्य-काल समाप्त हो जायगा । मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से व्यवस्था हो और आप निदेश दें सरकार को कि अध्यादेश जारी करने की प्रथा समाप्त की जाय ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, आप बैठें, व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है ।

सदन के पास अगर समय हो तो व्यवस्था मुनासिब है, लेकिन जब समय ही नहीं है . .

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो मामला उठाया है, बहुत गम्भीर है । अध्यादेशों के जारी करते समय जो भावना होती है, वह यह होती है कि 6 सप्ताह के अन्दर पारित करा देंगे । उस समय भी यह बात कही गयी थी कि सरकार अध्यादेश केवल सदन के पटल पर रख रही है, पारित कराने की मंशा नहीं है । हमारी आपत्ति "मंशा" पर है । सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह अध्यादेशों को पारित कराये बल्कि अध्यादेशों के दम पर ही वह प्रदेश का शासन चलाना चाहती है और हमारे प्रयासों को कंकुलेटेड रूप में काटने पर लगी हुई है । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि निश्चित रूप से शासन को इंगित करें कि पुनः वे अध्यादेश नहीं आने चाहिए । आप हमारे संरक्षक हैं और इस आदरणीय सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं । यह सरकार अध्यादेशों के बल पर नहीं चलेगी । यह सरकार जनतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर चलेगी या अध्यादेशों के आधार पर ? मेरा निवेदन है कि आप इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

माननीय, सदस्य, वाराणसी कैंट ने, जो विधान सभा में अबकी पुनः निर्वाचित हुए हैं, वह शतरुद्र हैं, अवरुद्ध नहीं हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मेरा नाम शतरुद्र है यानी "रुद्र" में शब्द "द" है, "द्ध" नहीं ।

श्री नारायन दत्त--

मेरे कहने का मतलब यह है कि वह अवरोध करने वाले नहीं हैं । माननीय, इनकी जो धारणा है वह सत्य और सन्दर्भ से परे है । शासन का कोई ऐसा विचार नहीं है कि अध्यादेश अनिवार्य रूप से लाये जायं क्योंकि अध्यादेश लाने का कोई रिवाज नहीं है । रिवाज के अनुसार यह नहीं लाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है और न शासन की ऐसी कोई मंशा है। इसके लिए यह है कि अध्यादेश तभी लाये जायेंगे जब संवैधानिक दृष्टिकोण से जनहित में अध्यादेश लाने के अलावा कोई दूसरा उपाय न हो।

जहां तक इन अध्यादेशों के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं नेता विरोधी दल तथा अन्य विपक्ष के नेताओं का आभारी हूं, नेताओं की बैठक में हम लोगों ने आपस में विचार-विमर्श किया है, शायद माननीय सदस्य को उसकी जानकारी नहीं है और हो भी नहीं सकती है कि जो नेता लोग आपस में बैठ कर तय करते हैं। मैं नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि जब मैंने उनसे कहा कि एक तरफ तो माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि सदन शीघ्रातिशीघ्र उठे। बहुत से सदस्य चुनाव के बाद से ही यहां थे, अपने क्षेत्र में वह लोगों को धन्यवाद देने जाना चाहते हैं, कोई होली मिलन के लिए भी नहीं जा सके थे तो इस तरह से अनेकानेक सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि सदन जल्दी उठ जाय तो अच्छा है। इसलिए जब मैंने नेता विरोधी दल से आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां तक होगा हम इसको करेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गयी है। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक फिर होने जा रही है कि जिन-जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में परिवर्तित करना है, उसके प्रस्ताव आ रहे हैं। कोई विषय पर अध्यादेश नहीं आयेगा, यह शासन नहीं कर सकता है। जिन विषयों को आपने परिवर्तित करने के आदेश दे दिये हैं तो अब इस सन्दर्भ में इस पर प्रश्न नहीं उठता है। मैं स्वतः इसमें सतर्क और जागरूक हूं।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें श्री शतरुद्र प्रकाश की भी सूचना शामिल है, जिसके बारे में आप अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा कर बोल चुके हैं। माननीय बेनी प्रसाद की एक सूचना है कि जो माननीय सदस्य बन्द हैं उन्होंने उनके बारे में इसमें चर्चा की है नियम 301 में यह मसला उठ चुका है, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद--

मान्यवर, कई सदस्य मीसा में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, अभी मैं बोल रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद--

माननीय सदस्य मीसा में बन्द हैं, यह सदन की कार्यवाही में सरकार की ओर से अवरोध है। मान्यवर, इतनी आसानी से आप इसको न टालिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं अभी बोल रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद--

हमारे अधिकारों की रक्षा आप ही करेंगे। सदन के बाहर उसे कोई सुनेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे नियमों में आप ला सकते हैं।

श्री बेनी प्रसाद--

यह बहुत गलत परम्परा है। सरकार मामले को टालती जा रही है। जो माननीय सदस्य बन्द हैं, उनके सुझावों से सदन को वंचित रखा जा रहा है। यह सरकार की ज्यादती की वजह से है। सरकार ने उनको बन्द कर रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठ जायं। नियम 301 में यह विषय उठ चुके हैं।

(व्यवधान)

में जब खड़ा हूं तो आप कृपा करके बैठ जायं, यह कोई तरीका नहीं है। यह जो सूचनायें माननीय लक्ष्मी नारायण, सत्यपाल, बेनी प्रसाद, सरदार सिंह, किरन पाल सिंह, कमाल यूसुफ मलिक, शतरुद्र प्रकाश जी की है मैं कह चुका हूं तो यह जितने भी मसले आये हैं, उन सबको अस्वीकार किया है।

(श्री कमाल यूसुफ मलिक के खड़े होने पर)

माननीय कमाल यूसुफ साहब आप कृपया मेरे कक्ष में आ जायं...

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, जरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर मैं आपको सूनूंगा तो सबको सुनूंगा।

(व्यवधान)

आप मेरे कमरे में आ जायं।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। आपकी पीठ से एक हुक्म जारी हुआ इस बेगैरत सरकार ने उसे नहीं माना।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सुनूंगा तो सबकी सुनूंगा। आपने इस मसले को उठाया था, अब सरकार बदल गयी है। आपको जो शिकायत हो, आप कृपा करके मेरे कमरे में आ जायं और आपकी शिकायत को रफा कर दूंगा।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई कार्यवाही भी नहीं की। जानबूझ कर यह हमें तंग करना चाहते हैं। यह माता प्रसाद जी वाला मसला जो है यह विशेषाधिकार समिति में भी आया था। उस दरोगा को वहां से हमारे यहां भेज दिया गया है। 6 महीने हो गये आपके हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। यह मामला पिछले साल 18 सितम्बर को एसेम्बली में उठा था। मैं चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देखूंगा और कोशिश करूंगा, जो आपकी शिकायत है वह दूर हो। तो जैसा मैंने कहा यह जो 9 सूचनायें आई थीं सब को अस्वीकार किया है क्योंकि इसको कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

वाराणसी स्थित साहूपुरी विद्युत् केन्द्र में लगी आग से सम्बन्धित कारणों की जांच समिति (अष्टम विधान सभा) का विशेष प्रतिवेदन (1984-85)†

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी स्थित साहूपुरी विद्युत् केन्द्र में लगी आग से सम्बन्धित कारणों की जांच समिति (अष्टम विधान सभा) का विशेष प्रतिवेदन (1984-85) जो प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 68(1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1984-85) का प्रथम प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1984-85) के प्रथम प्रतिवेदन को, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित हैं, और जो प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 68(1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

*श्री गौरी शंकर भइया--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 को हाऊस में टेबिल न करने के सम्बन्ध में दो आपत्ति करना चाहता हूं एक आपत्ति तो यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 की धारा 31-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त, किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसे विहित की जायं, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो इसमें दूसरी लाईन में लिखा हुआ है कि "किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में" तो इसकी जगह यह होना चाहिए कि "विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में" यह होना चाहिए । होत यह है कि जो सुविधायें जैसे आवास या अन्य सुविधायें विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को जो मिलती है वह डिग्री कालेजों के अध्यापकों को नहीं मिलती तो यह अध्यापकों के बीच भेदभाव है । इसलिये इस विधेयक की बातें विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों पर भी लागू होनी चाहिए । पिछला अनुभव है कि यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध कालेज जुड़ नहीं पाते हैं तो लाभ डिग्री कालेज के अध्यापक नहीं उठा पाते हैं । जिससे उनमें रोष होता है । जो मांगें उचित होती हैं वह विश्वविद्यालय के अध्यापक पाते हैं किन्तु डिग्री कालेजों के अध्यापक उनसे वंचित हो जाते हैं जिससे उनको आंदोलन करना पड़ता है । अतः मेरी मांग है कि धारा 31-क (1) की दूसरी पंक्ति में "विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध डिग्री कालेज के अध्यापक" कर दिया जाय ।

मान्यवर, दूसरी आपत्ति है कि विधेयक की धारा 31-क-(2) को देखें ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, व्यवस्था का एक प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री जी ने उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1985 को सदन में पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा मांगी है, केवल इतना प्रश्न है कि अनुज्ञा सदन दे या न दे । अब माननीय सदस्य जो विचार प्रकट कर रहे हैं वह गुण और अवगुण पर जा रहे हैं, इसलिये व्यवस्था आप दें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इस विधेयक को टेबिल करने की इजाजत आपके द्वारा नहीं मिलनी चाहिए । यह बिल अपने आप में अपूर्ण और भ्रामक है । इसको आप वापस करा दें और ठीक होने के बाद यहां रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष -

जब यह विधेयक आएगा तब आपके जो एतराजात हैं, उन्हें कह सकते हैं, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री गौरीशंकर भइया--

उसमें केवल विश्वविद्यालय और सम्बद्ध विद्यालय करने की बात है ।

श्री अध्यक्ष--

जब विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव आएगा तब कृपा करके उस समय आप बोलियेगा ।

श्री गौरीशंकर भइया--

सिर्फ तीन शब्द जोड़ने की इसमें बात है । यह चाहते भी यही हैं, डिग्री कालेज के अध्यापक को जोड़ दिया जाए । तो आपसे अनुरोध है कि जब तक यह न जोड़ दिया जाए, आप इसको पुट-अप न होने दें ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कृपा करके आप नियम 172 को देखें, इसमें है विधेयक को वापसी का प्रस्ताव या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य, तो जिस तरह से वापस लेने के विषय में है, वैसे ही किसी विधेयक के रखने के सम्बन्ध में भी यह उचित होगा कि यदि कोई सदस्य उसका विरोध करता है तो उसकी

व्याख्यात्मक टिप्पणी को आप सुनें और उसके बाद आप सदन को विधेयक रखने की अनुज्ञा लेने का प्रस्ताव रखें । तो विशारद जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह गलत है । पुरःस्थापित करने के लिए भी वही नियम लागू होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनकी बात सुन ली और उनको यह निर्देश दिये हैं कि जब विधेयक आएगा तब जो कहना चाहें कहेंगे ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सिब्ते रजी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 116 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत मेरे पास 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जो माननीय सरदार सिंह जी की, माननीय विजय सिंह राणा जी की, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी की, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी की, माननीय मित्रसेन जी की, माननीय हरिश्चन्द्र जी की, माननीय रेवती रमण सिंह जी की, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की, माननीय सत्यपाल सिंह जी की, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की, माननीय हर्षवर्द्धन जी की, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की और माननीय गौरी शंकर भइया जी की हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक-एक मिनट आप इस पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप केवल दो मिनट में अपनी-अपनी बात कहें, सरदार सिंह जी ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जहां हमारी सरकार बहुत प्रगतिशील होने के दावा करती है अा. प्रदेश को आगे ले जाने का वायदा करती है, वहीं दूसरी ओर जब हमने अखबारों म पढ़ा कि हमारे प्रदेश को भारी ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा है और हमारे प्रदेश के ऊपर सर्वाधिक 3 अरब 31 करोड़ 24 लाख से ऊपर का ओवर ड्राफ्ट है तो हमारा सर शर्म से झुक गया है और इस सरकार को इस पर लज्जा आनी चाहिए । हमारे प्रदेश की इतनी साख गिर गई है कि हम पूरे देश के सामने और दूसरे प्रदेशों के सामने सीना तानकर कुछ नहीं कह सकते हैं कि यह वह प्रदेश है जिस प्रदेश ने देश को कई प्रधान मंत्री दिए हैं, जहां के हमारे वर्तमान केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं । यह हमारे लिए बड़ शर्म की बात है कि हमारे बैंक, हमारे ट्रजरी, जितने भी कोषागार हैं, सबने हमारे बिलों एवं चेकों का भुगतान करना बन्द कर दिया है और सरकारी भुगतान न होने के कारण योजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों न काम करना बन्द कर दिया है । हमें इसमें सन्देह है कि वर्तमान हालात के चलते यह सरकार आगे चल पाएगी । इस सरकार ने आज हमारे प्रदेश को दिवालियापन की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है । इन्होंने जो एयशी की है, बड़े-बड़े बंगले बनवाये हैं उसमें ही इन्होंने सारा पैसा लगा दिया है और विशिष्ट क्षेत्र रायबरेली अमेठी और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र काशीपुर में पूरे का पूरा पैसा लगा दिया गया है, जिसके चलते यह शर्मनाक स्थिति पैदा हो गयी है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्या अयथाशी शब्द पार्लियामेंटरी है। अगर है तो मुझे आपत्ति नहीं लेकिन अगर नहीं है तो इसको कार्यवाही से निकाल दें।

(शोर)

माननीय, आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। आप अपनी पीठ से जो आदेश देंगे वह शिरोधार्य होगा।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

इस विधान सभा का कार्य पुस्तकालय की भाषा से चलेगा या जनता की समझो आने वाली भाषा से चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय, आपने व्यवस्था नहीं दी। यदि यह शब्द आपत्तिजनक है तो वह इसको वापस ले।

श्री अध्यक्ष —

मैं इनको देख लूंगा। अगर अन-पार्लियामेन्टरी है तो निकाल दिया जायगा।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय, अपनी जानकारी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है। इसको या तो वापस लें या तो लिखत-पढ़त से इसको निकाल दें।

श्री अध्यक्ष —

मैंने कहा है कि मैं इसको देख लूंगा अगर अन-पार्लियामेंटरी है तो निकाल दूंगा।

श्री सरदार सिंह—

इस सरकार ने फिजूलखर्ची की है। जिससे प्रदेश के राजस्व की हानि होती

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके ज्यादा समय न लेते हुये अपनी बात कहें। आपकी बात मैं सुन रहा हूं।

श्री सरदार सिंह—

हमारे प्रदेश के, इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों पक्षों के विधायक भारी चिंता में हैं कि उनके क्षेत्रों में अब कोई काम नहीं हो पायेंगे और जनता ने जिस भावना से उनको चुना था अब यह उसको जवाब नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवा दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, इस सदन में आबकारी मंत्री जी ने बड़ी जल्दी-जल्दी में विधेयक पास करवाया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह प्रथा जो आज से नहीं कई वर्षों से चली आ रही थी और खुले आम नीलामी होती थी उन व्यवस्था को बदलने के लिये, वह भी इतनी जल्दी इस सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी। जहां पर 14-15 मार्च को नीलामी होने वाली थी, नीलामी की तारीख निश्चित हो गयी थी, उस मुकर्रर तारीख को बदल कर 25 तारीख कर दिया गया है। एक विधेयक लाये और विधेयक में यह प्राविधान है जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया कि अब नीलामी खुले आम नहीं होगी टेंडर लिये जायेंगे।

एक सदस्य—

दोनों तरह से होगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

अब दोहरी नीति अपनायी गयी है। टेंडर भी लिये जायेंगे और नीलामी भी होगी। जहां-जहां टेंडर लिये जा रहे हैं, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग में वहां पर माफिया गैंग के लोग बंदूक, राइफल की नोक पर टेंडर दूसरे लोगों को भरने नहीं देते हैं

है । कई लोग टेंडर देने जाने ही नहीं पाते है । कई लोगों की हत्या भी इसमें हो चुकी हैं । देवरिया, इलाहाबाद, बनारस में मान्यवर, कई हत्यायें हो चुकी हैं । जो प्रणाली चली आ रही है जिसमें खुले आम बोली बोल कर प्रदेश का फायदा हो रहा था उसके बदलने में जहां तक मेरी जानकारी है कि एक तस्करों का गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है, माफिया गैंग हैं जिसने इस सरकार को इलेक्शन में, लोक सभा और विधान सभा के इलेक्शन में भारी राशि का चंदा दिया है और उसी के दबाव में, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस मामले को वह स्वयं देख लें, उसी के जबाव में जल्दी-जल्दी में यह प्रणाली बदली गयी । इससे प्रदेश का बहुत बड़ा अहित होने वाला है । उन्होंने "पायनियर" में एक सूचना प्रकाशित करवायी है कि जो नीलामी लेने वाले लोग हैं उनको समुचित जानकारी करा दी जायगी कि क्या व्यवस्था होगी ।

मान्यवर, आज 21 तारीख हो गयी, 21 तारीख तक अभी कोई व्यवस्था न इक्साइज कमिश्नर के पास और न जिलाधिकारियों के पास यहां से गयी है । तो यह प्रदेश के आय के स्रोत में बड़ी भारी साजिश है । मैं चाहूंगा कि आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि सरकार इस व्यवस्था को रोक दे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं विचार करें कि इसमें जो हमारे प्रदेश के धन का केवल एक तस्कर गिरोह के कारण, जिसने बहुत बड़ी धनराशि आपको दी है, उसके दबाव में आकर आपने ऐसा किया है और एक अफसर का पता चला है, जो माननीय मंत्री जी के आबकारी विभाग के हैं । उन्होंने ड्राफ्टिंग करके इस सरकार को भ्रमित किया है और उस भ्रम से, आने वाले समयों में इस प्रदेश को बहुत बड़ा धक्का लगेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट निर्देश न दें, तब तक इसकी कार्यवाही रोक दी जाय और कार्यवाही रोक कर इस पर मान्यवर, चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री बेनी प्रसाद--

श्रीमन्, इस समय प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग 1 अरब रुपया चीनी मिलों पर बकाया है । मान्यवर, जितना गन्ना पेरा गया है, उसका 25 फीसदी बकाया है । मान्यवर, गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं । केन्द्रीय बजट जो आया है, वह किसानों के ऊपर ही भार है । जो गन्ने का एक अरब रुपया बकाया है, वह सरकार कब तक अदा कर रही है ? मैं मान्यवर, यह चाहूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय, इसलिए कि जब सरकार सदन में नहीं होगी, तो हमारी यह बात वह नहीं सुनेगी । मान्यवर, जब-जब यह सरकार रही है, तब-तब इसने गन्ना किसानों को पीड़ित किया है । मान्यवर, आलू के किसान तबाह हो गये हैं । गेहूं के बारे में अभी तक कोई नीति इस सरकार ने घोषित नहीं किया है । गन्ना किसानों के सम्बन्ध में यह सरकार बिलकुल मौन है । मैं श्रीमन्, चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर स्पष्ट आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री से दिलवायें और जो गन्ना किसानों का एक अरब रुपया बकाया है, उसको अदा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग बैठ जायं । माननीय राम सरन जी आप बैठ जायं । आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आप से बार-बार अनुरोध करना अच्छा नहीं लगता ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन --

मान्यवर, हमारी बात सुन लें । हम लोग पीड़ित हैं । नारायण दत्त तिवारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो और हुकुम सिंह जो भी इससे पीड़ित हैं । हम लोग गन्ना क्षेत्र के रहने वाले हैं । पीड़ित लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ?

श्री अध्यक्ष--

हम तो आप से भी ज्यादा पीड़ित हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, किसान पर्ची लेकर मारे-मारे फिरता है और उसकी गिरफ्तारी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी करवा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सरन जी आप कृपा करके बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये ।)

(श्री बेनी प्रसाद सदन के फ्लोर पर आ गये श्री कमाल यूसुफ मलिक के समझाने से अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, इन लोगों ने चुनाव में चन्दा दिया है, इसलिए यह सरकार उनका पक्ष ले रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, गन्ने वाले मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी दो शब्द कह दें, मैं बैठ जाऊंगा ।

(कई सदस्यों तथा श्री रामसरन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बुजुर्ग आदमी हैं, मुझे आपसे बराबर अनुरोध करना अच्छा नहीं लगता आप समझते हैं नियमों के अन्तर्गत मुझे यह नहीं सुनना चाहिए मगर जो बात आप रख रहे हैं उसके लिए मैं इजाजत देता हूं कि दो-दो मिनट में आप अपनी बात कह लें। नियमों के अन्तर्गत जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो, उस बीच यह स्वीकार करने का सवाल नहीं उठता है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय सुखपाल पाण्डे जी ने माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने माननीय शफीकुर्रहमान जी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था । वह बहुत महत्व-पूर्ण प्रस्ताव था । मान्यवर, लखनऊ में राष्ट्रीय फिल्मोत्सव शुरू किया गया। यह फिल्मोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर रवीन्द्रालय में शुरू किया गया । इसमें करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं । मान्यवर, पहले इस फिल्मोत्सव के लिए साढ़े तीन लाख रुपया मांगा गया था फिर साढ़े पांच लाख रुपया मांगा गया, उसके बाद 10 लाख रुपया मांगा गया । इस तरह से धन खर्च किया जा रहा । यह राष्ट्रीय स्तर का फिल्मोत्सव था, लेकिन इसमें जिन राष्ट्रीय स्तर के फिल्म समीक्षकों को बुलाया जाना चाहिए उनको नहीं बुलाया गया । मनमोहन जी जो राष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं, उनको नहीं बुलाया गया । नव भारत टाइम्स से रंगनाथ पाण्डेय जी को नहीं बुलाया गया हिन्दुस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया ।

मान्यवर, रवीन्द्रालय में जिस फिल्म की शुरुआत की गई उसका नाम था आगे ऐसा नहीं होगा । वह एक ऐसे विषय पर थी, जो सियासी तौर पर लोकतन्त्र को कमजोर बनाती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अलावा मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब साढ़े आठ सौ से लेकर एक हजार अफसर रवीन्द्रालय में 3–4 घंटे बैठे रहे। पूरे सूबे से जो निर्देश प्राप्त हुए उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोई तैयार नहीं थी। मान्यवर, कल सात बजे से दस बजे तक संचार व्यवस्था बन्द हो गई। मान्यवर, माननीय सदन के किसी माननीय सदस्य को आने के लिए नहीं कहा गया। जब राष्ट्रीय फिल्मोत्सव पिछली बार कराया गया था, मुझे याद है तब धर्मसिंह जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने व्यवस्था की थी कि माननीय सदन का कोई भी सदस्य वहां जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल कवियों को बुलाया गया और फिल्म समीक्षकों को नहीं बुलाया गया। लखनऊ के किसी फिल्म समीक्षक को नहीं बुलाया गया, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जो जिन्होंने फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया था, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम इस सूबे में अच्छी तरह चल सकें। यदि इस तरह के घटिया सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोकतन्त्र को कमजोर बनाया जायेगा तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग मुख्य मंत्री बन जायेंगे और आप जैसे लोग रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 13 सूचनायें प्राप्त हुई थीं उन सबको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

(शोर)

मैं कह रहा था कि गन्ने का जो मामला है उसमें मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि किसानों को कठिनाई न हो तथा जो विचार इन्होंने रखे हैं, जो कठिनाई किसानों को हो रही है, वह भविष्य में न हो।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त)--

मान्यवर, जो निर्देश गन्ने के बारे में आपने दिये वह शिरोधार्य हैं जो माननीय सदस्य ने आंकड़े दिए हैं उसके बारे में मैंने आज ही प्रातः काल गन्ना सचिव से बातें की हैं जिस भयावह स्थिति की माननीय सदस्य को सूचना दी गई है, वह सत्य से परे है। इस वर्ष गन्ने का भुगतान दूसरे वर्षों की तुलना में बहुत अच्छा चल रहा है। 2–4 जगहों पर जहां अच्छा नहीं चल रहा है, हमने निर्देश दे दिया है कि बैंकों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर भुगतान कराया जाय। आपको जानकर खुशी होगी कि एक करोड़ का आंकड़ा पुराना है। इस समय 50, 60 करोड़ के बीच में बकाया है। यह कुल प्रतिशत के आधार पर बहुत कम है।

श्री बेनी प्रसाद--

मुझे सुन लें।]

श्री अध्यक्ष--

आपको नियमों का पालन करना चाहिए। नेता सदन खड़े हैं बीच में आपकी नहीं सुन सकता।

श्री नारायण दत्त--

पिछला बकाया बिल्कुल नहीं है। 15 सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पिछले चार सालों में दिया जा चुका है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मेरे क्षेत्र का अलग मामला है। मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

एक साथ कई लोग बोलेंगे तो कैसे सदन चलेगा? कृपया माननीय सदस्य बैठें। आप कई लोग एक साथ बोल रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आपने जो मुझे बुलाया। आबकारी मंत्री यहां बैठे हैं। जो बात मैंने कही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण [नहीं किया।]

है, वह क्या कार्यवाही करेंगे ? मेरा आग्रह है कि आपको निर्देशित करें कि सदन में जो मैंने कहा है उस पर क्या कार्यवाही करने वाले हैं, स्थगित करने वाले हैं, सदन में कृपा करके बता दें ।

आबकारी मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

माननीय सदस्य जानते हैं कि नीलामी मतलवी हुई है । जैसा आपको ज्ञात है आबकारी ऐक्ट में एक संशोधन लाना था, इसलिए मुलतवी की गई । जो आप कह रहे हैं कि असामाजिक लोग आ जायेंगे जिससे नीलामी ठीक से नहीं हो पायेगी यह बात हमारी समझ में नहीं आयी है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, नये आये हैं, उनको मौका दिया जाय । अभी तक 10 मिनट का समय दिया जा रहा था । चूंकि अधिक बोलने वाले हैं । इसलिए अब 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

सदरे महतरम, कई दिन से गवर्नर एड्रेस पर बहस सुन रहा हूं । मुझे अफसोस है कि राज्यपाल महोदय ने कोई बात मुस्लिम अकलियतों को महफूज रखने और हकूक दिलाने के लिए नहीं कही है । इस प्रदेश के अन्दर अकलियतों के साथ नइंसाफी हो रही है । मैं चाहूंगा कि मुस्लिम अकलियतों के साथ इंसाफ किया जाय और इस प्रदेश के अन्दर मुसलमानों का रेशियो सर्विस के अन्दर बिल्कुल शून्य है, उनको किसी महकमें में सर्विस नहीं दी जा रही है । मैंने सन् 1977 में विधान सभा के अन्दर इसका सवाल किया था । इतनी बड़ी अकलियत यानी 20 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं । इस देश के अन्दर इतने मुसलमान रहने के बावजूद इन्साफ उनके साथ नहीं किया जा रहा है । जब वोटों का सवाल होता है, तब कभी आप उर्दू का लालच देकर, कभी उर्दू के टीचरों का लालच देकर उनसे वोट ले लेते हैं लेकिन जहां तक उनके रोजगार की हालत है उनके साथ कोई इन्साफ नहीं किया जा रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा और खासतौर से, मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि मुसलमान अकलियतों के साथ इन्साफ किया जाय और उनको सर्विसों में जगह दी जाय चाहे वह पुलिस या पी० ए० सी० में हो या और कोई विभाग हो ।

जब हिन्दुस्तान के अन्दर बलवे होते हैं तो मुसलमानों के साथ नइन्साफी की जाती है । बीसों हजार बलवे इस देश के अन्दर हो चुके हैं और उनके साथ नाइन्साफी हो चुकी है, चाहे वह मुरादाबाद का बलवा हो, भिवन्डी का हो या किसी भी जगह का बलवा हो बहरहाल उनका खून बहाया गया है और उनके साथ नाइन्साफी हुई है । मुरादाबाद के अन्दर जो कि मेरा जिला है, वहां हजारों मुसलमानों को नमाज पढ़ने के बाद शहीद कर दिया गया लेकिन उनके बारे में गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट अभी तक नहीं आई न कुछ बताया गया । मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी मुसलमानों के अन्दर बहुत ज्यादा फैली हुई है, मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और उनके साथ नाइन्साफी हो रही है । जगह-जगह पुलिस उनको सताती है, इसको रोका जाय । अगर मुसलमानों के साथ इन्साफ नहीं किया जायगा और उनको सर्विसों में जगह नहीं दी जायेगी, उनको ऊपर नहीं उठाया जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह शासन और यह समाज सेहतमन्द नहीं कहा जा सकता है बल्कि उसकी मिसाल इस तरह से होगी जैसे कोई आदमी पैरालाइज्ड हो, उसके जिस्म का कोई हिस्सा मुअत्तल हो तो वह काम नहीं कर सकता है । जब तक मुसलमानों को ऊपर उठाने की बात नहीं की जायेगी, उनको खुशहाल नहीं बनाया जायेगा तब तक देश में खुशहाली नहीं आ सकती ।

†दि० 20 मार्च, 1985 की कार्यवाही से

इसके साथ-साथ में यह भी बताना है कि आज प्रदेश के अन्दर जो बिजली की हालत है उसकी वजह से पूरे प्रदेश के अन्दर किसान बेहद दुखी है। आज इम्तिहान होने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। मैं जिला मुरादाबाद की बात करता हूं यानी सम्भल के मुतलिक जहां से मैं चुना गया हूं, वहां जो कोल्ड स्टोरेज है, आलू सड़ रहा है। तो इस हालात में जब कि बिजली न मिलती हो, इस देश के अन्दर किसानों को कोई चीज न मिलती हो और आप कहते हैं कि यह सरकार किसानों के साथ हमदर्दी कर रही है। किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे 10 मिनट दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

अब 5-5 मिनट दिया जा रहा है, 10 मिनट दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, तालीम के हिसाब से भी हमारा जिला पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर में जबकि 5-5 पालीटेक्निक स्कूल खुल सकते हैं तो मेरे सम्भल के अन्दर भी एक पालीटेक्निक स्कूल खुलवाया जाय, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात यह है कि सम्भल के अन्दर बेरोजगारी ज्यादा है, गरीब मजदूर हैं, उनके लिए कोई ऐसी फैक्ट्री खुलवाई जाय कि उनको रोजगार मिल सके। तो मेरी मांग है कि सम्भल के लिए और मुरादाबाद के लिए कोई बड़ा रोजगार दें और मेहनतकशों और मजदूरों के लिए इस किस्म की चीज मुहय्या करें, जिससे उनको राहत मिल सके।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, पिछले तीन दिनों से इस वाद विवाद में जो बहस हुई, उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और खासतौर से विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये, उन्हें मैंने विशेष ध्यान देकर सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विरोध पक्ष के मित्र अभी चुनाव के वातावरण से मुक्त नहीं हुए हैं। उनके विचार, उनका स्वर वही था, जो वह अपने मतदाताओं के सामने कहते रहे होंगे। लेकिन अब उन्हें विदित होना चाहिये कि एक नये उत्तरदायित्व को लेकर वे इस आदरणीय सदन में पधारे हैं। मतदाताओं ने उन्हें इस प्रदेश के विकास और निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए भेजा है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अब यहां पर इस दृष्टिकोण को सामने रखकर अपने विचार प्रकट करें। खेद की बात है कि महामहिम राज्यपाल जी ने जितने बिन्दुओं पर अपने विचार प्रकट किये, विरोध पक्ष की ओर से उन बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत समय पहले से, ऐसे कारगर कदम उठाये गये हैं, जिन्होंने देश में उन कार्यक्रमों को लागू करने में एक तरह से नेतृत्व किया है। सबसे पहले पहल हमारे ही प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की गई भूमि सोपान-रोपण का कार्यक्रम यहीं पर लागू किया गया। इसी के साथ-साथ तमाम और ऐसे कार्य किये गये जिससे इस प्रदेश के विकास और निर्माण में प्रगति हुई और सारे देश को नेतृत्व प्रदान किया।

मान्यवर, जब किसी समाज की दशा में सुधार होता है, तो उसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना जागृत होती है। इसी बात को ध्यान में रख कर

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द जो न उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की योजना सारे देश में, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू की थी । योजना 30 रुपये मासिक सहायता से प्रारम्भ हुई थी और आज प्रदेश में लाखों लोग 60 रुपये मासिक पेंशन पा रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में कहीं–कहीं पर कुछ त्रुटियां हैं । मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय, जिससे और लोगों को भी अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें । इसी तरह से जो विधवाएं निरक्षित हैं, उन्हें भी शासन की ओर से पिछले वर्ष से 12 हजार विधवाओं को पेंशन प्रदान की जा रही हैं, लेकिन इस वर्ष में एक लाख विधवाओं को और पेंशन प्रदान करने का प्राविधान किया गया है और ऐसे लोग जो विकलांग हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया गया है । मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को और उदार बनाया जाय और इसमें ऐसे लोग जो किसी प्रकार से भी अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी आय के हों, उनके लिए सहायता प्रदान करने का निश्चय होना चाहिये । और मुझे विश्वास है कि शासन इस बात पर विचार करेगा ।

मान्यवर, मैं सरकार को इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें प्रदान करने और उन्हें यूनीफार्म देने का निश्चय किया गया है । लेकिन मैं चाहूंगा कि इस योजना को सारे प्रदेश में एक साथ लागू किया जाय और इसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया जाय । ऐसा न करने से लोगों में असन्तोष व्याप्त होता है और जन प्रतिनिधियों के प्रति भी असन्तोष पैदा होता है कि इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है । इसलिए मेरी मांग है कि इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक साथ लागू किया जाय । इसी तरह से पब्लिक स्कूलों में भी अनावर्तक अनुदान देने की घोषणा की गई है । वैसे पब्लिक स्कूलों के प्रति हम सबके मन में गलत धारणा है कि यह शासन उनकी सहायता करना चाहता है । मैं शासन से इस बात की मांग करूंगा कि वे इन स्कूलों में जन साधारण के बच्चों को भी प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करावें । जब शासन द्वारा उनको अनावर्तक अनुदान दिया जायेगा तो जन साधारण के बच्चों को भी प्रवेश की सुविधा मिलनी चाहिये । इसी प्रकार स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा मेडिकल कालेजों में आधुनिक सुविधाओं के दिये जाने का विशेष उल्लेख किया गया है और मैं चाहता हूं कि इन सुविधाओं का निरन्तर विकास होता रहे, प्रसार होता रहे तथा जिला स्तर तक ये सुविधायें पहुंचे ।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार विरोध पक्ष के लोगों ने अपना भाषण दिया और कहा कि शासन ने प्रदेश की तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, यह बात सत्य से परे है । कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया है, यह बात भी सत्य से परे है । अपने संसाधनों के अनुसार हमने प्रदेश का विकास किया है और यह शासन उत्तरोत्तर विकास करने के लिए दृढ़ संकल्प है । इसमें जब सब लोगों का सहयोग होगा तभी इस प्रदेश का निर्माण होगा और इसका उज्जवल भविष्य होगा । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम नरेश यादव––

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ ऐसे प्रश्न रह गये हैं जिनका जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है और उन्हीं प्रश्नों को ओर मैं चाहूंगा कि अपने विचार रखूं और उन्हें अभिभाषण में जोड़ दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वैसे तो राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन होता है, सरकार का क्या नीतियां हैं, सरकार कहां जाना चाहती है ये चीजें उसमें अच्छी तरह से परिलक्षित होनी चाहिए । लेकिन जब आज हम अभिभाषण को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार अंधेरे में क्या टटोल रही है और उसके बाद भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है । जब हम यह बात आपसे कहते हैं तो आपके माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं जब पिछली बार भी 3 जुलाई, 1980 को इस सदन में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ था और फिर जब दूसरी बार अन्त में अभिभाषण हुआ तो वह किस शोकाकुल वातावरण में हुआ था, यह दोनों अभिभाषणों से परिलक्षित होता है और यही कारण है कि यह प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष किस तरह से गर्त में जा रहा है जिसकी ओर ध्यान जाना चाहिये । इस तरफ प्रदेश के सारे लोग भी चिन्तित दिखाई पड़ते हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों का किसी तरह का पर्दाफाश नहीं करता है । जब पर्दाफाश नहीं करता है तो हमारे सत्तापक्ष के बैठे हुए लोग उस नीति के आधार पर केवल इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा देश विकास के पथ पर बढ़ा है । मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब इसी तरह की स्थिति आती है तो फिर सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोलने की बात करते हैं उनके हौसले बुलंद दिखायी पड़ते हैं । एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है कि पिछले दो दशक से इंदिरा गांधी हुकूमत में रही हैं, इस देश में हर क्षेत्र में गिरावट आयी है । विकास के पथ पर देश के आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं होता ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हम जब विकास की चर्चा करते हैं तो हमें सामने दिखायी पड़ता है विश्व और विश्व के 125 राष्ट्र और उन 125 राष्ट्रों की राष्ट्रीय आमदनी दिखायी पड़ती है । जब इस बात पर हमारा ध्यान जाता है तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसे विकसित देश कहा जाता है, विकास के रास्ते पर गया हुआ कहा जाता है, और हमारा मुल्क 125 मुल्कों की राष्ट्रीय आमदनी के हिसाब से घटा होता । लेकिन वे 1962 में 84वें स्थान पर था। दुर्भाग्य इस देश का है, यह लोग विकास का ढिंढोरा पीटते हैं । फिर मान्यवर, 84 पर ही नहीं रह गया, 84 से नीचे आते-आते 123 स्थान पर पहुंच गया है । इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव की भी चर्चा आती है । लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की भी चर्चा आती है । लेकिन, जब यह प्रश्न आता है, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप असम का मामला देख चुके हैं । पंजाब की स्थिति को देश के लोगों ने, विदेश के लोगों ने देखा है । मान्यवर, असम में जो चुनाव हुए थे 1980 में, वह एक नाटक था और उस नाटक के आधार पर ही सरकार बनी थी । मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं । एक इंडियन एक्सप्रेस के राइटर हैं उनकी एक किताब है "असम ए वेली डिव इडेड ।" फिर भी सत्ता पक्ष के लोग बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं कि प्रदेश में और देश में समुचित विकास हुआ ।

मान्यवर, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मान्यतायें हैं, परम्परायें हैं, उनकी किस प्रकार से रक्षा करने का काम किया है, यह सर्वविदित है । मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि देश में वास्तव में बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात किया गया है । मान्यवर, इसका स्पष्ट उदाहरण असम का चुनाव दिखायी पड़ता है । जिस असम का चुनाव 15 दिन के अन्दर हुआ

उसमें 7 हजार लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। लिखा हुआ है उस पुस्तक में "दि फरवरी 1983, असेम्बली इलेक्शन्स इन असम वियर दि बलडीस्ट एवर इन दि हिस्ट्री आफ इन्डेपेंडेंट इंडिया—7000 किल्ड इन वन फोर्टनाइट आफ वायलेंस एण्ड इथेनिक फ्रिन्जी" तो, जिस चुनाव में ऐसा हुआ हो, निरीह लोग मारे गये हों और चनाव किस हालात में हुए हों, मान्यवर, उसकी कल्पना की जा सकती है। और सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग इस तरह का ढिंढोरा पीटें कि लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने के लिए इस तरह से कदम उठाया है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आज भी हम को बताया जाता है कि देश का सम्मान बढ़ा है। जब देश इस लायक बना होता कि अपने पैरों पर खड़ा होता, आत्मनिर्भर बन गया होता तो यह बात खरी उतरती। खाद्यान्न और कपड़ा बाहर से आयात नहीं किया जाता तो यह बात खरी उतरती। लेकिन, दुर्भाग्य है इस देश का पिछले चुनावों में सन् 1980 में जब सत्ता में आने का मौका मिला तो उसके बाद ही गेहूं का आयात हुआ है, बाहर से चीनी का आयात हुआ है। जब गेहूं, चीनी का बाहर से आयात हो रहा हो और उसमें देश की पूंजी जा रही हो, हम अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे कह सकते हैं? जब हम जानते हैं कि 70 हजार करोड़ रुपया का कर्जा देश के ऊपर है और इस हिसाब से हजार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से देश के ऊपर कर्जा लगा हुआ है, तो कैसे कहा जा सकता है कि देश विकास के पथ पर बढ़ा है। उसके साथ ही साथ जब हम इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि वास्तव गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ी है। 48 फीसदी से बढ़ कर वह आज 55 फीसदी हो गई है। न हरिजनों के लिए कोई योजना है, न अनुसूचित जातियों के लिए कोई योजना है यहां तक कि जो पीने का पानी होता है, आज भी 25 हजार गांव ऐसे हैं, जहां आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब कि इस देश को आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं। आखिर सोचना पड़ता है कि यह सरकार कहां अटक रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का कहीं भी संकेत नहीं है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी, चाहे वह मैनपुरी हो, झांसी हो या बुन्देलखंड का इलाका हो आदि।

मान्यवर, इस सरकार की क्या हालत है। जब अपने ही घर से राजभवन से तलवार चोरी चली जाती है। मामला यहां तक नहीं पहुंचा, वह आगे बढ़ता गया। बेहमई पहुंचा, देहली पहुंचा और इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते वह पंजाब पहुंच गया और वहां से फिर वह प्रधान मन्त्री के निवास स्थान तक पहुंच गया। इस घटना से शर्म से सिर झुक जाता है। अपने ही लोगों द्वारा प्रधान मन्त्री की हत्या कर दी जाती है, जो माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं।

मान्यवर, मण्डल कमीशन की बात कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात नहीं कही गयी है। सरकार का क्या रुख है और क्या होना चाहिए समझ में नहीं आता।

मान्यवर, स्थानीय निकायों के बारे में कहना चाहता हूं। 3 जुलाई, 1980 के अभिभाषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें कहा गया कि "जनतांत्रिक सिद्धान्तों को पुनर्स्थापित करने के लिए मेरी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। अतः इस बात का प्रयास किया जाय कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करा दें।" और आज फिर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस अदरणीय सदन में प्रस्तुत किया गया और उस पर यहां आज चर्चा हो रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। उसे एक साल के लिए टाल

दिया जा रहा है । इसके बावजूद आप इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं । इस प्रकार मान्यवर, किस प्रकार लोकतंत्र की मान्यतायें चलेंगी और लोकतंत्र कैसे रहेगा । मेरे इन सभी संशोधनों को इसमें जड़ दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण निश्चित ही इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला है । किसानों के उत्थान के लिए जो बात कही गयी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । अभिभाषण में किसानों की फसल के लिए जो बीमा योजना लागू की गयी है, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत न तो किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ेगा, न आलू सड़ाना पड़ेगा और न ही अपने समान को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ेगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि ढाई साल जब जनता सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा परन्तु आज ये घड़ियाली आंसू बहाकर किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं । किसानों की तरफ पूरा प्रदेश देखता है । उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बहुत सारी योजनायें चलायी हैं, जो निकट भविष्य में पूरी होने जा रही हैं । सिंचाई के लिए विश्व बैंक के माध्यम से तमाम ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं और 87 योजनायें नहरों को कार्यान्वित होने जा रही हैं । छोटी जोत वाले कृषकों को ट्यूबवेल लगाने के लिए जो व्यवस्था की गयी है, अनुदान देने की बात कही गयी है, वह एक मिसाल है । किसानों, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारों, महिलाओं, विधवाओं के लिए, निर्बल वर्ग के लोगों, हरिजनों आदि के लिए व्यवस्था की गयी है अस्पतालों की, ताकि हर वर्ग के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके । शिक्षा के सम्बन्ध में, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल की व्यवस्था की गयी है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिए स्कालरशिप की व्यवस्था की गयी है । भूमिहीनों को पट्टे दिये गये लेकिन उन पर आज तक हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं । उन पर शीघ्र निर्णय देने की व्यवस्था भी की गयी है ताकि उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके और वे अपनी भूमि पर कब्जा कर के खेती कर सकें ।

मान्यवर, इस प्रदेश में बस्ती जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । पूर्वांचल के विकास में इस जनपद की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यहां उद्योग-धन्धों की कमी विशेष रूप से है । यदि इनकी व्यवस्था हो जाय तो यहां के निवासी अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं । मेरा क्षेत्र 172 शाहरसगढ़ है वहां सड़कों की कमी है लेकिन राज्यपाल महोदय ने तमाम सड़कों के बनाये जाने की बात कही है कि जो क्षेत्र एक हजार से ऊपर वाले होंगे, उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायगा जो स्वागत योग्य है । वहां के विकास होने से उद्योग-धन्धे लगने से वहां के गरीब मजदूर जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं रह कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मजदूरी कर के अपना तथा बच्चों का पालन कर सकते हैं ।

बेरोजगार नवयुवकों को पेंशन देने की बात उधर से बहुत कही जा रही है । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा करने से उन्हें पेंशन देने में यह उन्हें अकर्मण्य बनाना चाहते हैं ताकि वे लोग पंगु हो कर अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता दें । तो मैं चाहती हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि जो बेरोजगार हैं उन्हें उद्योग आदि लगाने हेतु सहायता कायदे से दी जाय। अपने युवक बच्चों के नाम से उद्योग विभाग से ऋण ले लेते हैं। एसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को ही यह धन मिले और दूसरे लोग इसे न ले सकें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं दो रोज से पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के लोगों की बात और भाषण सुन रहा हूं। मैंने इससे पहले भी 2-3 राज्यपाल महोदय के भाषण सुने हैं लेकिन यह महामहिम राज्यपाल का भाषण बिलकुल बेकार और ढपोरशंखी है। इस भाषण में इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश या इस प्रदेश की जो बाढ़ की समस्या है, जिससे पूरा प्रदेश तबाह हो जाता है, उस बाढ़ से हुई क्षति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसमें अगर महामहिम राज्यपाल महोदय यह कहे होते कि तमाम उन जिलों या गांवों में जहां बाढ़ से करोड़ों रु० की क्षति हुई है, वहां मुफ्त नाव की व्यवस्था कर दी जायेगी तो मैं मानता कि सरकार ने कुछ राहत का कार्य किया है। यह जो इनका अभिभाषण है, यह ऐसे ही तैयार कर दिया गया है। यह कहा जाता है कि यह भाषण सरकार के काम करने के खरोके के हिसाब से बनाया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है।

स्याही से उम्मीदों की तस्वीर बनाते हो,
गर खूं से बनाओ तो तस्वीर अमल होगा।
इस अंधी सुरंगों में बैठे हो तो लगता है
कि बाहर भी बदशकल नकल होगी।

इस प्रदेश में 25-30 आई० ए० एस० अफसरों के भ्रष्टाचार की बात चल रही है। यह 9 तारीख के स्वतन्त्र भारत में आया है। कुछ ऐसे भी पुलिस के वरिष्ठ आई० पी० एस० अफसर हैं जिनका डकैतों के गिरोह से सम्बन्ध रहा है। बहुत से आई० ए० एस० अफिसर भ्रष्ट हैं। अगर यह सही है तो इस सरकार को डूब मरना चाहिए।

इस भाषण में स्वतन्त्र प्रशासन के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, उर्दू की बात करते हैं। आपको याद होगा इसी सदन में जब माननीय हुकुम सिंह इधर बैठते थे और राजा साहब की सरकार थी, हवाई अड्डे पर जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री आ रही थीं तो अखबार के लोगों ने उर्दू का मामला उठाया। यह अध्यादेश लाने की बात करते रहे, रोज कहते हैं कि आज लायेंगे, कल लायेंगे।

साफ-साफ क्यों नहीं कह देते हैं कि उर्दू से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ बैठकर इन्होंने इसका विरोध किया लेकिन इन्हीं के मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री यह मानने को तैयार नहीं हैं। इससे यह मुकर गये। कोर्ट से इन्होंने चैलेन्ज करा दिया। यह इनका चेहरा है। मान्यवर, मैं आपसे शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज आप प्राइमरी स्कूलों की दशा देखिये। प्राइमरी स्कूल खोलने की बात तो यह करते हैं लेकिन जो प्राइमरी स्कूल पहले से हैं उनकी दशा सुधारने की नहीं सोचते। बहुत से प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें न तो टाट है और न कुर्सी मेज है। बच्चों तथा शिक्षकों के बैठने के लिए। अध्यापक तथा बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप टी० वी० लगाने की बात करते हैं। बैठने की जगह रहेगी या नहीं, बिजली रहेगी या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन आप लाखों रु० बेकार कर रहे हैं। यदि यह व्यय शिक्षा पर होता तो मैं मानता कि इसमें कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दत्त हैं । मान्यवर, मैं बस्ती जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बस्ती उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा जिला है । अभी श्रीमती कमला साहनी बोल रही थीं । हमारी और उनकी कांस्टीटुएन्सी के बीच में बढ़नी शुगर फैक्ट्री है, वहां पर एक गन्ना सोसायटी है । लाखों रुपया कई वर्षों का उस सोसायटी पर बाकी है । वहां के अन्य लोग और सेक्रेटरी सारा पैसा खा गये । सरकार को निश्चित जानकारी है कि वह सोसायटी तोड़ दी जाय, दूसरी बनायी जाय । हम लगातार चिल्लाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । बस्ती में बाढ़ से तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । जनता पार्टी के राज्य में और विशेष रूप से बनारसी दास जी के मन्त्रिमन्डल में जितनी सड़कें बनायी गयीं, जितने पुल बनाने का निर्णय किया गया, जितना मिट्टी का कार्य अकेले मेरे जिले में हुआ है, उस पर अगर यह खड़न्जा बिछवाने की ही घोषणा कर दिये होते, तब भी बहुत था । यह वह पार्टी है जिसने इस प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवाया और पुल बनवाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

*श्री राम राज शुक्ल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

(विपक्ष की ओर से कुछ व्यवधान होने पर)

मैं चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य शालीनता का एक आदर्श प्रस्तुत करें ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में हमने देखा कि उसमें बड़ी गतिशीलता है । वह विकास की एक सीढ़ी है । हम अन्धेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं । कुछ दिन पहले जिले के हैडक्वार्टर पर बिजली नहीं थी । आज आप देखें कि जिलों में ही नहीं बल्कि तहसीलों में, बाजारों में ब्लाकों में और गांव-गांव में बिजली होती जा रही है । आज वहां बिजली पहुंच गयी है जहां हरिजनों की बस्तियां थीं, अन्धेरा था, उजाले का कोई स्वप्न नहीं देखता था, वहां उजाला है और प्रकाश है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसी तरह से बिजली के तमाम उपकरण और दूसरा सामान बेचने के लिये दुकानें भी खुल गयी हैं और हमारे बेरोजगार भाई दुकानों को चला रहे हैं । यातायात को देखें, गांवों में जहां सड़कें नहीं थीं और जहां कीचड़ और धूल के कारण आना-जाना सम्भव नहीं था, वहां तरह-तरह की यातायात की सुविधायें उपलब्ध हैं । जगह-जगह पर बसें चल रही हैं, सरकारी बसें हैं और प्राइवेट बसें हैं टैम्पो हैं, लारियां हैं और टैक्सियां हैं । पहले 20-20 मील और 40-40 मील दूर से लोग आते थे तो उन्हें असुविधा होती थी, आज ऐसी बात नहीं है, आज तमाम साधन हैं । सिंचाई के माध्यम को देखा जाय तो खेत-खेत को पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल हैं, नहरें हैं, कुएं हैं । यह हमारे समाज, देश और प्रदेश के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है ।

हमारे प्रदेश की खेती ने अन्न पैदा करने के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । पहले हमारे खेतों में एक फसल ही हुआ करती थी, जबकि आज खेतों में दो-दो और तीन-तीन तक फसलें पैदा की जा रही हैं, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । हमारा प्रदेश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो

गया है, यह देश के लिए गर्व की बात है।

आज का युग रचना का युग है, निर्माण का युग है, यदि मैं इस युग को रचना का और निर्माण का युग कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह सड़कों का जाल, पुलों का निर्माण, विद्युत् का प्रसार, सूचना एवं सम्पर्क के साधनों का प्रसार, यह सब तरह-तरह के ऐसे काम हैं, जिनसे निर्माण और सृजन किया जा सकता है। इन उपलब्धियों को देख कर बड़ा सन्तोष होता है।

मुझे बड़ा दुख है कि हमारे विपक्ष के भाई इन चीजों को नहीं मानते हैं। वे समझते हैं कि हमारा काम केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करना ही है। मैं कहता हूं कि आलोचना जरूर करो, लेकिन समालोचक बन कर करो। जो चीज अच्छी है, उसे अच्छा मानो। मैं चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों में साहस आवे, आत्मबल आवे कि वे अच्छी चीजों को मान सकें। मैं यहां देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष से कोई बात कही जाती है तो उसका वे बुरा मानते हैं। इस तरह की परिपाटी नहीं रही है कि सत्ता पक्ष से कोई बात कही जाय और उसका वे बुरा मानें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष में बैठने वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे इस तरह का आदर्श प्रस्तुत करें तो अच्छा हो।

हमारे कई भाइयों ने अपने भाषण के दौरान चुनाव की चर्चा की है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने चुनाव में धांधली की है और बूथ कैपचरिंग की है। अभी थोड़े दिन पहले लोक सभा का चुनाव हुआ था, उसके परिणाम आपके और मेरे, सबके सामने हैं। जिस समय लोक सभा के परिणाम आये उस समय कोई नहीं सोचता था कि विधान सभा के चुनावों में क्या स्थिति होगी? जहां तक मैं समझता हूं कि कोई नहीं समझता था कि इतने राजनेताओं के होते हुये हमारा भी विधान सभा में कोई स्थान होगा। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव में क्या किया गया। यहां बराबर सत्ता पक्ष पर चुनाव में अनियमितत बरतने और बूथ कैपचरिंग कराने के आरोप लगाये जा रहे हैं, लेकिन यदि आप लोक सभा के चुनावों के परिणाम देखें तो आपको स्थिति का सही पता चल जायेगा।

मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आपके जिम्मे जो काम डाले जा रहे हैं, जैसे निर्बल वर्ग के विकास के लिए, गरीबों के लिये जो बर बर सुविधायें दी जा रही हैं, यह सब बड़ी सराहनीय चीजें हैं, इन्हे अपनाना चाहिए और समाज के काम को आगे लाना चाहिये। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे रचनात्मक काम करें और जो सरकार द्वारा रचनात्मक कार्य किये जा रहे हैं, उनमें अपना सहयोग प्रदान करें। वह जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसके विकास के लिये काम करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शुक्ल जी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

अध्यक्ष जी, अभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। मोहतरम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यह माननीय राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के काम करने का एक तरीका हमें इसमें मिला। जिसमें प्रदेश की बहुत सी बातों का, इस प्रदेश की 12 करोड़ तमाम जनता के हुकूक की हिफाजत का जिक्र नहीं किया गया और न अवाम को कोई सुविधा देने का जिक्र किया गया है। यह उस तरह का है कि इसे इस तरह से देखें, मैं याद दिलाता हूं अकलियतों की वह बात जो मुरादाबाद के दंगे हुये तो उसमें अकलियत की सबसे बड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

जमात यानी मुसलमान पर क्या जुल्म हुआ । जब मुसलमान एक महीने तक रोजा रखने के बाद ईदगाह में खुदा शुक्र अदा करने के लिए गया तो उन पर बुरी तरह के कत्लेआम किया गया । मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह बूढ़ा बाप जिसने अपने जवान बेटे को अपने पोते की अंगुली पकड़ कर भेजा था, उसे उसका लाश देखने को नहीं मिली । वह बूढ़ी मां जिसने अपने जवान बेटे से कहा था, जब लौट कर आना तो मेरे लिए नरम कचौड़ी लेकर आना । वह मासूम बच्चा जिसने अपने पापा से कहा था, पापा जब लौट कर आना तो मेरे लिए खिलौना लेते आना, वह जवान बहन जिसने अपने भाई से कहा था, जब लौट कर आना तो मेरे लिए लाल रिबन लेते आना, वह नई नवेली दुल्हन जिसने अपने शौहर के कपड़ों पर इत्र लगाते हुये कहा था जब लौटकर आना तो मेरे लिए लाल चूड़ियां लेते आना, उनके अरमान मिट गये, तो उस मासूम बच्चे के हाथों में खिलौना नहीं मिला और उस बूढ़े बाप को अपने बेटे का लाश देखने को नहीं मिली तो क्या इसी को स्वच्छ प्रशासन कहेंगे ।

आज लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं है । हकीकत तो यह है कि आज इस शासन को आंखों में पानी नहीं है । मैं कहना यह चाहता हूं कि यह खाली प्रोत्साहन देने की बात करते हैं यह ऐसा प्रोत्साहन है आखिर कोई सीमा होती है । अकलियतों के लिए कहा गया कि प्रोत्साहन देंगे, बुनकरों के लिये कहा गया कि प्रोत्साहन देंगे । यह वही 40 लाख बुनकर है, जो भुखमरी के शिकार हैं, जो तबाह हो रहे हैं । उनके लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई चर्चा नहीं की और यह प्रोत्साहन देंगे ? प्रोत्साहन तो आप बहुत सी चीजों का देते हैं । वह बुनकर जिनके हाथों में कूट-कूट कर दस्तकारी भरी है, जिनके हाथ के अंगूठों को अंग्रेजों ने कटवा दिया था । इसलिये नहीं कि वह काम करना नहीं जानता, बल्कि इसलिये अंगूठे कटवा दिये थे कि वह इतना अच्छा कपड़ा बुनते थे । तो आज वही दस्तकार जिनके हाथों में कूट-कूट कर दस्तकारी भरी है, वे आज रिक्शा चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिये और क्या हो सकती है । उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में एक राम सहाय कमीशन बैठा था, उस कमीशन की रिपोर्ट आये 10 साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ । यह इन्हीं का बैठाया हुआ कमीशन है । मैं चाहता हूं कि बुनकरों को तमाम इमदाद दी जाय । वह अपने ही कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं करना चाहते हैं ।

यहां पर उर्दू का मसला आया, यह वही जबान है, जिसने जंगे आजादी के दौर में इनकलाब का नारा दिया । हिन्दुस्तान की गली-गली और कूचे-कूचे में इनकलाब जगाया । जो 7 करोड़ लोगों की जबान है, उसको आजादी के तुरन्त बाद मुर्दा करार दिया । उसके अरमान मिटाने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन वह जिन्दा जबान उर्दू है, जो आज हिन्दुस्तान में जिन्दा है । मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं । कौसल सफीकोटी ने कहा था--

जिसे है फूलों से नफरत वह चमन
का बागी है,
जो है जबान का दुश्मन वह वतन
का बागी है ।

मैं आपके माध्यम से हुकूमत से पूछना चाहता हूं एक बार, दो बार और तीन बार आर्डिनेन्स आया । आपने अपने मैनिफैस्टो में कहा था कि हमारी हुकूमत बनेगी और हम अकलियत में आयेंगे तो उर्दू को दूसरा दर्जा देंगे । लेकिन आपने बिल पास नहीं किया । इससे ज्यादा बेईमानी की बात और

क्या हो सकती है । आपने बिल पास नहीं किया, हाई कोर्ट से उसे रोक दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बुधियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर,, जिस तरह से आज नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो किस बात का आपका प्रकाशन, किस बात की मजबूत हुकूमत और आप मजबूत हुकूमत क्या देंगे ? आप 12 करोड़ जनता की हिफाजत क्या करेंगे, जो अपने प्रधान मन्त्री को हिफाजत नहीं कर पाया । मान्यवर, यहां की जनता को क्या कहूं—

कि एक यह भी नादान हैं कि बुजदिल
पर भरोसा कर बैठे,
जो अपनी हिफाजत कर न सके वह
औरों का निगेहबां क्या होगा ?

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत कुछ जोड़ा जाय जैसे अकिलयत की बात, किसानों की बात, बुनकरों की बात आदि । इसलिए इन सभी को सुविधायें देनी चाहिये । कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिये । जितना रेडियों में कहें और अखबारों में छापें, उतना तो अवश्य करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, भगवान की कृपा से मुझे इस सदन में दो बार आने का मौका मिला लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इन विरोधी दल के लोगों ने दोनों ही बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का मुझे मौका नहीं दिया, अपने हो हल्ला की वजह से । मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आगे ऐसी व्यवस्था करें कि जो नये सदस्य इस सदन में आयें, उनको सदन की कार्यवाही को देखने का मौका मिले । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के भविष्य की प्रगति का विवरण जो दिया दिया है, वह एक सराहना का विषय है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं ।

कृषि के क्षेत्र में राज्यपाल महोदय ने जो बातें कहीं हैं आत्म-निर्भरता की, मैं उससे पूर्णरूपेण सहमत हूं । अब मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर के उत्तरांचल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस सौभाग्यशाली क्षेत्र ने मान्यवर, आपको अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाला एक नेता भी दिया था । हमारे क्षेत्र में कृषि उत्पादों के खरीद की, जैसे गेहूं और धान आदि की पर्याप्त व्यवस्था हुई है ।

मान्यवर, विद्युत् व्यवस्था के बारे में विरोधी दल के लोग कहते हैं लेकिन मैं विद्युत् मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी पिछली गोरखपुर यात्रा के समय उन्होंने घोषणा किया था कि तीन महीने के अंदर विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी । आलू के भंडारण के विषय में जो विरोधी दल के लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं की जा रही है । तो हमारी सरकार वह व्यवस्था कैसे करेगी जब कि विरोधी दल के लोग उन कोल्ड स्टोरेजों में भरे हुए हैं तो आलू कहां रखा जायगा । मान्यवर, पिछले बर्ष राजस्व के अभिलेखों के दुरुस्ती का कार्यक्रम चलाया गया था, जो सफल रहा । मैं चाहूंगा कि उसे पुनः लागू कराया जाय । मेरे क्षेत्र में एक बरमासाली गराम गांव है । जिसमें चकबन्दी की व्यवस्था पिछले 7 सालों से रुकी है, उसको चालू कराया जाय । सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था हुई है । हमारे क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या है, वह वाटर लागिंग का एरिया है । वहां पर नारायनी छितौनी तटबन्ध हैं, उसको पूरा कराया जाए और ड्रेनों को शीघ्र

खुदवाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जाए।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता, कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए।)

हमारा क्षेत्र गन्ने के उत्पादन में सब से आगे है। केश क्रप वहां का गन्ना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले सत्र में जितने क्रय केन्द्र हमारे क्षेत्र में खुले हैं, उतने ही क्रय केन्द्र शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में लगे हों। मैं उसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमारे क्षेत्र में ऐसी अच्छी व्यवस्था की।

अब मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां एक चीनी मिल है जो पुरानी हो चुकी है और बन्द रहती है, जिसके अब चलने की भी उम्मीद नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई जाए। हमारे क्षेत्र में सिसवां चीनी मिल पर 21 लाख रुपया किसानों का बकाया है। इसके सम्बन्ध में अक्तूबर, 11, 1984 को गोरखपुर में होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि शीघ्र उसका भुगतान किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि उस निर्णय के अनुसार शीघ्र उनके बकाये का भुगतान किया जाए।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है, मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब मैं कानून और व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उसमें भी निश्चित ही सुधार हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डकैतों का आतंक इधर बढ़ गया है, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पी० ए० सी० वहां पर लगायी जाय और हर तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए विरोधी पक्ष ने स्वयं अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया है, उन्होंने सरकार का ध्यान अन्य समस्याओं की ओर खींच कर सुरक्षा व्यवस्था को ढीली कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी प्रधान मंत्री की हत्या हुई। यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हमने अपनी आदरणीय प्रधान मंत्री की नृशंस हत्या के बाद उससे उत्पन्न दंगों पर, तीन दिन के अन्दर हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सफल नियन्त्रण पाया है। इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं श्री लाल प्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री फजलुल बारी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बारी साहब, आप बैठ जायें। आप को समय आयेगा।

श्री फजलुल बारी—

क्या जिस दल में एक ही आदमी हो, उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, आपको मौका मिलेगा, अभी समय नहीं है।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें, समय जो भी मिलेगा, उसके अनुसार आपको मिलेगा। आप उत्तेजित न हों, इत्मिनान रखें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे इस देश

में कभी गौतम, गांधी और हरिश्चन्द्र पैदा ही नहीं हुए। ऐसा लगा कि जैसे सत्य से, उस तरफ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्यों का, सरकार में बैठे हुए लोगों का, दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा लगा कि जैसे राम और कृष्ण की पावन धरती पर जहां कभी मूल्यों और आदर्शों की पताकाएं फहराने के लिए लोगों ने बड़ी-बड़ी कुर्बानी दे दी, उस पर आज नाथूराम और गोडसे की संस्कृत का वर्चस्व कायम हो गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण [* * *] के पुलिन्दे के अलावा और कुछ नहीं है।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। [***] शब्द असंसदीय है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, असंसदीय नहीं है। इस पर माननीय सदस्य अगर बहस कराना चाहेंगे तो मैं तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, 'झूठ की जगह सत्य से परे कह दें।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, यह असंसदीय शब्द है। इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठ जायें उत्तेजित न हों।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, उस अनुभूति से, मन में बड़ी पीड़ा हुई है लेकिन जब मैंने ठंडे मन से इसके कारण को सोचा और स्थिति का विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि आज के शासक दल का वर्ग चरित्र बदल गया है। पूज्य बापू की कांग्रेस का स्वप्न हमारे दिमाग में होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि कांग्रेस जो उस जमाने में कामन मैन की पार्टी थी जो पार्टी नहीं आंदोलन थी, उसके साथ कुछ आदर्श और मूल्य जुड़े हुए थे और उस समय की कांग्रेस आम आदमी की पार्टी थ, वह कांग्रेस आज चोटी के पूंजीपतियों की पार्टी बन गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि नवल टाटा, के0के0 बिड़ला को राज्य सभा का सदस्य बनाने वाली कौन सी पार्टी है ?

जब मैं राजनीति में आया था तो हमारे प्रोफेसर साहब जो हमारे मित्र हैं, हमारे नेता सदन जो कभी हमारे नेता थे, जब वह समाजवादी थे और वह हमारी अगुवाई और रहनुमाई करते थे। उस समय वह नारा लगाते थे, उनके पीछे हम भी नारा लगाते थे कि टाटा बिड़ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उनके आचरण से प्रतिध्वनित होता है। मानो आज हमारे नेता सदन नारा लगाते हैं, टाटा--बिड़ला की सरकार, खूब चलेगी खूब चलेगी। उसका एक कारण है। कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने फब्ती कसी कि विपक्षी दल यह तमाम असत्य बातें कह रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि गांधी जी के स्वप्नों की कांग्रेस कौन थी ? आजादी की लड़ाई के दौरान, जो लोग कांग्रेस के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े थे उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पिटाई करने वाले लोग कौन थे। जो ताल्लुकेदार, पूंजी पति और अंग्रेजों के अलमबरदार, जो उस जमाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पिटाई कराते थे। आज श्रीमन्, विधान सभा की सदस्यता से लेकर केन्द्र की परिषद् तक, ऐसे ही लोग शक्ति के ठिकानों पर कुंडली मार कर बैठ गये हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस (आई) ने ही उन लोगों को सदस्य बनाया है और इन ठिकानों पर बैठाया

नोट--[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हूं । मैं इस माननीय सदन में बैठे हुये जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि मझौली, पडरौना, मांडा, मनकापुर, गोंडा और अमेठी, जामो, प्रतापगढ़, समथर और मुहमूदाबाद जैसी रियासतों का रोल उस जमाने में क्या था ? आज वे कांग्रेस (आई) का नियंत्रक शक्तियां हैं। क्या आज की कांग्रेस में स्वतंत्रत संग्राम सेनानियों का कोई स्थान रह गया है ।

मान्यवर, शासकदल के इस वर्ग चरित्र को समझने के बाद इस अभिभाषण पर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ । मैंने एक बात कही कि झूठ का पुलिंदा है । हमारे उधर के एक माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि झूठ शब्द असंसदीय है । यह शब्द असंसदीय नहीं है । लेकिन पार्लियामेंटरी व्यवस्था है कि कटु सत्य नहीं कहना चाहिए । तो मैं उसकी जगह सत्य से परे कहता हूं । मैं यह बात दोहराता हूं । झूठ के बदले, कि अभिभाषण सत्य से बिलकुल परे है ।

मान्यवर, अभिभाषण में कृषि उत्पादन में सफलता प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित करने और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात कही गई है । लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यह बातें एकदम गलत हैं । मान्यवर, प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन 1977-78 में 212.35 लाख मीट्रिक टन था, यानी इसमें 6.7 प्रतिशत की वृद्धि, 1970-71 के मुकाबिले हुई थी । 1978-79 में 231.07 लाख मीट्रिक टन था, यानी 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1979-80 में यह उत्पादन केवल 164.39 लाख मीट्रिक टन रह गया था । 1981-82 में यह कमी बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गयी थी । यह सरकारी आंकड़े हैं, मैं मान्यवर, नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता प्रतिदिन में कोई अन्तर नहीं पड़ा, बल्कि यह घटती ही गयी है । हम केवल अनाज के उत्पादन की वृद्धि देखते हैं, लेकिन उसी अवधि की आबादी की वृद्धि हमारे दिमाग में नहीं रह जाती और इसीलिए हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं । मान्यवर, इन सारी बातों का ही कारण है कि हमारे प्रदेश के जो नेतागण हैं, उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वह प्रदेश की आबादी और पिछड़ेपन की बात को केन्द्रीय सरकार के सामने हिम्मत के साथ रख सकें और और उसके अनुपात में योजना में धन के एलाटमेंट में अपना हक और हिस्सा मांगें ।

इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति योजना पर कम व्यय किया जाना ही हमारे पिछड़ेपन का मुख्य कारण है । छठी योजना काल में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति योजना पर व्यय मात्र 528 रुपया आंका गया था, जबकि हरियाणा में यह 1393 रुपया था, हिमांचल प्रदेश में 1388 रुपया, पंजाब में 1080 रुपया था । इस प्रकार से यदि राज्यों की श्रेणी की जाय, तो उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां आता है । इससे नीचे मात्र बिहार ही बचता है, जिसकी प्रति व्यक्ति छठी योजना में व्यय 461 रुपया है । तो मान्यवर, मैं केवल इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । आज उधर बैठे हुए मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यों की स्थिति दुर्योधन की सभा की उन सूरमाओं की है, जिनके सामने द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जा रहा था लेकिन दुर्योधन के आतंक के कारण यह जानते हुए कि यह अन्याय है, उनमें विरोध करने का साहस नहीं था । उसी तरह से हमारे मंत्रिपरिषद् के ये सदस्यगण केन्द्रीय सरकार से योजनाओं के लिए आबादी और पिछड़ेपन के अनुपात में अपने प्रदेश के लिए धन केवल इसलिए नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके दिमाग पर हमेशा यह आतंक रहता है कि कहीं प्रधानमंत्री इससे नाराज न हो जायं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं जो आपने

मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर कुछ शब्द बोलने के लिए अवसर दिया है। सर्वप्रथम मैं माननीय, अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं इलाहाबाद से चायल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसी बीच मुझे याद आती है अपनी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को, जिन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके पूर्व उनके द्वारा चलाये गये बीस सूत्रीय कार्यक्रम से देश का ही विकास नहीं हुआ, अपितु विश्व में भी हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उसने एक स्थायी और सुदृढ़ तथा स्पष्ट बहुमत वाली सरकार की स्थापना की है।

प्रदेश में हमारे राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका जो आई है, उसमें जो बहुत से चौमुखी विकास के कार्य हुए हैं, उन्होंने दर्शाये हैं। कृषि के क्षेत्र में आप देख लीजिए, खाद्यान्न के मामले में 110 लाख टन पैदावार करके प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। खाद्यान्न के साथ-साथ गन्ने का अपने उत्पादन क्षेत्र में एक महत्व है। मैं सरकार का ध्यान इलाहाबाद के दोआबा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर एक नई चीनी मिल की स्थापना सरकार के द्वारा विचाराधीन है। साथ ही इस क्षेत्र से मिला हुआ जिला फतेहपुर है, वहां पर भी गन्ने की पैदावार अधिक होती है, मिल लग जाने पर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।

माननीय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 56 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता रखी गयी है। मैं चायल निर्वाचन क्षेत्र के उस पिछड़े इलाके का वर्णन करता हूं, जहां पर फतेहपुर में किशुनपुर पम्प नहर योजना लागू की गयी थी। उस पम्प का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था। आज कई वर्षों से वह बन्द पड़ा हुआ है नहर सूखी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उसे पुनः मरम्मत करके चालू कराया जाए।

माननीय, इलाहाबाद-फतेहपुर की सिंचाई व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके, इसके लिए एक लिफ्ट परियोजना चायल क्षेत्र में ग्राम सैदपुर तथा ओधन के बीच में चलायी गयी थी, उसमें सरकार का सर्वेक्षण भी हो चुका है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको पुनः चालू करायें ताकि इलाहाबाद में दोआबा और चायल क्षेत्र में सिंचाई सुचारु रूप से हो सके। विद्युत वितरण के बारे में कहना चाहूंगा। विद्युत उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इलाहाबाद जिले में गंगा पार और जमुना पार 12 से 20 घंटे तक बिजली दी जाती थी। लेकिन माननीय, मैंने पूर्व वित्त मंत्री से निवेदन किया था और उन्होंने आदेश दिये थे फिर भी चायल-दोआबा क्षेत्र को दो-तीन घंटे तक बिजली अब दी जाती है।

माननीय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में विश्व बैंक के तथा सरकारी नलकूप लगाए गये हैं, जिससे कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन ज्यादातर नलकूप बेकार पड़े हुए हैं उसमें मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो नलकूप बेकार पड़े हुए हैं उनको ठीक कराया जाए। माननीय, विश्व-विख्यात इलाहाबादी अमरूद को विकास प्राधिकरण इलाहाबाद से मुक्त कराकर पट्टी फ्रूट बेल्ट घोषित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष से निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो प्रदेश के चौमुखी विकास का वर्णन किया गया है उसमें सत्तापक्ष के साथ सहयोग देकर प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दें।

श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो अभिभाषण यहां पर पेश हुआ जिसके सिलसिले में एक धन्यवाद का प्रस्ताव भी आया हुआ है, उसमें होना तो यह चाहिए था

कि जब वह आये थे तो उसकी बात खामोशी से सुन लिया जाता, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि अगर मेहमान जा रहा हो और जाते वक्त भी वह दिल के दर्द का इजहार न करे, उस पर दबाव डाल दिया जाए और वह अपनी जबान से दूसरे की बात कह दे, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गल्तियों को निशानदेही कर दें। सबसे पहली बात जो राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी, वह यह थी कि निर्वाचन में जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना। माननीय, हकीकत तो यह है कि लोकसभा के चुनाव में इतनी धांधली और अन्याय हुआ कि उसके बाद एक महीने तक, जब विधान सभा के चुनाव चल रहे थे, तो जनता को समझाने में सारा समय इसी में लग रहा था कि वह हमें वोट दें, हम वोटों की रखवाली करेंगे। लोगों का विश्वास खतम होता जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, पार्लियामेन्ट के चुनाव से लेकर विधान सभा चुनाव तक ऐसा देखने में आया कि बूथों पर कब्जा करके सरकारी कर्मचारियों और खासतौर से पुलिस के अधिकारियों और पुलिस फोर्स के जरिये और वे गुण्डे जिनको एन0 एस0 ए0 में इसलिए बन्द नहीं किया गया था कि उनके जरिये नाजायज वोट डलवाये जायेंगे। अवाम को धमकाया जाय, जम्हूरी हकूक को पामाल करने का काम इस गैरजम्हूरी सरकार ने किया। बैलेट बक्सों के पेट से आवाम की मर्जी के खिलाफ, जो नाजायज सरकार पैदा हुई, उससे आज जायज काम कैसे होगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

नाजायज पैदाइश अपनी बता रहे हैं या उधर अपने साथियों की बता रहे हैं। इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री फजलुल बारी--

हमने तो जायज काम किया था, पुलिस की ताकत हमारे पास नहीं थी। तिवारी जी के निर्वाचन क्षेत्र फैजाबाद में तीन बजे तक उनके एजेन्टों को अन्दर नहीं घुसने दिया गया ताकि अवैध वोट डाले जा सकें। इस प्रकार बैलेट बाक्स के पेट से जो नाजायज सरकार बरामद हुई वह उधर बैठी है, हम तो इधर बैठे हैं। बहरहाल इसको छोड़िये। बहुत सी बातें कहीं गयी हैं जिन पर बहुत कुछ कहना था लेकिन आज वक्त कम है। इसलिए चन्द ऐसी बातें हैं जो निहायत जरूरी हैं, उनको कहूंगा।

उर्दू का तमस्सिरा यह सरकार करती रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने उर्दू का तसकिरा कर दिया। उनका चलचलाव हो गया। इस प्रदेश में जबसे कांग्रेसी राज आया, उर्दू को कत्ल करने का मुरतकिल काम हो रहा है। माननीय, यहां एक मंत्र जपा हुआ करते थे उन्होंने उर्दू का विधेयक सदन में पेश कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मंत्रिपरिषद् से अलग कर दिये गये। इस जुर्म में हरफों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अबर नाम लेता है, खुदा का इस जमाने में। साथ ही साथ उनके राजनीतिक जीवन के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए टिकट नहीं दिया गया। जिस मंत्री ने सरकारी विधेयक की मुखालफत की थी उसको मंत्री बनाया गया और हम तो कहते हैं

कि उनको ईनाम में चीफ मिनिस्टर बना दिया जाय तो अच्छा होगा। माननीय यह सरकार उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की बात करती है। दूसरी राजभाषा बनाने की बात तो दूर मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ इतना करदें, जो श्री लैंगुवेज फार्मूला के अन्तर्गत जो तीन भाषाओं का फार्मूला है उसमें उर्दू को आठवीं कक्षा तक अनिवार्य कर दीजिये। यह जबान अपनी ताकत और कूवत से....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठें । आपका समय समाप्त ।

श्री फजलुल बारी--

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अदालत में कठघरे में खड़ा करना चाहिये । जो कमीशन बैठता है, मुरादाबाद के दंगे को जो कोई हिन्दू मुस्लिम दंगा कहता है मैं इसको गलत मानता हूं । जो कमीशन मुरादाबाद में बैठा, उसकी रिपोर्ट टेबल पर क्यों नहीं रखी गयी । हम उसको पढ़ते, देखते कि किन कारणों से दंगा हुआ था । मैं तो एक सुझाव दूंगा ताकि दंगे आगे न हों । पी0 ए0 सी0 को तोड़कर एक एन्टी-रा ट फोर्स बनायी जाय जिसमें 25 प्रतिशत मुसलमान और 25 प्रतिशत हरिजन हों । इस तरह की फोर्स होगी तो जो दंगे हर जगह हो रहे हैं । वह नहीं होंगे । 16 दिन तक मऊ में कर्फ्यू लगाकर आवाम को अमरूद की पत्ती और घास खाने पर मजबूर कर के जानवर बना दिया ।

*श्री सन्तन बड़थ्वाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, प्रदेश ने जो विकास और चौमुखी प्रगति की है उसमें ज्यादा समय न लेकर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर जो सद्भावना और खुशहाली का वातावरण है उसे माननीय सदस्य स्वयं अनुभव कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा न कहकर..

(व्यवधान)

अपने माननीय सदस्यों का उसी भाव से सम्मान करता हूं । मान्यवर, आप लखनऊ में ही देख लें जब माननीय सदस्य दारूलशफा तक रिक्शों पर बैठकर आते थे तो उनकी क्या हालत होती थी कितने झटके लगते थे उनको यहां माननीय सदस्यों से ही पूछ लीजिए । अब लखनऊ में यह मालूम होता है कि जैसे बम्बई जैसी महानगरी में हम चल रहे हों । मान्यवर, इन शब्दों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने क्षेत्र के बारे में माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुण्ड का जहां भारतीय सेना में जाने वालों का बाहुल्य रहा है का वर्णन करता हूं । वहां वन अधिनियम लागू होने से वहां का जनजीवन प्रायः ठप सा हो गया है । वहां 14-14 कि0 मी0 सड़कें बनायी गयी हैं और 2-3 कि0 मी0 सड़क जहां नगर से जुड़नी थी, वह 2-3 साल से रुकी पड़ी हुई हैं । अस्पताल के भवन आधे बनकर रुके पड़े हुए हैं । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह पहाड़ों में आकर देखें कि वहां वन अधिनियम किस तरह से लागू हो रहा है वहां पर पर्यावरण का ऐसा हल्ला मचा दिया है इन पर्यावरण के विशेषज्ञों ने कि अगर किसी गरीब के छत की बल्ली टूट जाय तो उसे जंगल से बल्ली काटने की इजाजत नहीं है । वह बल्ली नहीं काट सकता है । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर सब कार्य रुके हैं ।

विष्णु प्रयाग योजना सबसे बड़ी परियोजना थी वह भी रुकी पड़ी हुई है । वहां पर पी0 सी0 एफ0 और नैफेड के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जाय । काटेज इण्डस्ट्री खुलवायी जाय ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें दिल्ली और लखनऊ के दफ्तरों तक न दौड़ना पड़े । जो हमारा सीमान्त क्षेत्र है वहां कुछ योजनाएं थीं लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ । सीमान्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

क्षेत्र के कृषकों को आज भी दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि सीमान्त क्षेत्र को देखते हुए एक टावर बनाया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने मुझे बोलने को मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन् महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर तो सुनाया नहीं गया जो पुस्तिका मिली, उसको हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। उसमें--कोई ऐसी चीज नहीं समझ में आयी कि महामहिम राज्यपाल इस प्रदेश को कितना आगे बढ़ाने जा रहे हैं। श्रीमन्, मेरा आरोप है कि महामहिम राज्यपाल ने अपनी सरकार की तमाम नीतियों के बारे में जनता को अपने व्याख्यान में कुछ नहीं बताया। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार ने पिछले सालों में कितनी कंगाली की स्थिति में पहुंचा दिया है और उस स्थिति को उनकी सरकार कैसे दूर करेगी। अगर उन्होंने नीतियों का वर्णन किया है कि सरकार क्या करेगी तो उन्हें यह भी बताना चाहिये था कि यह जो 311 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बन गया है और जो दो सौ करोड़ संचित निधि से निकाल कर आकस्मिकता निधि में डाल कर खर्च कर डाला गया है, इस पांच सौ करोड़ को कैसे पूरा करेंगे। इस रुपये को कहां से लाएंगे। यह प्रदेश जो कंगाल बनता जा रहा है, उसको कैसे दूर करेंगे, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

मेरा आरोप है कि इस समस्त धन का दुरूपयोग सरकार ने लोक सभा और विधान सभा चुनावों के लिये किया है। आज तक इस शासन ने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य किया है, कौन सा ऐसा निर्माण कार्य हुआ है, जिससे प्रदेश को कोई लाभ हुआ हो। केवल धोखा दिया जा रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं केवल वोट कमाने के लिये। वोट बटोरने के लिये इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने जनता की इस गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग के बारे में कुछ नहीं कहा है, कोई चर्चा नहीं की है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले सालों में निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार एजेंसियां किसानों से सीधे न करके बिचौलियों के माध्यम से कर रही है। किसान से सीधे गल्ला नहीं खरीद जाता है, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता है। किसान अपना गल्ला लेकर जाता है तो उसे तरह-तरह से परेशान किया जाता है। उससे कहा जाता है कि गल्ला ठीक नहीं है। गल्ले में कहीं कोई भी खराबी न हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि किसान को तीन-तीन दिन तक लौटाया जाता है और कहा जाता है कि गल्ले में इतना कण है या इतना राई है। यही गल्ला जब किसान बिचौलियों को बेच देता है तो वही गल्ला एजेंसी वाले खरीद लेते हैं। श्रीमन, सचमुच किसानों को राहत देना चाहते हैं तो इस पर विशेष नियंत्रल कड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसका समुचित प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आपकी एजेन्सी के लोग सही खरीदारी करें। वह किसानों से सीधे खरीद करें। किसानों को बिना मतलब के परेशान न किया जाय। वही गल्ला जब किसान लेकर जाता है तो 2 रुपये कम भाव लगाया जाता है और बिचौलियों को किसान बेच दे तो एजेन्सी के लोग उसी गल्ले को पूरे दामों में खरीद लेते हैं। इस पर बहुत कड़ा नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको खरीद से कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरे मान्यवर, सरकार जो खरीद करती है उसका मतलब यह होता है कि किसान को इतने रुपये से कम दाम उसके अनाज

का न मिले, लेकिन श्रीमन, मेरा आरोप है कि सरकार ने मूवमेंट को रोक कर, मूवमेंट पर नियत्रण करके किसानों को उसके लाभ से वंचित किया है। आरोप है कि सरकार किसान को समुचित मूल्य नहीं देना चाहती। कम से कम किसानों के गल्ले का पूरे प्रदेश में तो मूवमेंट होना चाहिये। पूरे प्रदेश में जहां भी उसे अपने गल्ले का ज्यादा दाम मिले, वह स्वतंत्रता से ले जा सके, तो उसके गल्ले का सही मूल्य उसे मिल सकेगा। लेकिन आपने दाम निश्चित कर दिया और कह दिया कि किसान वहीं बेचे। इससे ज्यादा दाम किसान अपने गल्ले का प्राप्त कर ही नहीं सकता है।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में चीनी मिलों और गन्ना किसानों के बारे में कहा गया है। श्रीमन्, चीनी मिलें बहुत खुलती जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है लेकिन आपकी नीति गन्ना मूल्य के बारे में इतनी रद्दी हो गई कि जैसे आप यह देखें कि इस साल जो आपका चीनी का उत्पादन हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आधे से अधिक चीनी मिलें 90 दिन भी पिराई सत्र नहीं चला सकती हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब सरकार पिराई सत्र नहीं दे रही है तो उनकी चीनी मिलें चालू नहीं होंगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये उस पर बल देता हूं।

श्री प्रेम पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं यहां पर प्रथम बार चुनकर आया हूं इसलिये मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा। मान्यवर, आदमी जन्म लेता है, मरता है और आपको पता होना चाहिए कि ईसामसीह धर्म की रक्षा हेतु सूली पर चढ़ गये थे। गांधी जी अपने देश की आजादी के लिये बलिदान हो गये थे। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने देश की आजादी के लिये बलिदान हो गईं। मैं आपके सामने एक बच्चा होने के नाते देश की एकता और अखन्डता के लिये आवाहन करता हूं कि हम लोग इस देश की रक्षा के लिये समर्पित हो जाय। मैं एक भूमिका बनाते हुये यह कहना चाहता हूं कि यहां पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने चर्चा की। आसाम की चर्चा फिर हिन्दू मुस्लिमों की चर्चा की कृषि के बारे में चर्चा। आदमी जन्म लेने के बाद जब समाज में आता है तो वह महत्वाकांक्षी होता है। हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर जो लोग बलिदान हुये हैं, सूली पर चढ़े हैं उसी तरह से हम लोग भी इस देश की एकता और अखन्डता के लिये समर्पित हो जायं।

मान्यवर, आज 10 दिन हो गये किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि जब हम जनता के सामने गये तो जनता कहती थी कि आप पांच साल के बाद आये हो। हमसे भी जनता ने कहा कि हमारे यहां पीने के पानी की व्यवस्था करो, सड़कों की व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो। 10 दिन में यहां पर किसी भी सदस्य ने यह बात नहीं कही। हम उस जनता और सर्वहारा वर्ग की धरोहर हैं जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं है, रोटी कपड़ा नहीं है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस गरीब जनता की धरोहर हैं। मैं आह्वान करता हूं और विरोध पक्ष तथा सत्ता पक्ष के लोगों के लिये भी कहता हूं कि हमको देश की एकता और अखंडता के लिये समर्पित भावना से

कार्य करना चाहिए । सच्चाई से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । हमने 35 साल के कचरे को निकाल कर फेंक दिया । कांग्रेस की नीतियों में भी यह बात कही गयी है । कांग्रेस कभी गलत नहीं हो सकती है और न इसमें आने वाले लोग गलत हो सकते हैं । वह जमाना चला गया, जब धांधलेबाजी चलती थी । हम सब को संविधान और देश की एकता तथा अखन्डता को बरकरार रखना चाहते हैं । कांग्रेस का बलिदान और कुर्बानी का 100 वर्ष का इतिहास रहा है । हम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को देखते हुए उनकी कद्र करें और देश की रक्षा और एकता व अखंडता के लिये एक जुट होकर कार्य करें ।

*श्री काजी कलीमुर्रहमान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, राज्यपाल महोदय को, जैसा कि मैंने देखा यहां पर अभिभाषण के समय, ऐसा लगता था कि महामहिम खुद इससे संतुष्ट नहीं थे और इसे पढ़ना नहीं चाहते थे । इसलिए उन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं और चले गये ।

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने आजमगढ़ जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जहां से मैं चुनकर आया हूं । मान्यवर, आजमगढ़ जिला इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और यह दुर्भाग्य रहा है कि आजमगढ़ पर लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा । आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर मैं आया हूं । मान्यवर, इस क्षेत्र में 30 हजार की ऐसी जनता है जो स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं से बिल्कुल वंचित रही है इसके अतिरिक्त न वहां कोई सड़क है और न ही पेयजल की कोई समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था है । एक वहां महुलागढ़वल बांध है, इस बांध की दयनीय दशा में होने के कारण, वहां की 30-40 हजार जनता हर साल बरबादी का शिकार होती है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी को बाबत इस अभिभाषण में जिक्र किया गया, जो आज हमारे बीच नहीं है । मान्यवर, उनकी शख्सियत में कोई दो राय नहीं है । इंदिरा जी ने इस मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जिन हालात में हत्या हुई और देश में जो उससे स्थिति उत्पन्न हुई, उसी तरह से इस मुल्क की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हत्या हुई । राष्ट्रपिता की हत्या के बाद, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, उनको कुचला नहीं गया । वहां स्थिति श्रीमती इंदिरा गांधी की हुई, उनसे सम्बन्धित लोगों को कुचलने में सारा हिन्दुस्तान डूब गया था । इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने सदन में आने के लिये उसकी हत्या के बाद तुरन्त चुनाव की घोषणा करायी । श्रीमती गांधी की हत्या से, उससे कोई सबक नहीं लिया । उन उत्पन्न विचारों को खत्म करने के लिये कांग्रेस के लोगों ने कोई काम नहीं किया । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी हत्या के बाद, उत्पन्न स्थिति में प्रदेश में कई हजार लोग, बेगुनाह लोग मारे गये । उनके सम्बन्ध में उनके परिवारों को सरकार क्या सुविधा देगी कैसे प्रश्रय देगी, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है ।

मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो यह अभिभाषण दिया है, इसमें इस प्रदेश की अकलियतों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। प्रदेश की अकलियतों को नौकरी में आरक्षण के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। बुनकरों की बाबत कोई स्पष्ट बात इसमें नहीं कही गयी है। सबसे अफसोस की बात है कि उर्दू को दूसरी जुबान की बाबत इसमें कोई बात नहीं कही गयी है। इस मुल्क में जुबान के बारे में संविधान में सही तरीके से बात थी, तीन भाषा फार्मूला है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो माडर्न लैंग्वुएज हैं, उसे दूसरी जुबान बना देंगे। उर्दू के बारे में जो अब तक सरकार की ढुलमुल नीति रही है, वह अफसोसजनक है और उससे अफसोसजनक जो बात कहनी पड़ती है वह यह है कि जो लोग खुले आम, उर्दू का विरोध करते हैं, उनको मन्त्री पद पर रखा जाता है। मान्यवर, उर्दू यहां पली है, यहां पनपी है। प्रदेश की जनता चाहे हिन्दू हो या मुसलमान सभी लोग चाहते हैं कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग उर्दू को ऊंचा उठाने की बात कहते हैं, करते हैं, उनको लाभप्रद पदों से अलग रखा जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त, आप कृपया बैठें।

*श्री फजले मसूद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल, माननीय श्री मुलायम सिंह जी से, जो उन्होंने सत्तापक्ष पर इलजाम लगाया है कि सभी पक्ष के सभी माननीय सदस्य फोरजरी करके चुनाव जीतकर यहां आये हैं, कहना चाहता हूं कि 1977–1980 के बीच में जो चुनाव हुए और जो कई उप चुनाव हुए, उन चुनावों में जो हुआ उसको एक मिसाल में आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन में देना चाहता हूं।

मान्यवर, जब 1977 में चुनाव हुआ था तो उस समय निधौली कलां में हमारे जो बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता थे, उन्हे असलहे दिखाकर वहां से लौटा दिया और उन्हें चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेने दिया। क्या लोकतंत्र में यही चुनाव कराने का तरीका है? उधर के बैठने वाले लोगों से मैं कहता हूं जो अपने को किसानों का मसीहा कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो फसल बीमा की योजना बनाई है, यह सराहनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार यह चाहती है कि छोटे-छोटे किसानों की प्रगति की राह बढ़े। दैवी आपदाओं के कारण जो उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी किसानों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिले। पिछले वर्ष त्यौहारों के समय, चाहे वह मुहर्रम हो या फिर दशहरा हो प्रशासन ने बहुत ही चुस्ती से काम किया और शान्ति बनाये रखी, उसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है।

मान्यवर, सिंचाई क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज गांवों में बहुत बड़ी-बड़ी नहरें व ट्यूबवेल इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर रही है और प्रदान करने का प्रयास कर रही है। बंजर जमीनों पर जहां नहरें कभी नहीं जाती थीं, वहां नहरों से पानी पहुंचाया जा रहा है और उन्हें सींचा जा रहा है ताकि वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें और उन्हें लाभ मिल सके।

मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, उसे हमारी सरकार और बढ़ायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को जो पीली चिट्ठी हमको दी है और जिसके अन्दर सफेद कागज लगे हुए हैं, जिस प्रकार इसमें दो रंग हैं, उसी प्रकार इस शासन की एक नीति और दो जिह्वा हैं। इनकी कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल महोदय ने उसे पढ़ा नहीं, वे चुप-चाप यहां से चले गये

[× × ×]

जिन सत्तासीन लोगों ने किसानों के हितों की बात की है, उन्होंने किसानों की हड्डियों से खून का चूस-चूस कर निकाला है, इसलिए उन्हें किसानों के बारे में कहने का कोई हक नहीं बनता, यह सच्चाई की बात है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी, आपने जो राज्यपाल महोदय के लिए खुदा के घर जाने वाली बात कही है, उसे आप दूसरे ढंग से कहें। खुदा के घर जाने वाले राज्यपाल, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री विजय सिंह राणा--

मैंने यह नहीं कहा मान्यवर, मैंने कहा कि अपने घर जाने वाले राज्यपाल।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, अगर ऐसा है तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा--

इनका कहना है कि कृषि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जायगा और प्रदेश की जनता तथा सदन के सम्मानित सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदेशीय सरकार ने किसान को जितना पीछे ढकेला है, उतना किसी ने नहीं। आज किसान का बेटा क्या करे, न खेत की उत्पादकता रह गयी है और न ही वह नौकरियों में जा पाता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस किसान ने आज शस्य श्यामला वसुन्धरा में हरी-भरी खेती की हो, अगर उन्हें काम नहीं दिया जायगा तो जहां उनके खेतों में गेहूं और जौ की बालियां लहलहाती थीं, वहीं क्रान्तिकारी पैदा हो जायेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस शासन को जल्द से जल्द यह अव्यवस्था समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

खेती की क्या प्रगति हो रही है। बाजार के अन्दर एक गधा पीली मिट्टी का 10 रुपये में मिलता है, लेकिन एक गधा आलू 8 रुपये में। सन् 65 में और आज के भाव में कितना अन्तर हो गया है। मान्यवर, इसको देखें -- यूरिया 65 में 23 रुपये थी वह आज 127 हो गयी है। सीमेन्ट का कट्टा 65 में 12 रुपये का मिलता था आज वह 65 रुपये हो गया है। लेकिन गेहूं 195 रुपये था वह आज 191 हो गया। यानी किसान के उपयोग में आने वाली चीजों के दाम तो दस-दस गुना आगे, लेकिन किसान जिसे बेचता है उसके दाम जहां के तहां।

(व्यवधान)

केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आज तक किसान का बेटा किसी उद्योग में नहीं जा सका। अगर आप चाहते हैं वह जाये, तो आप केवल पांच काम कर दीजिये। पहला तो यह कि 37 हजार तक जो 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं शहरों में, बड़े बड़े व्यवसायियों को, होटलों के लिए। आज उस 4 प्रतिशत ब्याज को दर पर कर्ज किसान के बेटे को भी उपलब्ध करायें। दूसरी बात जो कच्चा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माल हिन्दुस्तान के खेतों में पैदा होता है, उसके लिए कारखाने भी गांव में ही लगायें । आलू पैदा होता है खेतों में हमारे यहां लेकिन चिप्स का कारखाना कहां है । बाजरा जो पैदा होता है, बिकता है 50 रुपये क्विंटल तक और जो पफ्स कहते हैं, मिलता है एक रुपये 60 पैसे का 50 ग्राम । किसान के घर में जो चीज होगी वह तो बिकेगी मिट्टी के दाम लेकिन उसी चीज से बनी चीजें जो व्यवसायियों द्वारा बेची जायेंगी, 10 गुना ज्यादा ।

आज तक किसान के बेटे 12-12·5 प्रतिशत ही नौकरियों में हैं । वहीं व्यवसायियों के 6 मंजिला होटलों में बैठे हैं । सोना-चांदी की दूकान खोले बैठे हैं और उनके बेटे डाक्टर, इंजीनियर, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० बने बैठे हैं । दूसरी बात यह है कि आपने किसानों को 17 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया । आपने नगरों में 82 प्रतिशत खर्च किया है, जब कि 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है । आपको यह करना चाहिए था कि जहां 80 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां 80 प्रतिशत और जहां 20 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां 20 प्रतिशत करना चाहिये था । यह पांच काम अगर आप कर दें तो गांव के किसानों की स्थिति सुधर जायेगी ।

श्रीमती विमला सिंह—

मान्यवर, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रथम बार यहां इस सदन में बोलने का मौका मिला है । मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जो अति सराहनीय हैं । जहां तक प्रश्न है देश हो या प्रदेश इतना बड़ा मसला हो जाता है कि किसी भी बात को पूर्ण रूप से लिखना और उसको समझने के लिए बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करना पड़ता है । मान्यवर, मैं कई रोज से यहां विचार सुन रही हूं अपने विरोधी भाइयों के । मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहां सदन में इस तरह की बातें हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री के लिए कही गयीं । उनके ऊपर आक्षेप लगाये गये जब कि हमारे यहां इस तरह की बात नहीं होती । जो स्वर्गीय हो जाते हैं उन पर कोई आक्षेप नहीं होता । मान्यवर, काम अभी बहुत बाकी है और बहुत से काम हो चुके हैं । अगर आप 5 वर्ष पूर्व का इतिहास उठाकर देखें तो आपको जानकारी हो जायेगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं । यह केवल हमारा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, उद्योग की उन्नति को देखें, सिंचाई विभाग की उन्नति की ओर देखें, सभी में आपको प्रगति ही मिलेगी अवनति नहीं । ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं ।

जब आप लोगों को मौका मिला था, उस समय आप कहां सो रहे थे ? उस समय जब आपके हाथ में सत्ता थी तब आपने क्या किया ? जब गन्ने की बात उठी उस रोज, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो आज किसानों के वसीहा बनते हैं, वही गन्ने का भाव नहीं दे पाये । यह बड़े अफसोस की बात है । हमारी सरकार के आने के तुरन्त बाद ही गन्ने का सही भाव मिला किसानों को मिला । वर्षा के कारण गेहूं की फसल में नुकसान हुआ लेकिन वह हमारी सरकार ही थी, जिसने गेहूं को खरीदा और उसका उचित मूल्य दिया ।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, मैं अपने छोटे से क्षेत्र की बात करती हूं । मुझे भी देखने का मौका मिला जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, उसमें तो मैं कमी महसूस करती हूं लेकिन जहां तक तकनीकी और उच्च शिक्षा का प्रश्न है, उसमें देश प्रदेश में कोई कमी नहीं है । महिलाओं के लिए टेक्निकल कालेज की स्थापना की गयी है । यह बड़ा सराहनीय कदम है । जहां पर स्त्री और बच्चों का

प्रश्न आता है मान्यवर, यह प्रश्न थोड़ा अछूता सा रह गया है क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान बच्चों और स्त्रियों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा सा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती विमला सिंह --

मैं अंत में इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और अपनी इस सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं।

*श्री हर्ष वर्धन--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं। राज्यपाल महोदय का यह भाषण एक खण्ड खण्ड पाखण्ड है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में केवल जो पहला शब्द कहा गया है कि "आज इस अवसर पर हमें अपने देश को महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की याद आना स्वाभाविक ही है।" वह सही है। आज उनके निधन से हमें दुख हुआ है, समस्त विरोध पक्ष को दुख हुआ है, सत्ता पक्ष के लोगों को चाहे हो या न हो। उनका शेष भाषण एक खंड खंड पाखन्ड है।

शिक्षा के प्रसार की बात कही गयी है, किन्तु दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। गांवों के लोगों के लिए एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया, अंग्रेजी स्कूलों की बढ़ोत्तरी हो रही है। उसमें अमीरों के लड़कों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। जो गरीब किसान हैं, उनके बच्चों के शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था के चलते यह जो बेरोजगार की फौज खड़ी हो रही है इनको बेरोजगारी का भत्ता देने की घोषणा का काम राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले 6 साल से छात्रसंघ का चुनाव नही हुआ है, उसके लिए कहीं पर कुछ नही कहा गया है। कानपुर में डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज का हास्टल 4 वर्ष से बन्द है, छात्रों के सामने आवास की समस्या है, किन्तु इसके विषय में भी कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गयी है।

जहां तक भूमि सुधार का सवाल है, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट की तरफ। उन्होंने जितने फार्मों को इंगित किया था आज तक कितने फार्मों को बांटने का काम इस सरकार ने किया है, कहीं पर उल्लेख नहीं है। गोरखपुर के चेहरी और सरदार नगर के फार्मों को बांटने की बात थी, किन्तु इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

त्वरित न्याय की बात कही गयी है तो 12-12 साल से मुकदमें लम्बित पड़े हुए हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों एकड़ के फार्मों पर जो कब्जे बना रखे हैं बड़े-बड़े लोगों ने, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से भूमि सुधार का काम नहीं हो पा रहा है। जहां तक त्वरित न्याय की बात है इसी सदन के एक सदस्य थे, भूतपूर्व मन्त्री भी रह चुके हैं, उनके शिकायती-पत्र पर एक मुकदमा कायम हुआ, फैजाबाद में एण्टी करप्शन का धारा 183/82 के अन्तर्गत जिसमें त्वरित न्याय की बात तो दूर है, त्वरित जांच भी कराने में सरकार असमर्थ रही है। अपराधियों के खिलाफ जो कार्यवाही करने की बात सरकार कहती है, तो गोरखपुर के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि सरकारी आतंक, मन्त्री के आतंक के बजाय एक व्यक्ति के आतंक को लोगों ने पसन्द किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आज आपने मुझे इस सदन में अपने विचार रखने का सुअवसर दिया। अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या दीदी बोलेंगी। मैं कहती हूं कि मैं नहीं बोलूंगी बल्कि हमारे देश की 6 करोड़ महिलाओं की मूक आवाज को मैं आपके सामने रखूंगी।

मैं पिछले चार दिनों से विपक्ष के सदस्यों के विद्वतापूर्ण विस्तारपूर्ण भाषणों को सुन रही हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ और इसी कारण आज मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने को, मेरे मन ने मुझे प्रेरणा दी। पिछले चार दिनों से आपके जो भाषण हो रहे हैं, उसको जहां तक मैंने गौर से सुना है, एक भी शब्द उन 6 करोड़ मूक महिलाओं के विषय में या किस प्रकार हम उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, नहीं कहा। मैं पूछती हूं कि कौन सा ऐसा घर है जहां महिला न हो। हर घर में मेरी बहन है मेरी बेटी है या कोई महिला मेरी मां के रूप में है। मेरे मन में इनकी बहन, बेटी और मां के लिए दर्द है। मैं 6 करोड़ महिलाओं की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री जी की कृतज्ञता प्रकट करती हूं जिन्होंने विधवाओं के विषय में दो आंसुओं के रूप में, इस अभिभाषण में उनकी सहायता के लिये कुछ रखा है।

माननीय, कौन सा ऐसा परिवार है, जहां कोई निराश्रित विधवा नहीं है। आज पहली बार सरकार का ध्यान इस ओर गया और सबके दिमाग में यह बात आयी कि निराश्रित विधवाओं का कल्याण करना है। सन् 1984-85 में एक लाख निराश्रित विधवाओं का पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक लाख नहीं बल्कि 6 करोड़ महिलाएं कृतज्ञ हैं। आपको भी कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि आपके भी घर में या आपके आस पास में जरूर कोई न कोई निराश्रित विधवा होंगी।

श्री राम सरन--

जब एक विधवा का हक विधवा ही खा जाय तो ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

महिलाओं को संरक्षण देने के लिये दीन दुखी महिलाओं के भविष्य को उज्जवल करने के सम्बन्ध में हमारी पार्टी ने आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही विचार करना आरम्भ कर दिया था। हमारी पार्टी की इस विषय में जो नीतियां हैं, वह सबको विदित ही हैं..

(व्यवधान)

आप महिला विरोधी हैं। मैं कहती हूं कि विपक्ष के एक नेता जब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने महिला मंगल योजना को अपनी कलम से समाप्त किया था। निराश्रित महिलाओं की नौकरियां चली गयीं, जब वे बेचारी जा कर उनसे मिलीं कि अब कैसे क्या करें। तो उन्होंने उनसे कहा कि जाइये आपका स्थान घर में है ...

(व्यवधान)

आपमें सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। यह मैं नहीं बोल रही हूं, यह भारत की 6 करोड़ महिलाएं बोल रही हैं। निराश्रित विधवाएं बोल रही हैं। आपकी लड़कियां बोल रही हैं, जिनको उनकी शादी के एक या दो साल के बाद मार दिया जाता है या घर से बाहर कर दिया जाता है। यह मेरे मुंह से आपकी बेटी बोल रही है, आप की मां, बोल रही है। आपकी बेटी, आपकी मां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और निराश्रित महिला मेरी जबान से बोल रही हूं । सी० आर० पी० सी० में परिवर्तन करने की हिम्मत उस पार्टी को है, जिसकी नेता स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी थी और आज जिसके नेता राजीव गांधी हैं । आज जिन महिलाओं को जला दिया जाता है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वे आपकी परिवार की, आपकी सम्बन्धी या आपकी पड़ोसी नहीं हैं ? क्या ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, जिनमें लड़की की शादी के बाद जला कर मार दिया जाता है ? (व्यवधान) खाना तो एक बड़ी बूढ़ी और अंधी महिला भी बनाती है, लेकिन वह आग से नहीं जलती है और एक नई दुल्हन को आग लग जाती है । तो उसके लिए हमने सी० आर० पी० सी० में परिवर्तन किया है । आप चाहे या न चाहें, आपके नेता चाहें या न चाहें, उसमें जांच होगी और महिलाओं को संरक्षण दिया जायेगा ।

मान्यवर, हमने बेटियों के लिए इंटर तक की शिक्षा निःशुल्क की है । कल ऐसा माननीय सदस्य विपक्ष की तरफ है जो नहीं चाहता है कि उसके घर की बेटी इंटर तक शिक्षा न पाये । लेकिन कभी आपने इस पर सोचा । हमारे नेता राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस बारे में सोचा और कहा कि इंटर तक फीस माफ होगी । हमारी नेता पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी थी और आज राजीव गांधी हैं, जिनके संरक्षण में महिलायें आगे बढ़ रही हैं । हमारे नेता जो हमारी नीतियों के उद्गार हैं, मानसरोवर हैं और जिनके मानसरोवर से आज हमारी योजनाओं का उद्गम हो रहा है जो महिलाओं शिशुओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं । हमारी नता श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने देश के लिए गंगा यमुना की धारा में, अपने खून की धारा मिला कर देश को पवित्र कर दिया है । तो जब तक सूरज चांद रहेगा (व्यवधान) मान्यवर, तब तक हमारी नेता का नाम रहेगा ।

*श्री अफजाल अंसारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुझे यह कहना है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक मुख्य मुद्दे को बिलकुल नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र से आया हूं । जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है । इस जिले का भारतवर्ष के अन्दर एक राजनैतिक महत्व भी है । स्वर्गीय डाक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वह गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के निवासी थे, स्वर्गीय डा० शिवपूजन राय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, जो तहसील हेडक्वार्टर मोहम्मदाबाद पर स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में अपने 8 साथियों के साथ शहीद हुए, इनके अतिरिक्त स्व० शहीद अब्दुल हमीद भी इसी गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, इन महानुभावों के होने के बावजूद आज भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों की सूची में आता है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने जनपद गाजीपुर में बाढ़ की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारा जनपद बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है और बाढ़ से प्रतिवर्ष जनपदों में तबाही आती है, जिसकी मिसाल अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगी । मान्यवर, गाजीपुर गंगा के किनारे पर बसा है जिससे प्रतिवर्ष गंगा में जब बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में, खासकर मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल तबाह और बरबाद हो जाते हैं, फसल समाप्त हो जाती है । हमारे जिले में मोहम्मदाबाद, गौसपुर, हरिहरपुर, बसाऊ का पुरा, शेरपुर, लालूपुर, जयनगर और बीरपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसे गांव हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं जिससे बाढ़ का पानी इन गांवों को प्रतिवर्ष उजाड़ देत हैं, मकान गिर जाते हैं और भारी जनधन की हानि होती है, इसलिये वहां बाढ़ से निपटने के लिये विशेष रूप से सरकार इस क्षेत्र में कोई ठोस कार्यक्रम बनाये ।

मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में सड़कों की हालत ठीक नहीं है, जिस पर ध्यान दे । मान्यवर जब बाढ़ आती है तो मोहम्मदाबाद जनपद से कट जाता है, यातायात के कोई भी साधन नहीं रहते हैं जिसके कारण वहां राहत कार्य नहीं हो सकते हैं । हमारे यहां कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां से कायदे से कोई सड़क पक्की सड़क से मिली हो महेन्द गांव की आबादी 15 हजार है, बाढ़ के समय ताजपुर गांव, जहां मार्केट है, 5-6 किलोमीटर की दूरी नाव से तय करके जनता खाने-पीने का सामान लाती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस महेन्द गांव को गाजीपुर, बलिया मार्ग से सड़क द्वारा जोड़ा जाये जिससे जनता को आवश्यक वस्तुयें खरीदने जाने में सुविधा हो सके ।

मान्यवर अब मैं अपने जिले में फैली बेरोजगारी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । हमारे जनपद में वैसे भी शिक्षा का अभाव है लेकिन वहां 14 प्रतिशत लोग शिक्षित माने जाते हैं किन्तु बेरोजगारी की हालत यह है कि बी0 ए0 और एम0 ए0 पास लड़के रिक्शा चलाते हैं । इसलिये सरकार इस पर ध्यान दे और मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कोई योजनाबद्ध तरीके से ठोस कार्यक्रम बनाये जायें ताकि हमारे क्षेत्र मोहम्मदाबाद का विकास हो सके ।

*श्री मोती राम--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, कांग्रेस पार्टी का 100 सालों का इतिहास है और लोक सभा के चुनाव में भी जो कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता की राय अपनी जाहिर किय वह सर्वविदित है । आज उसी के अनुरूप भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिये प्रान्त की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर आस्था रखते हुए बहुमत में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यहां चुनकर भेजा है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । हम उसके लिए जनता के बड़े आभारी हैं ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपने अभिभाषण में विचार व्यक्त किया है, उसमें अतीतकाल की रियासतों का भी उल्लेख किया है और जो भविष्य में कार्य होने हैं, उसकी भी चर्चा की है । जहां तक हमारे खाद्यान्न का विषय है, कृषि का विषय है, हमारा जिला नैनीताल एक ऐसा जिला है, जिसकी तलहटी में तराई और भावर क्षेत्र आते हैं और यह ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने अमेरिकी पी0 एल0-480 का मुंह बन्द किया है और इतना अधिक गल्ला पैदा किया कि आज देश में गल्ले की कोई कमी नहीं है । हमारे भावर क्षेत्र में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं । अभी कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने वहां पर जमनी बांध का शुभारम्भ किया था, लेकिन उसका निर्माण कार्य आजकल स्थगित है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसका कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये, ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके । जब तक यह कार्य किन्हीं कारणों से नहीं होता है तब तक ट्यूब वेलों के द्वारा नलकूपों आदि के द्वारा वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने बड़ी योजनाएं बनायी हैं । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी यह इकाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन इसके लिए दुःख के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ कहना पड़ता ह कि वहां के पढ़े-लिखे नौजवान लोग तकनीकी शिक्षा के अभाव में उसमें कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा का भी प्रसार हमारे पर्वतीय क्षेत्र में किया जाये, ताकि उससे लाभ उठाकर हमारे यहां के पढ़े-लिखे नौजवान लोग दूसरी जगह-बम्बई, कलकत्ता जाने का इरादा छोड़े और अपने यहां ही उनको रोजगार मिल सके।

युवा शक्ति की वृद्धि के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयत्न किया है, वह बहुत ही सुन्दर कार्य है और वहां पर पढ़े-लिखे लड़कों को रोजगार देने के लिए स्वतः रोजगार योजना बनायी गयी है, वह बहुत अच्छी योजना है। साथ ही उसके साथ जो खामियां हैं, उनको दूर किया जाये और नियमों में जो सख्तियां हैं उनको नरम किया जाय, ताकि आसानी से उनको ऋण मिल सके।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र में जो यातायात के साधन हैं, जो सरकारी रोडवेज की बसें वहां पर सरकार ने चलाई हैं, उसमें जो नई बसे दी गयी हैं, वह एक अच्छी बात है, लेकिन वहां पर प्राइवेट बस वालों-गढ़वाल मोटर यूनियन और कुमायूं मोटर यूनियन का भी अपना स्थान और महत्व है। उनकी बसों का भी अपना किस्सा है, जो वहां पर काफी मात्रा में चलती हैं और वर्षों से वहां के लोगों के यातायात का साधन बनी हुई है। आप इन यूनियनों और रोडवेज के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में प्रयास करें, जिससे यह दोनों क्षेत्र आपसी तालमेल के साथ ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकें और यूनियन और उससे सम्बन्धित लोगों की रोजी रोटी भी ठीक से चल सके। इसके साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री औसान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशी सिंह—

मैं भी बोहड़, दुर्गम क्षेत्र से चुनकर आया हूं और आप मुझे वहां की समस्याएं रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप पिछड़े क्षेत्र की बात कहने का जरा भी मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, इस तरह से नहीं।

श्री औसान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनाचार दुराचार, चोरी, डकैती और राहजनी को बाढ़ सी आ गई है। अभी हमारी दीदी जी कह रही थीं कि महिलाओं के साथ हमने बहुत कुछ किया है, किन्तु पिछले पांच वर्षों से महिलाओं के साथ जितने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और वह भी पुलिस के द्वारा हुए हैं, उतने आजादी के उतने सालों के इतिहास में कभी नहीं हुए हैं। तो मान्यवर, यह किस मुंह से महिलाओं की भलाई की बातें करती हैं। इनको लज्जा आनी चाहिये। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जो कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा और मैनपुरी के सरहदी क्षेत्र में आता है। हमारे यहां यातायात के साधन नहीं हैं, सिंचाई के साधन नहीं हैं। सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। हमारे यहां जल प्लावन की भयंकर समस्या है। जहां पर सिंचाई के साधन हैं वहां पर नहरों की अव्यवस्था के कारण जल प्लावन की समस्या पैदा हो गई है और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर बारहों महीने पानी भरा रहता है। पानी भरे रहने के कारण जमीन बंजर हो गयी है और खेतों में हाथी चारा घास पैदा हो गयी है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां की जनता तबाह हो गयी है। पानी भरा रहने

कारण फसल नहीं पैदा होती है जिसके कारण लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। विगत पांच सालों से माइनरों की कोई सफाई नहीं हुई है जिसके कारण उन्होंने नाले का रूप ले लिया है। माइनरों की सफाई के लिए जो पैसा आता है, वह सरकारी कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है या तो सत्तापक्ष के ठेकेदारों की जेब में चला जाता है।

बांधमऊ–शंकरपुर कसहरी, सिरयावां, कथावा, हरदू, पृथ्वीपुर, नुनारी, धुपकरी, उपरेंगा, मोरपुर, भग्गापुरवर, पूरा किचहईया, गोपालपुर, जीवा सरसी, दीपपुर, अटठेसा आदि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां की जनता तबाह हो गयी है। मान्यवर, इसी तरह से मैं यातायात के साधनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जिन सड़कों का निर्माण जनता शासन के दौरान हुआ था, वह जहां की तहां अधरी पड़ी हुई हैं। ताल की मिट्टी ताल में चली गयी है। खड़ंजे जो लगे थे वह टूट गये हैं। पुलिया अधूरी पड़ी हैं और आज कोई यातायात का साधन नहीं है। मान्यवर, लहरपुर, हरचंदपुर ऐसे गांव हैं जहां पर दो–दो इंटर कालेज चल रहे हैं। पुलिस चौकी है, सरकारी समिति है लेकिन 10 किलो मीटर तक आने–जाने का कोई साधन नहीं है। अगर किसान को अपनी उपज को बाजार ले जाना होता है तो 10 रुपये प्रति बोरी का किराया देना पड़ता है। मान्यवर, इन गांवों के परिवारों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता कि कौन वहां सर पर बक्सा रखकर जायेगा। तो इस तरह से लड़कियों की शादी अच्छे परिवारों में नहीं हो पाती है। यह हमारे क्षेत्र की हालत है और यह लोग विकास की बात करते हैं।

मान्यवर, इसी के साथ–साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां विधूना जनपद इटावा में बहुत से मार्ग हैं, दिबियापुर, इंदरगढ़ विधूना सहार विधूना–दिनवांमऊ याकूबपुर–सहायल सहार जगालपुर, याकूब–पुर मेला मउहूं, कैथावा–गहू, अछलदा–अटसू, अछलदा–महेवा, अछलदा मोहम्मदाबाद, अछलदा–बाहरपुर मार्ग हैं, जिन पर खड़ंजा हो गया है लेकिन डामर नहीं हुआ है। खड़ंजा टूट गया है और मिट्टी बहकर ताल में चली गयी है। इस प्रकार की स्थिति है और आप विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है प्रदेश का।

मान्यवर, मैं इस बारे से कहना चाहता हूं कि अशोकपुरी माइनर, बरहा माइनर, उगरआपुर माइनर, ताजपुर माइनर, कंचनपुरवा माइनर को ठीक कराने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, यही नहीं अब जो लाएंड आर्डर की पोजीशन है उसको मैं कहना चाहता हूं। अभी 5 तारीख को जब हमारे यहां मतदान समाप्त हो चुका था तो उसके बाद 7 बजे हमारे कार्यालय पर कुछ गुंडे मोटर साइकिल पर चढ़कर आये और बंदूक तथा राइफल से हमला किया। हमने थाने पर रिपोर्ट लिखवायी कारतूस बरामद हुये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही गुंडों के खिलाफ नहीं हुयी और सत्तापक्ष के लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है। यह स्थिति उस क्षेत्र की है। मान्यवर, हमको उस क्षेत्र के हरिजनों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने पूरा समर्थन दिया इसलिए उनके साथ बदले की भावना से सत्तापक्ष के लोग कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठ जायं।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनका विभाग कितना सक्षम है, कितना योग्य है उसका उदाहरण मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में विधूना में जो तहसील है वहां पर एक अस्पताल है। वहां पर 4 साल से कोई महिला डाक्टर नहीं है कोई महिला कम्पाउन्डर नहीं है। इस तर

स्वास्थ्य मन्त्री जी ध्यान देंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे । इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समय का ध्यान रखें, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

*श्रीमती रीना कुमारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ लिखा है वह इस प्रदेश की उन्नति का प्रतीक है । मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने, जो भी कुछ महिलाओं के लिए खासकर, विधवाओं के लिए किया है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है । हमारे प्रदेश में, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए खासकर जो विधवाओं के लिए पेंशन दी है, गत वर्ष 22 हजार विधवाओं को पेंशन दी गयी है, उसमें दो करोड़ से भी अधिक धनराशि इस्तेमाल हुई थी । हमारे प्रदेश में किसान भाइयों के सहयोग से गत वर्ष 110 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ था । यह एक रिकार्ड है । मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में, महिलाओं की शिक्षा के लिए जो किया गया है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है । हाई स्कूल तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त कर दी गयी है । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए एक सुझाव करना चाहती हूं कि जो स्त्रियां, जो लड़कियां अपने घरों से बाहर जाकर नौकरी करती हैं पढ़ाती हैं, उनके लिए जिला स्तर पर वर्किंग वीमेन्स हास्टल खोल दिये जायं, जिससे कि उनको रहने की व्यवस्था हो सके । इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री काशी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं कि मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं और उस क्षेत्र से आया हूं जिसकी एक सीमा नेपाल से और एक सीमा तिब्बत से मिलती है, को आपने बोलने का मौका दिया । जिस तरह से वह क्षेत्र सीमान्त जिले में है, उसी प्रकार विकास की सारी योजनाएं भी वहां तक पहुंचते-पहुंचते थक जाती हैं । सीमा से लग जो नेपाल का क्षेत्र है, उससे भी ज्यादा गये-गुजरे हमारे क्षेत्र के कई इलाके हैं । खास-तौर पर झूलाघाट, से बगड़ी हाट । मुंसियारी के कई क्षेत्रों में अभी भी मोटर रोड और चलने के सही रास्ते प्रस्तावित होने के बावजूद भी नहीं बन पाये हैं ।

मान्यवर, बहुत सी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में छूटी हैं, किन्तु चर्चा का समय कम है, इसलिए मैं उन्हीं मुद्दों का यहां पर उल्लेख करूंगा जो अत्यावश्यक है । अभी बरसात आने वाली है, लेकिन अभी तक पर्वतीय क्षेत्र सूखे की चपेट में है और जब वर्षा आयेगी, तो वहां बहुत सारे भू-स्खलन होंगे । ये भू-स्खलन मैदान में बाढ़ का तबाही लायेंगे । इन दोनों के समाधान के लिए कोई भी उपाय नहीं सुझाया गया है, इसका मुझे खेद है । पहाड़ में ओला-वृष्टि भी होती है जिसके लिए भी कारगर मुआवजे के लिए कोई गारण्टी नहीं है । पहाड़ में 0·5 हेक्टेयर की सीमा में जो अधिकांश जोते आती हैं, उनमें पहाड़ का कृषक क्या खेती कर पायेगा ? इसकी आमदनी का कोई अन्य जरिया भी नहीं है । कृषि के लिए सिंचाई, खाद व उन्नतशील बीज का समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हमारे प्रधान मन्त्री एवं कांग्रेस दल के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें 21वीं सदी के हिन्दुस्तान का निर्माण करना है, जबकि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वह उससे लगे हुए पर्वतीय क्षेत्रों के कई इलाकों का हिन्दुस्तान विकास के मामले में अभी 15वीं या 16वीं शताब्दी में है। जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, पर्वतीय क्षेत्र का औद्योगीकरण बड़े-बड़े तम-झाम के बावजूद भी लगभग नगण्य रहा है। वहां पर ऐसे उद्योग खोले जाने चाहिए जिनमें कच्चे माल के ढुलान में और तैयार माल के विपणन में कोई कठिनाई न हो, जैसे एलेक्ट्रानिक्स और ऊन संबंधी उद्योग एवं कागज की लुगदी के कारखाने, जिससे कि हम स्थानीय स्तर की बेरोजगारी को भी दूर कर सकें। बेरोजगारी की समस्या पहाड़ों में सबसे ज्यादा जटिल है।

मान्यवर, विद्युत और विद्युतीकरण की बात सरकार ने कही है, किन्तु पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय से दो किलो मीटर की दूरी पर स्थित बहुत बड़े गांव मढ़ (खड़ायत) तक में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। बलुआ कोट से वरमट तक 1975 में लाइन बिछ गई थी उसमें अभी तक बिजली नहीं आई और ऐसे कई उदाहरण इस क्षेत्र में हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी-बड़ी पनबिजली योजनाओं जैसे जमरानी बांध, टेहरी बांध आदि पर करोड़ों रुपया यूं ही खर्च किया जा चुका है जबकि माइक्रो हाइडिल योजना के अन्तर्गत आने वाली सुरिंग गाड जैसी छोटी कई परियोजनाओं के प्रति लापरवाही बरती जा रही है।

बेसिक शिक्षा की हालत बहुत ज्यादा गयी-गुजरी है बच्चों के लिए बैठने को भवन नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में सैकड़ों पद खाली हैं। इन सब समस्याओं के अलावा स्वास्थ्य परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन आदि बहुत सी समस्यायें हैं, जिनके बारे में मैं समयाभाव के कारण अभी उल्लेख नहीं कर पाया हूं उन्हें मैं आपके माध्यम से शासन को लिखकर दूंगा।

(व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मैं समझता हूं कि लोकमत और लोकअभिमत का अधिष्ठान उत्तर प्रदेश का विधान सभा है। उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ निवासियों की इच्छा और अभिलाषा की अभिव्यक्ति उनके विकास के बारे में जितनी भी योजनायें हैं, उनका यह स्थल है। यहां निरपेक्ष भाव से देखना चाहिये कि जो काम मौजूदा शासन कर रहा है, वह कितना कामयाब हुआ है कितना असफल, उसके आंकलन का, अवलोकन का, दिग्दर्शन का यह स्थान है और यहां सत्यभाषित होता है। राज्यपाल महोदय यहां पधारे, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना भाषण पढ़ा। इस बारे में मैं विरोध पक्ष की किसी बात का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह कहते हैं कि इन कारणों से उन्होंने पढ़ना नहीं चाहा, यह जो बात यहां कही गई है, यह आत्मविश्लेषण का विषय है। वह सत्य के अनुरूप व्यवस्था करते प्रतीत हो रहे थे, यह सत्य है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एशिया अफ्रीका, अमरीका और यूरोप के देशों में संन्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीति के वर्चस्व के अन्दर सेनाओं और सेवाओं को रखने का यहां यत्नपूर्वक प्रयास किया गया, यह हमारी उपलब्धियों में से क्या एक नहीं है। चुनाव में कहीं अनियमितता और गड़बड़ी हुई हो लेकिन जितने व्यापक आधार पर चुनाव का कार्य सारे देश और प्रदेश में निष्पन्न कराया गया, यह विकसित राष्ट्रों के लिए भी अनुकरणीय है, ईर्ष्या का विषय है। खेती के बारे में फैजाबाद के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी के शासन में उसकी वृद्धि हुई थी, मैं माने लेता हूं, लेकिन उसका कारण क्या है? शारदा सहायक योजना जब लाई गई तब वह 650 रुपये लागत की योजना थी। अब यह कदाचित, पक्का मैं नहीं जानता,

लगभग साढ़े 12 करोड़ से ऊपर की लागत की योजना है। इसका ही प्रतिफल जनता राज में कृषि के विकास में परिलक्षित होता है।

खेती के बारे में कहना चाहूंगा। खेती के लिए अच्छी सिंचाई, उन्नत बीज, अच्छी और पर्याप्त खाद और कीट-नाशक दवाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन कीटनाशक दवाइयों का किस मात्रा में प्रयोग करें और किस मात्रा में न करें, यह विषय विचारणीय है। विरोध पक्ष के लोगों ने जो आंकड़े दिये, मैं उसे अभिनन्दनीय मानता हूं। हमारे प्रदेश के खेती के आंकड़े माननीय सदस्य फैजाबाद ने दिए हैं। 72 करोड़ आबादी के लिए कितना अन्न चाहिये यह मैं जानता हूं। मैं खाद्य मन्त्री रह चुका हूं और अब फिर यह भार मुझे मिला है। जितने करोड़ की आबादी हो उसका पंचमांश करोड़ टन अनाज होना चाहिये। सत्तर करोड़ आबादी के लिए 14 करोड़ टन अनाज होना चाहिये। आज हमारे देश की आबादी लगभग 72 करोड़ है गतवर्ष 12 करोड़ 10 लाख मी0 टन का उत्पादन हुआ। इस फसल तक 15 करोड़ 30 लाख टन का उबलता हुआ भंडार इस देश को हम देंगे। इसका हमको श्रेय नहीं है, शासन को श्रेय नहीं है, इसका किसानों को श्रेय है जिनको हमने सहायता दी और वे अपने पैरों पर खड़े हुये।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आबादी का यह बोझ रूस और अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों पर होता तो दब जाते। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अमेरिका और रूस पर आबादी के विस्फोट का इतना जबरदस्त बोझ होता तो वह टूटते यदि नहीं तो दब अवश्य जाते। जो हम खेती और खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हुए हैं, इसमें आपका सहयोग है, हमारा सहयोग है। हम सब का सहयोग है। इतिहास को बिसराइये मत। इसमें सबका सहयोग है और प्रदेश के करोड़ों लोगों का योगदान है।

अब मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। उद्योग के विकास के लिए शासन ने उद्योग बन्धु की कल्पना को साकार किया।

(व्यवधान)

आकारहीन सिद्धान्त और सिद्धान्त हीन आकार दोनों निष्प्रयोजन हैं। हमारा पुराना देश है। प्रधान मन्त्री राजीव गांधी में सामर्थ्य है ताकत है और मुझमें इच्छा है। दोनों का सामंजस्य होना चाहिये। इच्छा और ताकत का जोड़ नहीं होगा तो समाजवाद कैसे आयेगा?

अधिष्ठाता महोदय, विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया लें। ढाई सालों तक जनता पार्टी का शासन था। वे सत्ता का विकेन्द्रीकरण और अर्थतंत्र का विकेन्द्रीकरण का काम पूरा नहीं कर सके। मामा बालेश्वर दयाल जी ने मुझसे दिल्ली में कहा कि जनता पार्टी की असफलता का सबसे बड़ा मुद्दा यह है उन्होंने विकेन्द्रीकरण की दिशा में कुछ नहीं किया। जब यहां पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंत्रिमन्डल था तो हर जिले को 5, 6, 7, 8 करोड़ दिया गया है। विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था लागू की। अवसर मिला जिला योजना तैयार करें। यह हमारा पहला कदम था। विश्वबन्धु और उद्योगबन्धु की संस्था को चलाकर उद्योगों को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया। हरिजनों के लिये पेयजल की समस्या है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में पानी की योजना होनी चाहिये, वाटर पालिसी होनी चाहिये। लेकिन हमको विचार करना चाहिये कि जब गंगा के प्रदूषण को रोकने का काम, उसके प्रदूषण को घटाने का काम हो रहा है तो यह उस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है।

श्री सरदार सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जो अपने विभाग पर बोल रहे हैं या वह मन्त्री की तरफ से जवाब दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहं हैं । डिबेट में माग ले रहे हैं ।

श्री वासुदेव सिंह--

आपकी बुद्धि की प्रखरता, उसकी तीव्रता और मन्दी पर यह निर्भर करता है कि मैं किस पर बोल रहा हूं । मैं इसलिये खड़ा हुआ कि नाम से तो नहीं पहचान के कुछ माननीय सदस्यों ने मेरी ओर कुछ धार्मिक संकेत की अभिव्यक्ति की । मैं उसके लिये खड़ा हुआ हूं । मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू का मुझसे ज्यादा समर्थक कोई नहीं है । सभी भाषाओं

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

से मुझे प्रेम है । लेकिन जब तक संविधान में 343 से 351 तक की धारायें हैं, उर्दू राज्य की दूसरी राज-भाषा नहीं हो सकती है और न होना चाहिये । 20 सैकड़ा आबादी का कोई समुदाय उर्दू भाषा का हो तो उसके लिये प्राविधान किया जा सकता है । लोक सभा में ऐसी घोषणा हुई है ।

(व्यवधान)

श्रीमन् मुसलमानों ने मुझे वोट दिया है और 9 मुसलमानों में से एक मुसलमान का भी वोट अगर आप मेरे क्षेत्र में ले जाय तो मैं जानू । सच तो यह है कि उर्दू के जो अखबार हैं, जो उर्दू के हिमायती हैं, उनको मैं खुली चुनौती देता हूं कि उन्होंने उर्दू के लिए क्य किया है ? मेरे बारे में जो उर्दू के अखबारों ने तारीफें छापी हैं, उसका आप अवलोकन करें । दूसरी बात यह है कि मैं उर्दू जानता हूं किसी से अधिक नहीं तो कम भी नहीं । मैं भाषाविद् हूं संस्कृत जानता हूं, हिन्दी जानता हूं, अंग्रेजी जानता हूं, उर्दू जानता हूं । एक-दो शायर हमारे आजमगढ़ के सदस्य जो सामने बैठे हैं, उन एक-दो को छोड़कर किसी से कम मैं उर्दू नहीं जानता हूं लेकिन उर्दू की पढ़ाई का इन्तजाम हो, उसके लिए अध्यापक का समुचित इन्तजाम हो, इसके लिए शासन कृत संकल्प है । इन शब्दों के साथ में राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कांग्रेस आई जो है, यह प्राइवेट लिमिटेड फर्म है । इस प्राइवेट लिमिटेड फर्म में देश का सब पूंजीपति घुसा है । मान्यवर, गरीब किसान मजदूर जो है वह चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में रहना चाहते हैं । एक बात मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यह हमारे उस तरफ के बैठे हुए जो लोग हैं, वे चुनाव के समय बिलकुल झूठे वादे करते हैं, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं । 1977 में नेता सदन ने कहा था कि झंझर से बिवियांपुर मार्ग पक्का बनवा दिया जायेगा । दूसरी बात रूरा कस्बे की थी जिसे उन्होंने कहा था कि कानपुर देहात घोषित कर दिया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यह दोनों काम नहीं हुए तो मैं समझूंगा कि यह

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

इन शब्दों को निकाल दिया जायगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में निष्पक्ष चुनाव हुए थे । इंदिरा जी के समय कुछ कम रहा लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

राजीव गांधी के समय में घोर अनियमितता हुई, बूथ कैपचरिंग हुई, जिससे यह चुनकर आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

यह सब कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, यह लोग व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, मेरा समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

समय तो बढ़ा दिया जायगा लेकिन आप किसी का इस तरह से नाम न लें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, जनता पार्टी और लोकदल के शासन में प्रदेश भर में मार्गों का जाल बिछा दिया गया था, लेकिन उधर के बैठने वाले उनमें अब तक मिट्टी तक नहीं डलवा सके हैं । इनको शर्म आनी चाहिये, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिये कि सड़कों पर मिट्टी तक नहीं डलवा पाये हैं । अधूरे काम को पूरा नहीं करा पाये हैं । मान्यवर, दूसरी चीज प्रदेश में जनता पार्टी और लोकदल के शासन ने जितने नलकूप लगाए थे, वे बन्द पड़े हैं। ये, मान्यवर, उनकी मरम्मत तक नहीं करवा पाये । मान्यवर, प्रदेश भर में प्राइमरी पाठशालाएं अधूरी पड़ी हैं, ये उनकी भी मरम्मत नहीं करवा पाये हैं, तो भी शासन में बैठने के अधिकारी हैं । सामने दीदी बैठी हैं, अभी बहुत जोर से बोल रही थीं, समाजवाद का नारा दे रही थीं ।

[×××]

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है और सब-जुडिस है । इसलिये मान्यवर, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं कार्यवाही को देख लूंगा और उन शब्दों को निकलवा दूंगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा था, मैं तो महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहा था कि ये अपनी जायदाद में आधी मालियत के मकान-जमीन का बंटवारा नहीं दे रही हैं । मुकदमा लड़ रही हैं और महिलाओं की आजादी की बात करती हैं । आप इनको सलाह दें कि जनता पार्टी ने जो काम किये थे, उनको ये पूरा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त, आप बैठिये ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, ये बूथ कैपचरिंग के बल पर चुनाव जीते हैं । ये लाठी डण्डे के बल पर जीत कर आये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, एक भी शब्द अब नहीं लिखा जायगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

[×××]

(व्यवधान)

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कायवाही से निकाल दिया गया ।

के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि श्री राज्यपाल ने जो सरकार की नीतियां और कार्यक्रम इस सदन को अवगत कराये हैं, वह इस प्रदेश और देश के विकास के लिये बहुत मुनासिब हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं और उस पर संतोष व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं।

श्रीमन्, इंदिरा जी के लिए जो खराजे अकीदत पेश की गयी, यह जरूरी थी और उसके लिए भी मैं श्री राज्यपाल का शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि वह एक ऐसी शख्सियत थीं, जिन्होंने इस देश की प्रगति, खुशहाली और अखंडता की रक्षा के लिये अपनी कुर्बानी दे दी। इंदिरा जी वह शख्सियत थीं, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और न सिर्फ हिन्दुस्तान की एक-एक इंच सरजमीन पर वरन् आसमान की बुलन्दियों पर भारत का यह तिरंगा झंडा फहराया था, जिसके नीचे हमारे पूर्वजों ने जंग, आजादी लड़ी थी और इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी का क्यादत में समुद्र की तूफानी मौजों में, अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टानों में, इस देश ने अपना झंडा फहराया है। दुनिया के 125 मुल्कों ने भारत के नेतृत्व को कबूल किया है। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि उत्तर प्रदेश की इस महान वीरांगना ने देश की अखंडता के लिये अपनी कुर्बानी दे दी। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जब हम श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के सुमन पहुंचाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इस सचिवालय और विधान भवन के नाम को बदल कर श्रीमती इंदिरा गांधी भवन कर दिया जाय। वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह वही उत्तर प्रदेश है, जहां लोगों को बड़ा हुआ गेहूं और घटिया किस्म की सोनी मिलती थी, किसानों का गन्ना खेतों में सूख जाता था, खेतों में गन्ना जला दिया जाता था जब कि किसानों का बेटा कहलाने वाले लोगों के हाथ में देश की बागडोर थी। लेकिन जब कि आज देश और प्रदेश तरक्की और बहबूदी की ओर अग्रसर हो रहा है तो वही लोग यह कहते हैं कि इस सरकार की पालिसी गलत है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में नये-नये तरीके ईजाद नहीं किये हैं, नई सड़कें नहीं बनायी गयी हैं, पुरानी सड़कों को पक्का और चौड़ा नहीं किया गया है? मैं इसके लिये माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को बधाई दूंगा। इस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में काफी तरक्की की है, नये अस्पताल खोले गये हैं, केन्द्र, उप-केन्द्र और परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं, इलाज के नये-नये तरीकों का ईजाद किया गया है। परिवहन विभाग में सालों से जो यहां पर बसें चल रही थी हमारे माननीय मंत्री श्री संजय सिंह के नेतृत्व में, बड़ी खूबसूरती के साथ उसमें बदलाव आया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके मजबूत और सक्षम नेतृत्व में प्रदेश का परिवहन विभाग और तरक्की तथा सुधार करेगा। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह से पर्वतीय विकास निगम और दूसरे निगम बने हैं उसी तरह से कछार माझा दोआबा के लोगों के लिए कछार माझा विकास निगम की स्थापना की जाय।

विद्यालयों और अस्पतालों के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर विद्यालयों और अस्पतालों का विकेन्द्रीकरण किया जाय और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक महाविद्यालय और एक महिला विद्यालय की स्थापना की जाय तथा एक बड़ा महिला एवं पुरुष अस्पताल खोला जाय। इससे शहरों पर गांवों से जाने वालों का भार कम होगा तथा हमको काफी आसानी हो जायेगी प्रदेश को आगे ले जाने में। इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण हुआ है उसके धन्यवाद

प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बड़ी देर के बाद आपने मेरी अर्ज सुन ली और मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, गांधी जी के देश में इस सरकार ने लोकशाही का गला घोंट दिया है । पांच सालों से यह सरकार गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के काम में जुटी रही । जिस तरह से एन0 टी0 रामाराव की सरकार गिराई, फारूख अब्दुल्ला की सरकार को जोर-जबरदस्ती से गिराया, उससे इस प्रदेश और देश में लोकशाही की रक्षा कैसे कायम रह सकती है ? कैसे भ्रष्टाचार कम हो सकता है ? आज तक हुकूमत इसी काम में डूबी हुई है तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसको अगुवाई भजनलाल जैसे लोग करते हों, जो दल-बदल का विधेयक अपने लिये बनाते हों । इस बात को सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा है ।

मान्यवर, जिस पार्टी के लोगों में अंतुले जैसे लोग हों, जिन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया हो, उस हुकूमत से क्या अपेक्षा की जा सकती है ? जिस पार्टी के महामंत्री और भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जिन्हें सारा प्रदेश और देश जानता है, जिन्होंने प्रदेश की छवि को धूमिल किया है, शर्म आती है यह कहते हुए कि श्री बच्चा पाठक सहकारिता मंत्री को छोटी तिजोरी से 26 लाख रुपये चोरी चले गये । इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ों रुपये का घोटाला मंत्रियों ने किया होगा । मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है, वह सत्य से परे है और मिथ्या भाषण है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक लोक सुरक्षा का सवाल है, मान्यवर, यह शासन इस निमित्त पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है । जो शासन अपने देश की प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सका वह आम अवाम की रक्षा क्या कर सकता है । लखनऊ मण्डल में प्रति घंटे एक व्यक्ति की हत्या हो रही है । कोई ऐसा दिन नहीं होता, जिस दिन हत्याओं का सिलसिला न लगा रहता हो । किसी भी आप जिला अस्पताल में जायें 10-15 लाशें वहां पड़ी सड़ रही होंगी । आज तक यह शासन उनके बारे में गंभीरता से नहीं सोच सका है । मान्यवर, मैं आपराधिक स्थिति की बाबत एक लेखा-जोखा आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं । मान्यवर, 1984 में प्रदेश में 2,735 डकैतियां पड़ीं । 1983 में यह 2,075 थी । इस तरह से 700 डकैतियों का इजाफा इस सरकार के कार्यकाल में हुआ । लूट की घटनायें 1983 में 4,502 थीं 1984 में यह बढ़कर 6177 हो गयीं । यह प्रगतिशील सरकार के कारनामें हैं । मान्यवर, इतना ही नहीं 1984 में 6,218 कत्ल हुए ।

मान्यवर, इसी तरह से त्वरित न्याय दिलाने की बात माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कही है । मान्यवर, 212453 मुकदमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं । मान्यवर, 17,000 हजार से अधिक राजस्व के मुकदमें विचाराधीन हैं । जिलों के न्यायालयों में न जाने कितने मुकदमें विचाराधीन हैं । जहां एक त्वरित न्याय मिलना चाहिये, वहां इस व्यवस्था के तहत 8-10 साल न्याय में लग जाते हैं । मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है । लेकिन जजों के तमाम पद रिक्त हैं, जजों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं । इन नियुक्तियों के न होने से सारे मुकदमें अभी लम्बित पड़े हुए हैं । इसके अतिरिक्त कहना चाहूंगा कि 52 लाख से अधिक बुनकर बेरोजगार पड़े हुए हैं । सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, मैं कहना चाहूंगा कि आज तमाम जिले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, हरदोई जनपद भी इनमें से एक है । औद्योगीकरण के नाम पर वहां पर एक बहुत पुरानी चीनी मिल है, जो अक्सर बन्द पड़ी रहती है । किसी सीजन में चलती है तो किसी सीजन में बन्द हो जाती है । कभी सरकार उसका अधिग्रहण करती है तो कभी उसको वापस कर देती है । करोड़ों रुपयों का भुगतान का बकाया है । मान्यवर, मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय द्वारा हरदोई जनपद के ओद्योगीकरण की बाबत इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया । मान्यवर, जनता सरकार के समय में एक वनस्पति मिल संडीला में लगी । तीन साल के बाद चलती हुई हालत में उसका एक प्रभावशाली व्यक्ति से उद्घाटन कराया गया । उद्घाटन होने के बाद तुरन्त ही वह चलती हुई मिल बन्द हो गयी, उसमें काम ठप हो गया । अब उसकी चिमनी से धुआं नहीं निकलता दिखायी पड़ता । मान्यवर, हरदोई जनपद औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ जिला है, वहां औद्योगीकरण की आवश्यकता है, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त । आप बैठें ।

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया ।

श्री विजय सिंह राणा—

जरा संयम से बोलिये ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, कुछ मोटे लोगों की बुद्धि भी मोटी होती है । राणा साहब भी मोटे हैं । मान्यवर, यह आगरा जनपद से हैं, इसलिए इनकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने इसलिए भी खड़ा हूं कि जब 1980 में चुनकर आया था तो यह इधर से उधर जा रहे थे । जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं थी । एक जनता पार्टी का सर्कस जरूर था । उसके तम्बू खंभे गड़े थे और यह इधर से उधर चले गये थे । मान्यवर, यह तो चले गये थे लेकिन जाने के पहले इन्होंने कुछ अपने प्रतिनिधि राजदूत हमारे पास छोड़ दिये थे। छविराम, पोथी, मलखान । मान्यवर, हमें विरासत में दिया गया था गुनाहों की आग में जलता हुआ उत्तर प्रदेश । लेकिन, हमारी सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया । प्रदेश की जनता से हमने जो वायदा किया था उसे पूरा किया । 200 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह एक बड़ा कदम उठाया था और आपके सारे साथियों को यहां से रुखसत कर दिया ।

मान्यवर, दूसरा राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए इसलिए भी खड़ा हुआ हूं कि मुझे याद आता है कि जब इन्होंने जनता सरकार बनायी थी, तो वह भूलचूक में सरकार बना गये थे, उस समय इनकी हालत यह थी कि ये थानेदार व तहसीलदार के सामने कांप जाया करते थे । ये जब कभी तहसीलदार की अदालत में जाते थे तो चपरासी इन्हें बाहर बैठा देता था, अन्दर नहीं जाने देता था और जब विधान सभा के गलियारे में आये तो सचिव के सामने कुर्सी से उठ जाया करते थे । इन्हीं के जमाने में अफसरशाही बढ़ गयी थी परन्तु हमने उस अफसरशाही पर अंकुश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगाया और उनसे कहा कि वे लोग प्रदेश के हित से जुड़ें ।

मान्यवर, सत्य कहूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा । मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बच्चा पाठक का नाम ये बेकार ले रहे हैं । इनके दायें व बायें कितने मौजूद हैं पता नहीं । ये अपने आपको किसानों का बेटा कहते हैं लेकिन ये उस आग को भूल गये, जब किसानों के गन्ने को खेतों में जला दिया गया था । आप लोग अपने को किसानों का मसीहा कहते हैं । आपने 8 रुपये कुन्टल गन्ने का मूल्य दिया, हमने उसे बढ़ाकर 21 से 22 रुपये किया । मैं एक बात कहूं शायद राणा जी उसका समर्थन करेंगे और शायद गुप्ता जी का दल उससे नाराज हो जाये । साम्प्रदायिक दंगों की बात चलायी जाती है । अलीगढ़ में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ, मैं दृढ़ता के साथ और साहस के साथ कह सकता हूं कि उसमें आपकी ही सरकार का हाथ था । आपके ही सरकार के एक अध्यक्ष को उसमें दोषी पाया गया था, मगर उस मामले को आपने वहीं खत्म कर दिया । यदि आप में हिम्मत थी तो आप उसे अदालत में ले जाते और न्यायालय से उसे आप बरी करवाते । मगर आपने बेगुनाहों के खून को छिपा लिया । बिहार के जमशेदपुर में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ, उसमें आपके दल का एक विधायक भी शामिल था, जिस पर उस दंगे में शामिल होने का इलजाम लगाया गया था ।

हरिजनों के आप पुराने दुश्मन रहे हैं । बूथ कैप्चरिंग का बड़ा रोना रोये जा रहे हैं आप । बचपन के एक किस्से की याद आती है कि अंगूर न मिले तो खट्टे हुआ ही करते हैं । सुना करते थे पश्चिम के एक जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग हुई । तो बूथ कैप्चरिंग के जन्मदाता तो आप लोग हैं और आज जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है ।

मान्यवर, हर मां की एक इच्छा है कि उसे एक सपूत मिले । भारत माता को एक सपूत मिला लेकिन जनता पार्टी के रूप में उसे एक कपूत मिल गया जिसने सालों की कमाई, चीन युद्ध के दौरान जिन मां-बहनों ने अपने हाथ के कंगन व आभूषण दे दिये थे, को इन लोगों ने बरबाद कर दिया और उसका दुरुपयोग किया । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अभी थोड़ी देर पहले माननीय वासुदेव सिंह जी का भाषण सुना, यह बात सही है कि आज हमारा देश विश्व के 7 शक्तिशाली देशों में एक है, यह बात भी सही है कि टेक्निकल नो-हाऊ में हमारा देश विश्व के 5 देशों में एक है लेकिन यह भी सही है कि हमारे देश के अन्दर आज 70 करोड़ की जनसंख्या में से 38 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं और यह भी सही है कि हमारे देश के अन्दर आजादी के इतने सालों के बाद भी 27 फीसदी लोग ही शिक्षित हो पाये हैं । जो लोग टेलीविजन और कम्प्यूटर से भूखा पेट भरने की बात कहते हैं, उनको सुनने का साहस नहीं है । इस अभिभाषण में कहा गया है कि माननीय लोकपति जी, पूर्वी जिले में जाकर देखें, ऐसे-ऐसे परिवार हैं जहां अगर दो महिलायें हैं एक परिवार में तो उनके पहनने के लिए केवल एक धोती है...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कृषि की प्रगति के बारे में कहा गया हमारी 70 करोड़ जनता को पेट भरने के लिए अन्न का उत्पादन होता है, 15 करोड़ टन का उत्पादन हो चुका है। लेकिन मान्यवर, जो इसका उत्पादन करता है, किसान उनके बारे में इस सरकार की जो नीति है, वह किसी से छिपी नहीं है। जो वस्तुएं किसान के अन्न उत्पादन में कम आती हैं उनके मूल्य जिस तेजी से बढ़े हैं, उस तरह किसान जो उत्पादन करता है, उनके मूल्य स्थिर हैं। तो मेरा सरकार पर आरोप है कि किसानों के लिए इस सरकार का रुख असम्मानपूर्ण है।

औद्योगिक विकास के लिए भी कहा गया। यह बात सही है कि उद्योग में निवेश पूंजी बढ़ी है लेकिन यह बात भी सही है कि जो भी पूंजी निवेश हुआ है उसका 50 फीसदी अनुत्पादकता में है। तमाम पूंजी चाहे वह सरकार ने दी हो चाहे निजी व्यक्तियों में, आज भी वह सरकार की नीतियों के कारण उत्पादन नहीं कर रही है तथा डेड पड़ी है।

सारे प्रदेश को मालूम है आज प्रदेश के अन्दर विद्युत की क्या व्यवस्था है। प्रदेश के किसानों की फसल जल रही है, उद्योगों में तीन दिन बन्द रहती है लेकिन वह बात दूसरी है कि डालमिया और नोएडा के उद्योग दिन-रात चल रहे हैं। जो पूंजी लगी है। विद्युत के न होने से, इस सरकार की नाकामयाबी से उत्पादन क्षमता का चौथाई ही हो रहा है। तमाम सरकारी संस्थान घाटे में हैं। बही स्थिति है कि चारों तरफ किसी सेनापति ने युद्ध का मोर्चा कायम कर रखा हो और हर तरफ से उसको मुंह की खानी पड़ी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चुनाव के बारे में, बूथ कैप्चरिंग का जिक्र नहीं करता लेकिन मैं अपने क्षेत्र बुलन्दशहर के बारे में और उसके आस-पास के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पिछले तीन चुनाव को देख चुका हूं हमारे जिले और आस-पास में भावना फैलती है और वह होती है हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य की। जो लोग इसको बढ़ाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे नारे लिखने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे और सख्ती से पेश आये क्योंकि देश की अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है। इसके साथ ही मैं एक बार और आपका आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जघन्य हत्याकान्ड पर अफसोस प्रकट किया है, उस पर सदन ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को सर्वसम्मति से श्रद्धांजलि दी है, इस पर मैं इस सदन को बधाई देता हूं। दूसरे प्वाइंट पर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने और उनके साथियों ने बार-बार यह दोहराया है कि प्रदेश में और देश में स्थान-स्थान पर 'बूथ कैप्चरिंग' की गयी है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहता हूं कि अगर देश में या प्रदेश में "बूथ कैप्चरिंग" की गयी होती, अगर अव्यवस्था की गयी होती तो नेता विरोधी दल, इस समय विरोधी दल के नेता नहीं होते। अपने जिले में चाय की दुकान पर बैठकर "बूथ कैप्चरिंग" का रोना रो रहे होते।

विरोधी दल के लोग कहते हैं कि देश से गरीबी नहीं मिटी है और अव्यवस्था बढ़ी है, मैं गाजीपुर जनपद का निवासी हूं। वर्ष 1962 में जनपद से माननीय गहमरी जी एम0 पी0 हुए थे। उन्होंने संसद में अपना भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि गाजीपुर के गरीब लोग गुबरौला से निकला हुआ अनाज खाते हैं। उन्होंने बताया था कि गाजीपुर में लोग चोटा रस पी कर जीवित रहते हैं। चोटा जो जमीन पर गिरा रहता था, वहां पर एक ओर तो गरीबों के बच्चे चोटे चाटते थे, और दूसरी ओर कुत्ते उसको चाटते थे लेकिन आज वही गाजीपुर है। मैं, आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय गहमरी जी के प्रस्ताव पर स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का आंखों में आंसू आ गये थे और उन्होंने गाजीपुर की गरीबी दूर करने के लिए पटेल आयोग का गठन किया था। पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत कर दी। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे वह दोनों नेता नहीं रहे। फिर भी पटेल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा सा काम हुआ गाजीपुर में। आज गाजीपुर में चोटा पीने वाले लोग नहीं हैं, गुबरौला खाने वाले लोग नहीं हैं। आज सिंचाई की व्यवस्था हो जाने के कारण अधिक अन्न उपजाया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत से कार्य बाकी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, मैं जल पर रहता हूं, थल वालों को आपने बहुत समय दिया है, मुझे भी समय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने का समय निर्धारित है, जल और थल नहीं देखा जायगा।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मनोहर लाल जी ने एक बात कही कि सरकार ने हरिजनों आदि के लिए कोई काम नहीं किया। उसी बीच में उन्होंने कहा कि जल श्रमिकों के लिए भी कोई काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जल श्रमिकों के विशाल समुदाय के प्रति जिसमें केवट, मल्लाह बिन्द आदि भी आते हैं, इनके पक्ष में बहुत से शासनादेश बनाये गये थे। शासनादेश के आधार पर ही आज पूरे प्रदेश में फेरी घाटों का ठेका इनके हाथ में है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बालू का भी शासनादेश निकाला गया है। नदियों के तट पर जो बालू निकलती है उसे बेचने का इस सरकार ने उन्हें हक दिया है। इससे प्रदेश के 72 लाख निषाद इस शासनादेश के आधार पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। श्रीमन्, मनोहर लाल जी राज्य मंत्री जो भी रह चुके हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस जल श्रमिकों के प्रति, इस समुदाय के प्रति एक भी शब्द उठायें। श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह—

मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि कई बार खड़े होने के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, समय बहुत कम है। मान्यवर, मैंने बड़ी गंभीरता से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा और अब तक जितने भी अभिभाषण हुए, सब से अधिक दिशा हीन और संकल्पहीन इसको पाया। मैंने बहुत सोचा तो यही पाया कि किसी साध्य को पाने के लिए साधन होना चाहिए। यदि साधन सही हैं तो साध्य भी ठीक रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। अगर साधन गलत हैं तो

कभी भी सफलता नहीं मिलेगी । मान्यवर, यह सरकार गलत साधनों से आई है । महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण विशाहीन भाषण है, जिसको उन्होंने इस सम्मानित सदन में पढ़ा भी नहीं ।

मान्यवर, गत चुनावों में जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने इस तरह का कार्य किया है जैसे वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हों । जितने भी असामाजिक तत्व थ सब मिल गय और दोनों ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग कर वोट डलवा लिये और सरकार बनवा ली । मान्यवर, हमारे पत्रकार महोदय एक स्थान पर गये, जहां हमारे एक देश के बहुत बड़े नेता लड़ रहे थे, वहां कुछ बूथ कैप्चरिंग के फोटो लिये । वहां एक आदमी बहुत से बैलेट पेपर लेकर बैठा था और एक हाथ से पंजे पर मोहर लगा रहा था । पत्रकारों ने जब फोटो लिये तो मान्यवर, उनको मारा गया । जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 ने धमकी दी और जब वह लखनऊ आये तो उनसे कहा गया कि कितना ही पैसा ले लें लेकिन इस फोटो को प्रकाशित न करें, अगर ऐसा नहीं किया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे । इस तरह की धमकियां दी गयीं, यहां के मंत्री द्वारा । मान्यवर, अगर आप 25 दिसम्बर से 30 दिसम्बर का जनसत्ता पढ़ें तो स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह से लोकतन्त्र की हत्या की गई है ।

मंत्राणी जी ने महिलाओं के बारे में कहा । विधवा के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, इस सरकार ने विधवा को किस तरह से बूथ कैप्चरिंग कर हराया । अगर उसका बयान जनसत्ता में 25 तारीख का आप पढ़ लें, तो आपको बड़ी हैरत होगी । मान्यवर, इनके निगम घाटे में चल रहे हैं यदि आंकड़ों से देखा जाय । यहां पर हरिजनों की बात हो रही है, परन्तु हरिजन महिलाओं के साथ सर्वाधिक बलात्कार हुए हैं । परिवहन निगम को देखिये तो ढाई हजार बसें सड़कों पर नहीं हैं, इतनी उनकी दुर्दशा है । सड़कें, सिंचाई के साधन, बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकासी किसी को भी ठीक से व्यवस्था नहीं है और न ये कर पाये हैं । अस्पतालों को देखिये तो वहां दवाइयां नहीं हैं । हर क्षेत्र भ्रष्टाचार से सराबोर है । अतः मैं संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त ।

श्री सतीश अजमानी--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, चार दिन हो गये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होते हुए और हमारे विरोधी दल के लोग दो और दो को पांच सिद्ध करने में बराबर लगे हुए हैं । सत्य से परे हट कर ये यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ऋषि-मुनि, बुद्ध और गौतम चुनकर आये हैं, वे उधर विरोध में ही आये हैं ।

मान्यवर, लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले ये लोग, जो स्वयं नहीं जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, वह इसकी क्या बात करेंगे । महामहिम राज्यपाल के यहां आने पर, लोकतंत्र की रक्षा करने की कोई बात इनके द्वारा की गयी थी ? बन्चों पर चढ़ कर नारे लगाना, मेजों पर खड़े हो कर तीन-तीन अधिष्ठाता महोदय को यह कहना कि आप कुर्सी से नीचे उतर आयें, इनकी भाषा में इसे लोकतंत्र कहते होंगे । दूसरों को लोकतन्त्र के सिद्धान्त बतला रहे हैं ।

विरोधी पक्ष के लोग यहां बराबर बूथ कैप्चरिंग की बात कह रहे हैं । मैं कहता हूं कि चोरी हमने की, माल उनके पास पकड़ा गया । कहावत है कि जिसके पास माल मिले वही चोर है । मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि

माननीय नेता विरोधी दल के पास माल कैसे पहुंचा ? बैलेट पेपर कैसे उनके पास पहुंचे ? इस पर कार्यवाही की जाय । इनको सी0 अ.ई0 डी0 इन्क्वायरी की जानी चाहिये । यदि हमने बूथ कैप्चरिंग की होती तो सन् 1977 में स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता से चली न गयी होतीं । यदि हमने बूथ कैप्चरिंग किया होता तो मान्यवर, नेता विरोधी दल, श्री मुलायम सिंह आज यहां इस कुर्सी पर न बैठे होते । इससे साफ जाहिर है कि बूथ कैप्चरिंग उन्होंने की । माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत से कत्ल, चोरी और डाके के आंकड़े अपने भाषण में दिये हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि 1977 में जब उनकी सरकार आयी तो उसने चोरों को चोरी करने की आजादी दे दी, डाकुओं को डाका डालने की आजादी दे दी । जिन-जिन को हमने पकड़ा था, उनको इन्होंने छोड़ दिया और मंच पर बैठा कर उनके गले में हार डाल रहे थे इनके नेता ।

मान्यवर, हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमने हरिजनों के लिये कोई काम नहीं किया । देश की सारी गरीब जनता के लिये हमने कोई काम नहीं किया, निरन्तर यह आक्षेप हम पर लगाये जा रहे हैं । गरीब जनता के लिये अगर हमने कोई काम न किया होता तो आज....

श्री अधिष्ठाता--

अजमानी साहेब, आप बैठ जायं, कुशवाहा जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं कि छबिराम के साथ तो ये ही रहते थे । उसके साथ डाके डालते थे ।

श्री अधिष्ठाता....

यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री सतीश अजमानी --

मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि हमने देश की गरीब जनता के लिये कोई सेवा न की होती, गरीबी हटाने के लिये कोई प्रयास न किया होता या हमने कोई अच्छा काम न किया होता तो आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार यहां न होती बल्कि इनकी सरकार होती । यह सबसे बड़ा उदाहरण है देश की गरीब जनता के उत्थान के लिए, स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी ने काम किया और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री राजीव गांधी अब देश की गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता....

अब एक मिनट में आप समाप्त करें । संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, हमारे देश के प्रधान मंत्री देश की अखण्डता के लिए काम कर रहे हैं, देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए हमारी सरकार काम कर रही है । जब 1977 से 1980 तक इनकी सरकार आयी तो ये एक दूसरे के उपर लांछन लगाते रहे । इसके अलावा और कोई काम नहीं कर पाये । हम 38 वर्षों से राज कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं । यह अपने आपमें स्पष्ट उदाहरण है कि देश की सेवा कौन कर रहा है । इससे इनको सबक लेना चाहिये । अंत में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री देव कुमार यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, हमें अवसर नहीं दे रहे हैं, यह पक्षपात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सुखपाल जी आप सुख दीजिये, आपको अवसर मिलेगा ।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, सत्ता दल के लोग बड़े दावे कर रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सी उपलब्धियों की चर्चा की गयी है, जो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस दौर में आज यह देश पहुच गया है और जितना अपार बहुमत और विश्वास सौभाग्य से आपको मिला है, उससे इस प्रदेश और देश की जनता जो आपसे आशा करती है उसको ध्यान में रखें । इमरजेंसी के दौरान स्व0 प्रधान मन्त्री जी ने संविधान में एक संशोधन पेश किया था और यह कहा था कि हमारा संविधान समाजवादी गणतंत्र होगा । लेकिन मान्यवर, मैं शासन से आग्रह करना चाहता हू कि हमको राज्यपाल के अभिभाषण में यह उम्मीद थी कि सरकार उन समाजवादी कदमों की कुछ चर्चा करेगी ।

मान्यवर, हम वर्षों से जद्दोजहद कर रहे थे कि प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन उसे बिल्कुल चर्चा के विषय से हटा दिया गया है । केवल 20 सूत्री कार्यक्रम की ही चर्चा की गयी, बैंकों का राष्ट्रीकरण जो इंदिरा गांधी ने बेरोजगारी के हल के लिए किया था, न उसके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा और न प्रांतीय सरकार द्वारा कोई चर्चा की गयी । आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है । बिना समाजवादी कदमों के, बिना अर्थ व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है । जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि 'आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ।' मैं कहना चाहता हूं कि आज वह दौर आ गया है जब रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, का नारा देना पड़ेगा । केन्द्र और प्रदेश सरकारों को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद में संविधान में संशोधन कर इसे जोड़ना होगा । अगर सरकार यह नहीं करती है तो बेरोजगारी की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी ।

मान्यवर, इस प्रदेश में विद्युत् संकट और कानून व्यवस्था के संकट का उभय पक्षों ने जिक्र किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका एक मिनट का समय और रह गया है । अपनी बात संक्षेप में करें ।

श्री देव कुमार यादव--

मैं शासन का ध्यान बुंदेलखण्ड की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समय का ध्यान रखें ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, पूर्वी जिलों के विकास के लिये पटेल कमीशन की स्थापना की गयी थी । जिसके तहत वहां के विकास की कुछ योजनायें बनी थीं और 1974 में तथा उसके बाद 1980 में मैं यहां जब चुनकर आया तो लगातार शासन से मांग करता रहा कि बुंदेलखण्ड के विकास के लिये बुंदेलखण्ड विकास आयोग की स्थापना की जाये लेकिन नहीं की गयी और न पटेल कमीशन की सिफारिशें ही लागू की गयीं । मान्यवर, हमीरपुर में एक कमेटी में श्री नारायन दत्त तिवारी जी गये थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुंदेलखण्ड विकास आयोग गठित किया जाना चाहिए लेकिन बाद में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया और बुंदेलखण्ड विकास आयोग की स्थापना नहीं की गयी जिससे बुंदेलखण्ड की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जायं ।

श्री देव कुमार यादव---

मान्यवर, एक अहम समस्या हमारे जिले में है कि केन नहर जल विवाद मध्य प्रदेश से चल रहा है जिससे पूरा बांदा जिला सूख गया है और फसलें नष्ट हो गयी हैं ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में जो विकास और विकासशील योजनाओं को आगे बढ़ाया है वह वास्तव में सराहनीय कार्य है । मैं पिछले 4-5 दिनों से अपने विपक्षी भाइयों को प्रजातंत्र और किसानों की दोहाई देते हुए सुन रहा हूं । 1977 का वह साल मेरे तमाम सदस्यों को याद होगा जिस समय किसानों की हमदर्दी करने वाले यह लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस समय खड़े हुये गन्ने के खेतों में आग लगायी जा रही थी, तो उस समय इनके दल के नेता, जो कार्यवाहक प्रधान मन्त्री रह चुके हैं, से किसानों ने कहा कि आप किसानों के नेता हैं, गन्ने की क्या दुर्दशा हो रही है, इसको आप देखें । तो उन माननीय प्रधान मंत्री ने उस समय उन किसानों को जो जवाब दिया था, उसको मैं सदन में बताना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि इतना गन्ना बोने के लिये किसने कहा था, अगर अभी कमी रह गई हो तो मेरी टोपी में उगा दो ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य जो व्यक्ति यहां नहीं हैं, उनके बारे में यह नहीं कह सकते हैं । इसलिये जो कहा है उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसको देख लेंगे । हमारे जो नेता यहां नहीं हैं उनके बारे में यहां न बोलें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ।

मान्यवर, जब उन कार्यवाहक प्रधान मंत्री को अभी लोकसभा के चुनाव में अपने चुनाव मैदान में जाना पड़ा, तो मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने चुनावी भाषण में कहा कि दोस्तों आप चुनाव जिताना जानते हैं और पहली बार कृपा कर हाथ जोड़ कर वोट मांगें और न मानें तो लाठी से वोट डलवायें मान्यवर, यह प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले नेता करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांत रहें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1977 की वह खुली किताब इस देश और प्रदेश की जनता के सामने है जिससे इनकी सरकार के कारनामों के कारण जनता ने इन्हें दुबारा नहीं चुना जिसके कारण यह विरोध पक्ष में बैठे हैं और हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि हम झूठी बातें करते हैं । हमारे तमाम व्यापारियों को विरोध पक्ष ने सन् 77 के चुनाव में आश्वासन दिया

था कि यदि हम सत्ता में आयेंगे तो बिक्री कर को हटा देंगे ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बनी थी तो वह बिक्री-कर इन लोगों ने क्यों नहीं हटाया ? उस समय इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था इनका कार्यक्रम न किसी गरीब के लिए था न किसी हरिजन के लिए, न कोई स्कूल बनाने का कार्यक्रम था और न दूसरे विकास कार्यक्रम थे इनके सामने केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम यह था कि किस तरह से झूठे मुकदमे चलाकर, विशेष अदालतें बनाकर कांग्रेस के लोगों तथा इन्दिरा गांधी को जेल में ठूंसा जाए ....।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मुझे सिर्फ एक मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आपको एक मिनट का समय और दिया ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मैं इनसे पूंछना चाहता हूं, जो विपक्षी सदस्य सदन में बैठकर विकास व प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं, कि 77 के बाद हमारे तमाम विपक्षी भाइयों को इधर से उधर क्यों जाकर बैठना पड़ा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो योजनायें हैं वे किसानों के हितों में रही हैं, विद्यार्थियों व मजदूरों के हितों में रही हैं और आम जनता के हितों में रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के जो काम हैं, उसके चलते इनको हमेशा-हमेशा के लिए विरोध पक्ष में बैठे रहना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पान्डेय —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । महामहिम राज्यपाल जी के बिना उनके स्वयं के पढ़े हुए भाषण को पढ़कर और जानकर मुझे यहां पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है ।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

राज्यपाल ने जिस समय सदन में प्रवेश किया, उनकी आखें डबडबाई हुई थीं, सरकार के प्रति उनको रोष था कि उनको बरखास्त कर दिया गया है, इसलिए वह इस सदन में केवल अपने बायें ओर यानी हम लोगों की ओर देखते हुए, हम लोगों के कहने पर, बिना अपना अभिभाषण जरा भी पढ़े हुए वापस चले गये ।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की जघन्य हत्या के बारे में कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि हमारे देश में जब देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की जघन्य हत्या कर दी गई, तो उस समय सारा देश शोकाकुल था, लेकिन उस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, नेता सदन तथा मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाकर, हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, जबकि सारा देश और प्रदेश भारी शोकाकुल था । इन लोगों को उत्साह था कि प्रधान मंत्री का पद उनको मिल गया । इनको डर था कुछ समय के लिए भी

यह पढ़ दूसरे को नहीं दे सकते थे, कहीं ऐसा न हो कि फिर वह उनको न मिले। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, हमारे क्षेत्र हरैय्या का एक तिहाई भाग घाघरा की भीषण बाढ़ से पीड़ित है। विक्रमजोत से लेकर दुबौलिया-बाजार तक का करीब 25 किलोमीटर का लम्बा और 8 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उसको रोकने के लिए कोई उपाय इसमें नहीं बताया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विक्रमजीत से लेकर दुबौलिया बाजार तक बन्धे की जो रूपरेखा तैयार की गई है और कुछ जगह पर बनाया भी गया है, दो सालों से उस बन्धे को पूरा नहीं किया गया है। 15 गांव ऐसे हैं जो बन्धे की चपेट में आ गये हैं, उन गांवों को बसाने के लिए न कोई जगह है, न किसी के रहने के लिए किसी प्रकार की जगह दी गयी है। अच्छे-अच्छे पक्के मकान उसमें चले गये हैं, लेकिन उनके निवासियों को कहीं रहने की जगह नहीं दी जा रही है। वह भूमिहीन हो गये हैं और अपने ऊपर परिवार के भरण पोषण में असमर्थ हो गये हैं। उनके लिये सरकार की तरफ से या इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई योजना नहीं बनायी गयी है और न इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। इनके लिये राहत कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिये और इनको मकान की सुविधा देनी चाहिये। हमारे यहां बाढ़ क्षेत्र के लोगों के लिये जहां पर रिंग बांध की आवश्यकता है, जिससे लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बंधियां बनायी गयी हैं, उनमें सिंचाई विभाग द्वारा लूट की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुखराल पांडेय—

आपने औरों को 10-15 मिनट समय दिया है लेकिन हमारे ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर बाढ़ से बचाने के लिये बाढ़ विभाग की तरफ से 15 ठोकरें बनायी जानी चाहिये। इनकी व्यवस्था 30 जून, 84 तक हो जानी चाहिये थी लेकिन वह काम आज भी पूरा नहीं हुआ है। घाघरा नदी के कटान से लोग पीड़ित हैं। सन् 85 आ गया है लेकिन जिन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया है, उनका ठेका कैंसिल नहीं किया गया है। इसलिये कि वह गुन्डे, बदमाश और इसी कांग्रेसी सरकार के कुछ पिछलग्गू ठेकेदार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दीदी ने कहा था, औरतों के बारे में उन्होंने बड़ी चर्चा की और प्रदेश की औरतों के बारे में बहुत दुख प्रकट किया। दीदी सिलवा कांड में गयी थीं और वहां पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किये, उनको सुनकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने उन औरतों को प्रलोभन दिया था कि हम आपको पैसा देंगे, कपड़ा देंगे, यह कह दो कि हमारे साथ इस तरह की बात नहीं हुई थी।

इसी तरह से अभी गन्ने के बारे में बात कही गयी। गन्ने की समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है अगर किसान के ऊपर बकाया होता है ट्रैक्टर का बकाया होता है या अन्य किसी चीज का तो उसको तहसील में जेल में ठूंस दिया जाता है। अगर सरकार पर गन्ने की कीमत बाकी है तो न तो उसे सूद मिलता है और न कोई रियायत मिलती

है । मैं चाहूंगा जहां पर इस प्रकार का बकाया है किसान के ऊपर, उसको स्थगित कर दिया जाय और इन बकायों को किसान का जो सरकार पर गन्ने का पैसा बाकी है, उससे वसूली की जाय ।

मैं चाहूंगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । सरकार की तरफ से पुलिस जुल्म और गुन्डा गर्दी जिस तरह से चुनाव में की गयी है, असामाजिक तत्वों द्वारा, उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । स्वास्थ्य मन्त्री जी के विभाग और सिंचाई मंत्री जी के विभाग ने जिस तरह से बांसी, हरैया में सरकारी जीपों का इस्तेमाल किया, अधिकारियों ने चुनाव प्रचार के लिये जिस तरह से जीपों का इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले की जांच करें और जांच करने के बाद उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ निवेदन आपकी आज्ञा से करूं मैं सम्मानित नेता विरोधी दल को उनके विरोधी दल के नेता के रूप में प्रथम भाषण पर बधाई देना चाहता हूं । इस विधान सभा में यह परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य जब प्रथम बार भाषण देते हैं तो भले ही वह भाषण कटुतापूर्ण क्यों न हो । भले ही उस भाषण में तथ्य सत्य से परे ही क्यों न हों, भले ही जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह तर्कशीलता की सीमा से परे ही क्यों न हों फिर भी उन्हें बड़े ध्यान से सुना जाता है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नेता विरोधी दल ने जो विरोध पक्ष की ओर से मुख्य भाषण दिये, उसमें उन्होंने जो मुख्य प्रहार शासन पर किया, राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो न्यूनतायें बतायीं, मैं समझता हूं कि अब तक के विधान सभा के इतिहास में सबसे कम आलोचना इस अभिभाषण पर हुई । मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमन्, आप देखें कि मुख्य आलोचना उनकी जो हुई, चुनावों के बारे में जो उन्होंने उदाहरण दिये हैं और जिनका उन्होंने उल्लेख किया है अपने भाषण में, उनका प्रथम मुद्दा जो था, उसके बारे में आप श्रीमन्, देखें कि इस प्रदेश में कुल मिला कर 74,726 चुनाव बूथ थे और 12,035 उम्मीदवार थे, जिनमें 7 राष्ट्रीय दल, 3 राज्य दल और एक रजिस्टर्ड दल चुनाव में सम्मिलित हुए । तो जिस चुनाव में श्रीमन्, 12035 उम्मीदवार हों 7 राष्ट्रीय दल, 3 राज्य दल और एक रजिस्टर्ड दल चुनाव लड़ रहे हों, जहां 74,726 बूथ हों, वहां उनके ही संशोधन में लिखा है अनेक स्थानों पर जो शब्द उन्होंने भाषण में प्रयोग किया है अनेक स्थानों पर, मतदान केन्द्रों पर, तो श्रीमन्, जो प्राप्त सूचना के आधार पर 24 मतदान केन्द्रों पर प्रथम दिन और द्वितीय दिन 26 मतदान केन्द्रों में, कुल 50 मतदान केन्द्रों में दुबारा मतदान हुए । इसी की शिकायत के आधार पर, जिसका उल्लेख नेता विरोधी दल ने किया, 74,726 बूथों में से कुल 50 बूथों में दुबारा मतदान की आवश्यकता पड़ी । मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल को, हमारे प्रदेश में जो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया हुई है, उसके लिए अपने इस प्रदेश की जनता को साधुवाद देना चाहिए कि संसार में आज ऐसा भी देश है, ऐसा भी प्रदेश है, जहां पर लोकतंत्र प्रभावी रूप में चल रहा है और इतनी कम शिकायत है । अगर प्रतिशत का आधार देखा जाय, 74,726 बूथों में से केवल 50 बूथों में शिकायत आई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो हाल के आजाद देश हैं, उन आजाद देशों में से कितने देशों में इस तरह की प्रजातांत्रिक प्रणाली जीवित है। इसके लिए मैं देश की जनता, प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। इसके लिए केवल हम ही बधाई के पात्र नहीं हैं, बल्कि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है और सभी दल बधाई के पत्र हैं और अगर दुबारा शिकायत हुई बूथों के बारे में, तो यह भी नहीं होनी चाहिये मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इसका उत्तरदायित्व किसी एक दलमात्र का नहीं है। नेता विरोधी दल मुझसे सहमत होंगे कि इतने बड़े प्रदेश में किसी एक दल के ऊपर या विरोधी दल के ऊपर इसका उत्तरदायित्व देना उचित नहीं।

स्थानीय रूप से चुनाव की चहल-पहल के मध्य जिस प्रकार का वातावरण होता है, जितने की जो धुन होती है, जितने की जो एकाग्रता होती है, मैं समझता हूं, जितनी हमारे दल के बारे में बात हुई है, इतनी बातें दूसरे दल के बारे में पिछले चुनाव में कही गयी थीं। दूसरे, निर्वाचन क्षेत्रों में आरोप लगाए गये थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो आरोप हमारे दल पर लगाए गये हैं, वह आरोप उनके दल पर भी लागू हैं और इस चुनाव में भी लगे हैं। मैं चाहूंगा कि आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर बधाई देनी चाहिए और लोकतान्त्रिक चुनाव प्रक्रिया के आधार पर लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहिए, सार्थक रखना चाहिए मैं तो यह कहूंगा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है, इसमें बेईमानी का प्रश्न नहीं है जिस चुनाव में इतना ईमानदार विरोधी दल निकला है, इतना सार्थक विरोध पक्ष निकला है, उस पर यह कहना कि बेइमानी हुई है, जनता की छवि पर आक्रमण करना है।

श्रीमन्, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, उसमें प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सही दिशा निर्देशन के लिए, प्रदेश को किस तरह आगे बढ़ाना है उस पर जो बिन्दु दिए गये हैं, जो विचार दिए गये हैं, मैं समझता हूं, वह सराहनीय है। श्रीमन्, मैं देखता हूं इस सम्मानित सदन में उन नौजवान चेहरों को, जिनको उत्तर प्रदेश को को नेतृत्व प्रदान करना है। चाहे वह किसी भी दल में हो। मैं उन नौजवान चेहरों को जिनको 21 वीं सदी में विधान सभा को नया रूप देना है, जो आज पहली बार चुनकर आए हैं, वह जब तीसरी बार चुनकर आयेंगे तो 21 वीं सदी शुरू हो जाएगी। यह आसान नहीं है। मैं जब चुनकर आया था तब इस शताब्दी का मध्य था। अब 35 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उस वक्त जब मैं पहली बार आया था, तो प्रदेश की जनसंख्या सात करोड़ थी आज 12 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गयी है। दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ते रहने के कारण जो प्रतिव्यक्ति आमदनी बढ़ी है, उसका परिव्यय उसका आकार प्रकार भी बढ़ता ही जाएगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के मुख्य नेता, देश के सम्मानित नेता चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी एक पुस्तक में, जिसका अभी तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का भलीभांति वर्णन किया है। हो सकता है कि हम उनकी नीतियों से सहमत न हों, उनके बिन्दुओं से सहमत न हों, लेकिन तथ्यों से इनकार नहीं हो सकता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं क्या वह तथ्य परक हैं? हम अन्तर को नहीं अन्तः स्थल को टटोलें। जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी आवश्यकतायें हैं उनको महत्व देकर ऐसी बातों को महत्व न दें जो जन हित में न हों और इसीलिये मैं यह आग्रह करूंगा कि सदन के सभी पक्ष से, मुख्यमंत्री के

नाते नहीं बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधि होने के नाते जो नई पीढ़ी को कुछ दिनों में उत्तरदायित्व सुपुर्द करने जा रही है। ऐसी प्रौढ़ पीढ़ी की ओर से उस नौजवान पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि हमें इस सदन में इस विधान सभा में जो नवम् विधान सभा ने स्वरूप धारण किया है, इसमें इन जलते हुए सारे सवालों का अध्ययन करें मनन करें कि किस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं। कई मुददों पर हम एक हैं, कुछ मुददों पर मतभेद हो सकता है लेकिन जिन बातों पर हम एक हैं, वहां हम सोचें कि हम किस प्रकार मिलजुलकर इन समस्याओं को हल कर सकते हैं।

यह एक जिले का एक क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश का यह प्रश्न है। हर विधायक जो चुनकर आया है अपने क्षेत्र के विकास की बात करके आया है। हर विधायक यह कह कर आया है कि हम विधान सभा में विकास की आवाज उठायेंगे, गरीबी को कम करने की आवाज को बुलन्द करेंगे। यह योजनायें किस प्रकार से हर परिवार तक पहुंचे हम कहते हैं, प्रधान मंत्री कहते हैं तो हम यह दलगत हिसाब से नहीं कहते हैं। यह योजनायें हर क्षेत्र के लिये है, हर ब्लाक के लिये है, हर गांव के लिये हैं। किसी भी दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, योजनायें हर क्षेत्र के लिये हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम हर क्षेत्र के लिये है न कि जहां से शासक दल का विधायक चुना गया हो। वह हर क्षेत्र के लिये है। अगर शासक दल का प्रतिनिधि किसी क्षेत्र से विधान सभा के लिये नहीं चुना गया है तो लोक सभा के लिए चुना गया है। अगर लोक सभा के लिये नहीं चुना गया है तो उसी क्षेत्र से विधान सभा के लिये चुना गया है। दलीय आधार पर नियोजन नहीं चल सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि वह नियोजन नहीं है जो दलीय आधार पर चले।

नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत हमको मिलजुल कर जिले के विकास के लिये काम करना होगा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमें यही संकेत देता है। यही दिशा देता है कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ायें। क्या हमारी समस्यायें हैं। आज सबसे बड़ी हमारी समस्या प्राथमिकता के आधार पर बिजली उत्पादन की समस्या, शान्ति व्यवस्था की समस्या खेती का उत्पादन बढ़ाने की समस्या, बेरोजगारी को हल करने की समस्या, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है। यह ऐसी समस्यायें है जो किसी भी सरकार के सामने, किसी भी शासन के सामने रहती हैं।

हमें इस राज्यपाल के अभिभाषण से यही झांकी दिखाती है कि आने वाले 5 सालों में, इस विधान सभा के जीवन काल में सातवीं योजना काल में कौन सी प्राथमिक समस्यायें हमारी रहेंगी और उसके लिए हम क्या कर सकेंगे। पिछली योजनाओं का अनुभव क्या रहा है। पिछले अनुभवों का सार राज्यपाल के अभिभाषण में है। भूत काल के अनुभव के आधार पर वर्तमान को साकार करते हुये भविष्य का दिग्दर्शन राज्यपाल के अभिभाषण में है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस दृष्टिकोण से, इसी कसौटी पर, इसी मापदण्ड पर इस अभिभाषण को देखने की कृपा करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि यह अभिभाषण हर चीज से परिपूर्ण है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह अभिभाषण गीता का श्लोक लिख दिया है, इसमें किसी संशोधन की गुंजाइश नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह अन्तिम परिसीमा पर पहुंच गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सही सुझावों को जड़ने की आवश्यकता होगी। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं उसके निन्दात्मक भर्त्सना की आवश्यकता नहीं। उसके लिए हम लोग आपस में बैठक कर विचार करके

जो उसको नया रूप देना हो, नया मोड़ देना हो, नयी प्राथमिकतायें देना हो, प्राथमिकता के अन्दर की विस्तार की प्राथमिकतायें जोड़नी हो ।

मान्यवर, अभिभाषण तो मोटी-मोटी बातें बताता है । मैं इस सम्बन्ध में वाराणसी कैन्ट के माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं उसमें जो कुछ उन्होंने मकानों के बारे में कहा कि किस प्रकार से भूमि अर्जित की जाय और आगे मकान बनाये जांय । उन्होंने कानून की व्यवस्था के बारे में कहा । मैं समझता हूं कि उसमें सार है । मैं विश्वास दिलाता हूं नेता विरोधी दल और प्रमुख माननीय सदस्यों को कि जो भी उनके रचनात्मक सुझाव होंगे यह शासन बिना किसी भेदभाव के उनके रचनात्मक सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करेगा और इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जो भाषण माननीय सदस्यों के हुए, मैं उन सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं ।

मैं उन सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने मेडेन स्पीच, पहली स्पीच विधान सभा में दी । मुझे इस बात का दुःख रहा कि जब कभी मेडेन स्पीच दी गयी तो उसमें टोका-टाकी हुई । जब कभी कोई सदस्य मेडेन स्पीच देता है अगर वह बिलकुल गलत भी कह रहा हो तो भी उसे सुना जाता है लेकिन इस परम्परा का पूरा-पूरा अनुपालन हमने नहीं किया । भविष्य के लिए मैं केवल स्मृति दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इसका परिपालन करें तो सदन की गरिमा इससे बढ़ेगी कि यह सदन किस प्रकार से अपनी मर्यादाओं की परिपाटी को चलाना चाहता है । मैं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने पहली बार मेडेन स्पीच दी, उनको बधाई देना चाहता हूं ।

श्रीमन, इस अभिभाषण में आप देखेंगे कि कृषि के सर्वाधिक महत्व की समस्या का उल्लेख इसमें है । श्रीमन्, पिछली छठी योजनाकाल में कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ा है और हमारे प्रदेश के किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं उन्होंने कृषि के उत्पादन को जिस प्रकार से बढ़ाया उनके लिए वह बधाई के पात्र हैं । श्रीमन, मैं आकड़ों के जाल में इस सदन को नहीं डालना चाहता । भविष्य में बहुत से ऐसे मौके आयेंगे, जब विस्तार के इन विषयों पर अलग-अलग विचार करने का मौका मिलेगा । हमारे प्रदेश में जो कृषि का उत्पादन हो रहा है उसके बारे में माननीय नेता जनता पार्टी ने जो बाते कहीं, मैं उनसे सहमत हूं । उन्होंने यह कहा कि जितना पंजाब का हेक्टरेज है और जितना उत्तर प्रदेश का हेक्टरेज है और जितना हरियाना का हेक्टरेज है, उसकी तुलना में यहां अधिक हेक्टरेज सम्भावित है । ट्रेनिंग ऐण्ड विजिट सिस्टम जो संसार की सर्वमान्य प्रणाली कृषि उत्पादन में है, इस प्रणाली को एग्री-कल्चरल इक्सटेंशन सर्विसेज बनाने के उद्देश्य से अपने प्रदेश में लागू करने की बातें 7वीं योजना में है ।

नेता जनता पार्टी ने कहा कि हम प्रति हेक्टेअर उत्पादन को बढ़ायें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेअर उत्पादन हरियाना के कई जिलों से कम नहीं है । मुजफ्फरनगर जिला, बुलन्द-शहर जिला, अलीगढ़ जिला, मेरठ जिला, सहारनपुर जिला, इन सब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाना से कम नहीं है, पंजाब से कम नहीं है, लेकिन हमें उसे भी बढ़ाना है । हमारे कई जिले मध्य उत्तर प्रदेश के हैं, जहां कि हमारा कृषि उत्पादन केवल आठ प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं 16 प्रतिशत बढ़ा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, शाहजहांपुर आदि जिलों में खेती में बहुत उन्नति हुई है । लेकिन हमें उपज बढ़ानी है । हमें ट्रेनिंग ऐण्ड विजिट सिस्टम लागू करना है । इसका उल्लेख अभिभाषण में है ।

खाद के चार बड़े कारखाने जो स्वर्गीया प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत कर गयी थीं, गैस पर आधारित कारखाने होंगे जो आने वाले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगेंगे। सोचिये, 1,800 मीटर लम्बा गैस पाइप पड़ेगा। हिन्द महासागर से पाइप के जरिये उत्तर प्रदेश का खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये गैस की गंगा यहां पर आयेगी, यह काम आगामी पांच साल में पूरा होगा। कल्पना कीजिये, हिन्द महासागर से यहां की खेती के लिये गैस लायेंगे, जिससे चार खाद के कारखाने लगेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में यहां कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ये गैस पर आधारित कारखाने लगने जा रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में अपने भई, जो मैं समझता हूं कि नाम से ही मुलायम हैं, मुलायम हैं भी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे भारी उद्योग अगर उत्तर प्रदेश में लग जांय तो कृपया लग जाने दीजिये। मैं समझता हूं कि ये खाद के कारखाने यहां पर लग जांय उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की समृद्धि होगी। और स्वयं माननीय चौधरी चरण सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अगर आप खाद के कारखाने लगाते हैं तो आपत्ति नहीं है, इसलिये कारखाने लग जाने दीजिये, जिससे दूसरे खेती से सम्बन्धित उद्योग लग सकें। आने वाले पांच साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं, जिस समय ये खाद के कारखाने लगेंगे। एक एरोनोटिक्स अलीगढ़ में लगेगा जिससे सैकड़ों, हजारों उद्योग इससे निकलेंगे।

श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल ने, अगर ध्यान से उस भाषण को पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि इसमें एक लाख छोटे उद्योगों की बात कही गयी है। अगले पांच वर्षों में और ग्रामीण उद्योग और खेती के उद्योग बढ़ाने की बात और दुगना तिगुना उत्पादन होने की बात कही गयी है। श्रीमन् हमारी औद्योगीकरण नीति केवल भारी उद्योगों के लिये ही नहीं है। भारी उद्योग, मझोले उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग इनको पूरे नियोजित ढंग से ध्यान में रखकर हमारी औद्योगिक नीति इस अभिभाषण में प्रस्तावित की गयी है। कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश के चार बड़े भाग हैं, जिनमें से एक पूर्वांचल है, उसकी अपनी समस्या है। श्रीमन, पूर्वांचल में यदि हम जनशक्ति का मुख्य उपयोग कर सकें तो पूर्वांचल हमारे देश में सब से अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में होगा। हमें सोचना है कि कैसे जनशक्ति को नियोजित करें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। हमें देवरिया ने जो रास्ता दिखाया है, गोरखपुर ने जो दिखाया है, पूर्वांचल की अनेक तहसीलों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका पूरे पूर्वांचल में सही उपयोग हो सके। बुन्देलखण्ड की अपनी समस्या है। हम उसे पानी दे सकें इसलिये राजघाट योजना बनी है ताकि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर कदम उठा सकें, यह हमारा प्रयास होगा। बुन्देलखंड को पानी मिल जाय तो अकेले बुन्देलखंड सारे देश को बहुत अधिक अन्न भंडार समर्पित कर सकता है। इसलिये हमारा प्रयास है कि राजघाट जैसे बांध को हम 7वीं योजना में पूरा कर सकेंगे।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री देव कुमार यादव—

मुझे व्यवधान करने का हक है। मान्यवर, केन जल विवाद मध्य प्रदेश से पेंडिंग है, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश पूरा सूखा पड़ा हुआ है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सुन ली, कृपया बैठें ।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, मैं उसका उल्लेख कर रहा था । माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे, वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं, तीसरी बार चुन कर आये हैं, वे समझ गये होंगे कि धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं उसके हर विषय में नहीं जा सकता हूं लेकिन मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख कर रहा हूं । माननीय सदस्य ने राजघाट का उल्लेख किया । वहां पर बड़े-बड़े बांध जैसे बैरवनी, बरियारपुर बांधों को दुबारा बनाने की योजना है । जिसका वे उल्लेख कर रहें हैं, उसकी मुझे जानकारी है । मध्य प्रदेश से बातचीत के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि बुन्देलखंड का किस तरह से विकास हो और वहां की जो मुख्य-मुख्य समस्यायें हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान जाय ।

इसी तरह से मध्य उत्तर प्रदेश है । यहां की कुछ मुख्य समस्यायें हैं । जहां एक तरफ शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है वहीं, दूसरी तरफ उत्पादकता का भी सवाल है । इन 11 जिलों के लिये वर्ल्ड बैंक की सहायता हो जाय और अगर वह हमें पैसा न भी दें फिर भी अपनी ओर से वहां पर राम गंगा कमान्ड एरिया के मातहत हम वहां की उत्पादकता बढ़ायेंगे ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा कैनाल परियोजना 11 सौ करोड़ रुपये के लगभग आने वाले 25/30 वर्षों में हमें दुबारा बनानी है । क्योंकि वह जब बनी थी, उसका एक ऐतिहासिक योगदान रहा है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमें उद्योगीकरण की ओर ले जाना है । हम चाहते हैं कि मथुरा रिफाइनरी से लेकर, नरौरा से लेकर, नोयडा और टोयडा और तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण हो और उसके लिये लघु उद्योगों को, पूरक उद्योगों को और एन्सीलेरी उद्योगों को आगे बढ़ाना है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री तथा पिंडारी आदि क्षेत्रों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये कि वहां के लोग निर्धन हैं, विकास करना है । वहां के लिए इलेक्ट्रोनिक्स का उद्योग वहां लगे, हमारा ध्यान गया । यह हमारी रणनीति है और देश के प्रत्येक भू-भाग को विकासोन्मुख करने के लिये हमारा प्रयास है । मैं सम्मानित सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे इस काम में हमारी सहायता करें कि हम कैसे इस रणनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं । हम बैठकर संगोष्ठियों के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान के द्वारा इस काम को कर सकते हैं । यह महान काम है । हम इस कार्य को करके रहेंगे । यह मेरा संकल्प नहीं है, किसी दल का संकल्प नहीं है, सदन का संकल्प है और जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं उनका हम सामना करते रहेंगे । यह सदन का संकल्प है । मैं इसी भावना से विरोधी दल के नेता, अन्य सम्मानित नेताओं और सभी माननीय सदस्यों का आवाहन करना चाहता हूं ।

बहुत सी बातें गन्ने की कीमत के बारे में कहीं गयी । गन्ने की कीमत के बारे में जो आंकड़े हैं लगभग 1500 करोड़ रुपये पिछले चार सालों में गन्ने की कीमत का किसानों को दे दिया गया है । इस वर्ष भी श्रीमन्, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं कि 254 करोड़ रुपये कुल गन्ने की कीमत होती थी । उसमें 204 करोड़ रुपये का भुगतान की चुका है । (मेजों की थपथपाहट) और केवल 17 प्रतिशत गन्ने का बकाया रह गया है । उसको भी बैंकों से, श्रीमन्, कभी-कभी क्रेडिट लिमिट आने में देर हो जाती है, वित्तीय वर्ष के यह अन्तिम सप्ताह चल रहे थे, इसलिये भी कुछ देरी हुई, लेकिन मैं माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यों को यह आश्वस्त करना

चाहता हूं कि इस बारे में पूरा प्रयास होगा कि बकाये का भुगतान हो जाये। उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिये पूरा प्रयास होगा। गेहूं की बात आनी थी, गेहूं की कीमत की घोषणा शीघ्र ही होने जा रही है। अभी जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे बोरों की आवश्यकतानुसार पूर्ति की बात हो या दूसरी कोई बात हो, हमने पूरा प्रबन्ध कर लिया है, जिससे कि गेहूं की खरीद हो सके।

मान्यवर, भविष्य में भी, मैं माननीय नेता विरोधीदल एवं अन्य नेताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कहीं किसी भी समय जनहित में उनको मालूम हो कि यह कठिनाई है, इसका यह निराकरण होना चाहिये, तो मेरा शासन पूर्ण रूपेण कृत संकल्प रहेगा उन सुझावों पर यथासम्भव अमल के लिये, उनकी पूरा करने की चेष्टा करेगा। हम कभी यह मानकर नहीं चलेंगे कि चूंकि विरोधी दल के सदस्य इस बात को कह रहे हैं, इसलिये ध्यान न दो। हमारा प्रजातन्त्र में भरोसा है, हमारा पूरा विश्वास है। पहले भी इस दल ने उन्हीं परम्पराओं को निभाने की पूरी चेष्टा की है और आगे भी निभायेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय नेता विरोधी दल से अन्य नेताओं से और उधर बैठे माननीय सदस्यों से कि उन्होंने अपने विरोधीदल के कर्तव्य को पूरा किया। विरोधी दल का कर्तव्य विरोध करना होता है। लार्ड चर्चिल की उक्ति मुझे याद है कि विरोधी दल का दायित्व विरोध करना है।

एक सदस्य---

विरोध करना नहीं, सही बात कहना है।

श्री नारायन दत्त---

मैं माननीय नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अभिभाषण का जो मूल तत्व है, जो निचोड़ है, मुझे विश्वास है कि आप इसको हृदय से स्वीकार करेंगे। आज देश चाहता है स्थायित्व, देश चाहता है तेजी से विकास। प्रदेश की कोटि-कोटि जनता भी तेजी से विकास चाहती है। यह अभिभाषण एक प्रकार से आह्वान है, प्रदेश की सेवा में हम अपने को समर्पित करें, जिसके लिये जनता ने हमें चुनकर भेजा है।

यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने प्रस्तुत किया है, बड़ी योग्यता के साथ प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य, मीरगंज बरेली ने जो उसका समर्थन किया है, उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ-साथ मैं नेता विरोधी दल से और अन्य सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधन के प्रस्तावों को वापस ले लें और इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करें और हम सब मिलकर इस महान उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की इस बेला में एक होकर कार्य करें। दल भले ही अनेक हों, लेकिन आत्मा एक है, उत्तर प्रदेश एक है। उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षायें एक हैं, हम सब मिलकर उन आकांक्षाओं को परिलक्षित करें, उनको पूरा करें, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा। इसीके साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री मुलायम सिंह यादव---

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे संशोधन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। चाहे वे इस पक्ष के हों और चाहे उस पक्ष के हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता सदन से बड़ी उम्मीदें थीं। प्रदेश की तमाम समस्यायें हैं, उन समस्याओं का माननीय नेता सदन विस्तार से चित्रण करेंगे और अपने भाषण में प्रदेश के विकास के लिए एक नई दिशा देंगे, परन्तु आज उनके भाषण को सुनने के बाद बड़ी निराशा हुई। माननीय नेता सदन एक बहुत ही अनुभवी व विद्वान मुख्य मन्त्री हैं। हमारे जो आरोप हैं, वे सारे इस प्रदेश की जनता के आरोप हैं। लोक सभा चुनावों में और विधान सभा चुनावों में जिस तरह से बूथ कैपचरिंग हुई और जिस तरह से गलत काउन्टिंग हुई, उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत ही हल्के-फुल्के तरीके से लिया। मेरा आरोप है कि कम से कम 26 उम्मीदवार गलत काउन्टिंग के कारण हारे हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो सूचना मुझे मिली है कि एक रिटर्निंग अफसर के दो दस्तखत हैं काउन्टिंग में। पहली काउन्टिंग में 28,568 मत कांग्रेस के और 28,499 लोकदल के हैं। यह मामला छिबरामऊ का है। इस तरह से 59 वोटों से हमारा कैन्डिडेट पराजित दिखाया गया है। उसी को बदलने की कोशिश की जा रही है। दोनों पर आयोग के दस्तखत हैं। अब जो इस वक्त तैयार किया गया है उसमें 28,570 मत कांग्रेस के और 28,534 मत लोकदल के दिखाये गये हैं। मेरी अपील है कि इस तरह से कागजों में फेरबदल न की जाय। इस तरह से मेरा आरोप है कि कई बूथस ऐसे हैं, जहां पर इस प्रकार का काम हुआ है। 50 तो वे हैं, जिन्हें इन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब ये कहते हैं कि हम इतने लोग जीत कर आये हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम लोग जीतकर आये हैं, वह तभी आये हैं, जब जनता ने अपने बूथ पर यह तय कर लिया कि हम जान दे देंगे लेकिन बूथ पर डकैती नहीं होने देंगे।

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन ने अपने भाषण में कहा कि हम भारी उद्योगों के खिलाफ हैं। मैं अपने अनुभवी व ज्ञानी मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक दस्तकारी नहीं बढ़ेगी तब तक बेकारी नहीं मिट सकती और देश की गरीबी नहीं मिट सकती। गरीबी से दस्तकारी नहीं बढ़ती लेकिन बेकारी से गरीबी बढ़ती है। मैं सभी भारी उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं। बिजली के लिए कारखाने लगाओ, बिजली का संकट मिटाओ। रेल के लिए कारखाने लगाओ, एटम बम बनाओ, लड़ाई के लिए और सामान बनाने के कारखाने लगाओ। इसलिए जब दस्तकारी चलेगी तभी बेरोजगारी मिटेगी। हमारे दल की, हमारे नेता चरण सिंह की साफ नीति है कि बड़े कारखानों के बने कपड़े नहीं बिकेंगे,

(व्यवधान)

समय एक सा नहीं रहता, समय सदा बदलता रहता है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता था कि हमारी कोशिश हो कि प्रदेश की मंडियों से अन्य प्रदेशों का मुकाबला हो और उसके लिए हमें सुविधा, सहायता देनी चाहिये। अगर हम विदेशों के कपड़ों से मुकबला नहीं कर सकते तो बड़े कारखानों का कपड़ा बिकना बन्द होना चाहिये। आज हिन्दुस्तान में बड़े कपड़े की कारखानों में 14 लाख लोग काम करते हैं। 12 लोग मिल कर जितना काम कर सकते हैं, उतना मशीन पर लगा हुआ एक आदमी। इसलिए यदि केवल कपड़े के कारखानों के बजाय कपड़ा हाथ से बनना शुरू हो जाये तो इस देश के डेढ़-दो करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम भारी उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं।

मुझे उम्मीद थी कि हमारे मुख्य मंत्री जी नेता सदन प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ जिक्र करेंगे। हमारे सदस्यों ने दोहराया है और मैंने भी पढ़ा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी

ने माना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओवर-ड्राफ्ट किया गया है। तीन अरब 13 करोड़ 17 लाख। और आज स्थिति यह है कि सारा विकास का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है और सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी सारे के सारे छुट्टी मना रहे हैं। वह जानते हैं कि क्या इनके क्षेत्र में सिंचाई का काम हुआ है, नहीं हो रहा है। तो सारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है उत्तर प्रदेश की। और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची। मैं समझता था कि उसके सम्बन्ध में नेता सदन जरूर कुछ कहेंगे लेकिन ...

श्री नारायण दत्त—

श्रीमन्, क्षमा करेंगे। क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने अपने मूल भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसका उल्लेख मैंने नहीं किया था। लेकिन अगर वह चाहते हैं तो आपके बाद जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मैं 2 मिनट जरूर लेना चाहूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हमने 25 करोड़ की व्यवस्था विशाल भूमि सेना के लिए की थी। अगर उसको भी जोड़ लिया जाय तो यह देश विकास की ओर जा सकता है। अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि भूमि विकास सेना का निर्माण किया जाय। आगरा से लेकर यह जमुना का बीहड़ है। हमने विशाल भूमि सेना का निर्माण किया था और 25 करोड़ रु० का प्राविधान किया था। अगर विशाल भूमि सेना का निर्माण किया जाय तो मान्यवर, जो बंजर खेती है, ऊसर पड़ा हुआ है और आज आगरा, इटावा, बांदा, जालौन जिले में जो डकैतों की समस्या है, वह समस्या भी हल हो सकती है। इटावा, आगरा और बीहड़ इलाकों में जो जंगल हैं वहां डकैत आदि छिप जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

माननीय, सत्ता पक्ष ने इस चुनाव में एक नया नारा दिया कि दिल्ली में सरकार उनकी है, लखनऊ में भी होनी चाहिये और इस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। माननीय, हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने संविधान का निर्माण किया। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न क्षेत्र हैं और विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं उनको संकीर्ण ढांचे में बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने उसी वक्त यह समझ लिया था कि केन्द्र में सरकार दूसरी हो सकती है और प्रदेश में सरकार दूसरी हो सकती है। आज हमारा प्रदेश जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, वह केवल इसी कारण कि दिल्ली में भी इनकी सरकार रही और लखनऊ में भी इनकी सरकार रही और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों ने अपने केन्द्रीय नेतृत्व के सामने अपने प्रदेश के विकास के लिए अनुशासन के नाम पर अपने प्रदेश के हितों का कत्ल होने दिया, उसी का यह नतीजा है। 1947 में 3 प्रदेश ईमानदार थे उसमें हमारा प्रदेश 1 नम्बर पर था। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। पैदावार बढ़ेगी तो अन्य धंधे भी बढ़ेंगे। हमारे यहां 80 सैकड़ा खेती पर निर्भर करता है। आपने 37 वर्ष तक लगातार किसानों की उपेक्षा की है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और उसी का यह नतीजा है कि आज देश दुनिया के गरीब देशों में से एक हो गया है।

आज आपकी प्रति व्यक्ति आमदनी घटती जा रही है। जिससे यह दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया और केवल इसलिए कि खेती की उपेक्षा की गई और मैं एक सबूत देना चाहता हूं कि खेती की उपेक्षा किस तरह से की गई, दिल दहला देने वाला सबूत है। आज बिजली का संकट है। आपने बिजली 14 सैकड़ा किसानों को दी और 86

संकड़ा गैर किसानों को दी जा रही है। 9 प्रतिशत डीजल खेती पर खर्च हो रहा है और 91 प्रतिशत गैर खेती पर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जितना ऋण वितरण किया गया वह 11 संकड़ा खेती पर और 89 संकड़ा पूंजीपतियों पर जिन्होंने चुनाव में पैसा दिया या जिनसे चुनाव में पैसा लिया गया है, उनको दिया गया। उन्हीं की वजह से कृषकों को उपेक्षित किया गया है।

मान्यवर, इस तरह से खेती की उपेक्षा करके देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि 5 बजे बजट रखने जा रहे हैं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी एक वरिष्ठ मन्त्री हैं। सरकार में आज से नहीं पंचायत से हैं। ऐसे जिम्मेदार आदमी से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझ पर आरोप लगा दिया और बराबर लगाते रहे कि जब मैं सहकारिता मन्त्री था, उस समय मेरे मंच पर डकैत था।

(व्यवधान)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माफ कीजिये, मैंने नाम नहीं लिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने पढ़ा है, आपने ऐसा कहा है। यह कार्यवाही में है। माननीय अध्यक्ष जी अगर समय दें तो मैं उसे पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि "सूप बोले तो बोले लेकिन चलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद", अगर मैंने डकैतों को संरक्षण दिया था तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? नेता, सदन से कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो जांच करायी गयी है, उसको सदन के सामने पेश कर दें। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, मेरे 18 साल के जीवन की जांच करा लें, लेकिन साथ-साथ माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के केवल 5 साल के विगत जीवन की जांच करा लें।

(घोर व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि एक समिति गठित करें, जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह हों और मेरे खानदान की और मेरी जांच हो जाय। साथ ही साथ इनकी भी जांच करा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरी तो हो चुकी है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। चैलेंज हुआ है। माननीय नेता, विरोधी दल की तरफ से, उसका जवाब दिया है, श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने इसलिये एक कमेटी बना दी जाय चाहे मुख्य मन्त्री हो उसके अध्यक्ष हो जायं। स्वास्थ्य मन्त्री जी के गोपालपुर फार्म

की जांच हुई थी, वह एक तस्करी का अड्डा है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह मैंने जानबूझकर इसलिये कहा कि सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता आनी चाहिये । मैं ईमानदार हूं, इससे काम नहीं चलेगा, जब तक पूरे प्रदेश की जनता न कहे कि ईमानदार हैं । दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार की और पुलिस की आलोचना करते हैं, उनके अन्याय और अत्याचारों की बात करते हैं, उनके खिलाफ "मीसा" लगा दिया जाता है, उनको "रासुका" में बन्द कर दिया जाता है । आज जो विधायक चुन लिये गये हैं, वो बन्दी हैं । उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका आचरण जैसा भी रहा हो लेकिन जब जनता ने उन्हें चुन लिया है, जनता का फैसला उनके प्रति हो चुका है, तो उन विधायकों को तुरन्त आपको रिहा करना चाहिये । यदि उनका आचरण गलत है, वे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, कत्ल करवाते हैं तो उसके लिये कानून हैं । आपको अधिकार है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का ।

मुख्य मन्त्री जी आप याद कीजिये कि जब आन्ध्र प्रदेश में बन्दी विधायक चुनाव जीत गये थे तो उनको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रिहा कर दिया था तुरन्त यह एक सबूत है, लेकिन यहां जीते हुए विधायकों को बन्दी बना कर रखा गया है । मीसा राजनैतिक लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है और राजनैतिक लोगों को उसमें बन्द किया जा रहा है ।

जब बजट पर भाषण होगा तब मैं बोलूंगा कि किस तरह से मीसा में बन्द किये जाने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं । इसलिये मैं नेता सदन से तथा दोनों पक्ष के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय लाल प्रताप सिंह, धन्यवाद के प्रस्ताव पर आप अभी बोलेंगे या बजट पेश होने के बाद ? टाइम की पाबन्दी की वजह से मैं यह पूछ रहा हूं ।

(श्री लाल प्रताप सिंह बोलने के लिये खड़े हुए ।)

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं नेता विरोधी दल की आर्थिक स्थिति वाली बात का उत्तर दे दूं ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप कहिये ।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने आर्थिक स्थिति के बारे में जो शंका प्रकट की है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि बतायी गयी है । भुगतान सब हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश का छठी योजना के आखिरी वर्ष में सारी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है । यदि कहीं बैंक से एक या आधे घन्टे को भुगतान में देरी हुई हो, तो यह कोई ऐसी बात नहीं है । बल्कि उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों की अपेक्षा ओवर ड्राफ्ट सबसे कम है । ओवर ड्राफ्ट वाले राज्यों के मुकाबिले में इन पांच सालों में इस प्रदेश ने सबसे कम ओवर ड्राफ्ट लिया है । बहुत से राज्य तो अभी भी ओवर ड्राफ्ट की मांग कर रहे हैं ।

माननीय नेता विरोधी दल को इस सम्बन्ध में चिन्ता अखबारों में पढ़ कर हुई होगी । कुछ का तो कहना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में प्रदेशों का हिस्सा होना चाहिये । मैं इस बहस में नहीं पड़ता । यह एक टम्परेरी फेनामिना था उत्तर प्रदेश में, अब सब भुगतान हो रहे हैं । ओवर ड्राफ्ट का रेगुलराईजेशन हो चुका है । यदि केन्द्र

वित्तीय अनुशासन रखना चाहता है तो यह देश के हित के लिये उचित है, उसका हम स्वागत करते हैं। केन्द्र से पूरी सहायता उत्तर प्रदेश को मिल रही है। इसको आर्थिक स्थिति अब चिन्ता करने को स्थिति में नहीं है।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के सम्बधन के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, आज चार दिनों से उस पर चर्चा चल रही है और आज अन्तिम दिन है। इन चार दिनों के दौरान बहुत से सम्मानित सदस्यों नें, इस पक्ष के भी और उस पक्ष के भी, सबने इसमें भाग लिया। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय नेता सदन, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत ही विस्तार से हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमारे क्या भावी कार्यक्रम है, उनको विस्तार में प्रस्तुत कर दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत अनुग्रहीत हूं। उन्होंने मेरे कार्य को बहुत ही सरल कर दिया और बहुत विस्तार से सारी बातों को रखा है।

मैं बहुत संक्षेप में चन्द बातें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने पहले दिन जो भाषण शुरू किया उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज ऐसी शब्दावली से किया जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता उन्होंने नौटंकी, नाच और बेयानी शब्द इस्तेमाल किये। मुझे अफसोस हुआ कि इस तरह का जुमला इस सदन में कहा जाय। नाच और नौटंकी का भी अपना हिसाब किताब है, सबका अपना हिसाब किताब है। आप किसी को उपेक्षा को दृष्टि से नहीं देख सकते हैं और न देखना चाहिये। इस दुनियां में जो कोई व्यक्ति है, जहां कहीं भी है, अपने ढंग से, अपने नेचर से इस दुनिया को खूबसूरत बनाये हुए है। और अगर वह नहीं रह जाता है तो मालूम होता है कि हमारे बीच से कोई चीज चली गयी है। बहुत से हमारे ऐसे नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वह भी फिल्म उद्योग से आते हैं। कब कौन कहां अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर दे, यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम या आप ही ऐसे--हैं जोविधायक हो सकते ह या फिल्म वाले नहीं हो सकते हैं। ऐसी कोई लाइन नहीं खिची है और न कोई ऐसी मान्यता है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री स्वयं फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को सुनना चाहिये। आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री स्वयं फिल्म-इंडस्ट्री से आते हैं। तो यह दुनिया ही एक तरह से नाच-गान है। शेक्सपियर ने कहा है--"इट इज ए टेल टोल्ड बाई ऐन इडिएट फुल आफ साऊंड एन्ड फ्यूरी सिगनिफाइ नथिंग।"

यह दुनिया ही ऐसी है, जिसमें शोर-शराबा है और कुछ है ही नहीं। दुनिया नाच और नाटक है इसलिए किसी लोक सभा के सदस्य के लिए यह कहना उचित नहीं है

(व्यवधान)

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आह्वान किया सहयोग का और कहा कि उससे ही इस प्रदेश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि विरोध पक्ष इसके लिए न कभी तैयार रहा और न आज तैयार है। मुझे जहां तक याद आता है, कभी विरोध पक्ष ने किसी काम में सहयोग दिया हो उसको मैं मिसाल देता हूं। जब एशियाड हुए ...।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वह दिल्ली में हुए, यहां की बात कहिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

यहां नान-एलाइड कंट्रीज का सम्मेलन हुआ, उन सब का विरोध पक्ष ने विरोध किया । यहां राष्ट्र मंडल देशों का सम्मेलन हुआ उसका भी विरोध किया । अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा गया, उसका भी विरोध हुआ । मैं दावे के साथ कह सकता हूं । सन् 47 से लेकर आज तक के लिए एक सवाल रखना चाहता हूं विरोध पक्ष के सामने कि कौन से निर्माण कार्य में आपने सहयोग किया, उसको आप बतायें ।

मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष के कांस्ट्रक्शन में आपका क्या योगदान है, उसको आप बतायें । यही नहीं, एक चीज और कहना चाहता हूं कि पंजाब और आसाम में आपका रुख स्पष्ट नहीं रहा और श्रीमती इंदिरा गांधी जब कहती थीं कि बाहरी और अंदरूनी खतरा है तो विरोधी लोग कहते थे कि यह वोट लेने के लिये बहाना है । मैं तो कहता हूं कि उनको गोली लगी थी और यदि वह बच गयीं होतीं, तो विरोध पक्ष कहता कि यह भी नाटक था । यह विरोध पक्ष का रुख है ।

माननीय, यह कहते हैं कि बड़े कारखाने नहीं लगाने चाहिए । तो कहां वह जाना चाहिए बैक टु नेचर । मुझे रूसो की फिलासफी याद आती है । यह गांव को शहर से लड़ाना चाहते हैं । यह बड़े और छोटे कारखानों की बात करते हैं लेकिन उनमें सामन्जस्य नहीं बैठाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर चीज का इनके पास विरोध के अलावा और कोई बात नहीं है, न यह सहयोग कर सकते हैं और न कोई तरीका सहयोग का बता सकते हैं । इनका तो केवल विध्वन्सक और जलाने का तरीका है, रचनात्मक तरीका नहीं है ।

माननीय, इन्होंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग न होती तो मैं उधर आ जाता । मैं कहना चाहता हूं कि इसका तो इनको मौका 1967, 1969 और 1977 में मिला और बराबर मौका मिलता रहा । अपनी चीज का प्रदर्शन किया, वह आपके सामने है । क्या इन्होंने काम किया, वह आपके सामने है । मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही उत्साहवर्द्धक भाषण मुख्य मंत्री जी ने दिया और अंत में मैं अंग्रेजी में एक पोयम कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं—

वुडस आर लवली डार्क एन्ड डीप,
आई हैव प्रामिजेज टु कीप,
माइल्स टू गो, माइल्स टू गो,
बिफोर आई स्लीप ।

हमने वायदा किया है इस देश को बनाने का और जब तक उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक हम सफर को बंद नहीं करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सभी संशोधन वापस ले लें और सद्भावनाओं के साथ इसको पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 24, 5 बज रहे हैं । मुख्य मंत्री जी ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कापी बांट दी जायं ।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

कृपा करके आप बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के अ।य-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं वर्ष 1985-86 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

यह मात्र अन्तरिम बजट है, जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान शामिल किये गये हैं । इस समय सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि राज्य की अगले वर्ष की योजना के आकार को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अगले वर्ष का सम्पूर्ण बजट, व्यय की नई मदों तथा नई योजना का समावेश करते हुए विशिष्ट अनुमानों सहित, यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

सचिव, आप इसकी कापियां बंटवा दीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें वह खड़े हुए हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मद संख्या 25 आप ले रहे हैं या 26 ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों को मैं साथ ले रहा हूं ।

(आय-व्ययक तथा लेखानुदान की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

लेखानुदान पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब उसे आप लें तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं दोनों को साथ ले रहा हूं, अब आपकी व्यवस्था हो तो दोनों पर हो ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए दो माह से अधिक का लेखानुदान लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

लेखानुदान के पहले आप हमें सुन लें....

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब आज नेता सदन, सदन के अन्दर बोल रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो इन्होंने लोकतन्त्र को जिन्दा और मजबूत करने का संकल्प यहां पर दोहराया है और आज की कार्यसूची में जो मद संख्या 26 है, मैं अपनी बात को उससे जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान है, उसकी धारा 206 में यह स्पष्ट हुआ है कि कोई भी सरकार वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान प्राप्त कर सकती है । मान्यवर, उस एक भाग का मतलब एक छोटा हिस्सा हुआ करता है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, जो अभी मुझ को मिली है, उसके हिसाब से दो महीने से ज्यादा का लेखानुदान इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय प्राप्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो कौल और शकधर की पुस्तक है—प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट," द्वितीय संस्करण, उसके पृष्ठ संख्या 608 में स्पष्ट कहा गया है कि "सामान्य तौर से जो लेखानुदान है वह दो महीने का लिया जायेगा, किन्तु असामान्य स्थिति पैदा हो जाये या लेखानुदान दो महीने के अन्दर न ला जाया पाये या फिर सदन भंग होने वाला हो, तब उस समय लेखानुदान दो महीने से ज्यादा का लिया जा सकता है।"

मैं आपका ध्यान 1969 में जो विधान सभा का निर्णय हुआ था, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने उस समय जो व्यवस्था दी थी, उसकी ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, इसके पृष्ठ संख्या 502 पर, 25 मार्च, 1969 को कार्यवाही में इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी उसको मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। "इस वर्ष सरकार की कठिनाई देखकर जो लेखानुदान उसने पेश किया है, वह ठीक है और परम्परा के अनुसार पेश किया है फिर भी आइन्दा परम्परा ऐसी होनी चाहिये बजट तैयार होकर जब उसका स्वरूप कुछ समय आम बहस होकर मालूम हो हो जाय, तभी लेखानुदान थोड़े समय के खर्च के लिये पेश किया जाय।" तो मान्यवर, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब बजट का स्वरूप समझ में आ जाय, तैयार हो जाय और चर्चा हो जाय तो उसके बाद लेखानुदान थोड़े समय के लिये लिया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 206 की मंशा है कि 12 महीने में 11 महीने को एक हिस्सा न माना जाय बल्कि 1-2 महीने को ही एक हिस्सा माना जाय। मैं समझता हूं कि नेता सदन जो इस सूबे के मुख्य मन्त्री हैं, वह एक जानकार वित्त मन्त्री हैं और इस देश के जाने-माने वित्त विशेषज्ञ हैं। मेरी पीढ़ी उनसे निश्चित रूप से सीखना चाहती है। लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिये हम लोग भी इच्छुक हैं और चाहते हैं कि लोकतन्त्र मजबूत हो। लेकिन क्या यह उचित होगा कि संसदीय परम्पराओं का माननीय नेता सदन स्वयं तोड़ें। क्या यह उचित होगा कि अच्छे से अच्छा भाषण देने के बाद मधुर-मधुर शब्दों के साथ जो उन्होंने भाषण दिया है, उसके प्रतिकूल आचरण वह स्वयं और उनकी सरकार सदन में करे। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।' कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो कथनी से नहीं बल्कि करनी से करें।

मान्यवर, मार्च में चुनाव हुए, 1974 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मन्त्री थे। 14 मार्च को संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था और मार्च में बजट लिया गया था। इस समय पूरे देश में जहां-जहां विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं, वहां पर मार्च में ही लेखानुदान एक महीने का लेने के बाद, या दो महीने का लेने के बाद आय-व्ययक बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेता सदन 5 महीने का लेखानुदान न लें। जनता की गाढ़ी कमाई 5 महीने के लिये न लें बल्कि जो बजट है, जो सदन के आकर्षण का केन्द्र बिंदु है उसको मुख्य बनायें, 5 महीने का लेखानुदान न लें इस पर मेरी आपत्ति है।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैंने आपको लिखकर दिया है। मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री गौरी शंकर भइया—

अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप कहां तक कहेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया--

हमने लिखकर दिया है, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप तजुर्बेकार सदस्य हैं । आप हमको सहयोग दें । कृपा करके आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात तो उन्होंने रख दी है । आप बैठ जायं ।

*(मुख्य मंत्री) श्री नारायन दत्त --

श्रीमन्, माननीय सदस्य बनारस कैंट ने जो प्रश्न उठाया है, वह संविधान के अनुच्छेद 206 को देखें तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लेखानुदान 2 महीने का लिया जा सकता है, 5 महीने का नहीं । इसमें अवधि नहीं दी गयी है । एक भाग का लिखा गया है । श्रीमन्, इस सदन में कई बार ऐसे प्रकरण आये हैं । सन् 67-68 में यहां पर संयुक्त विधायक दल की सरकार थी। उस समय भी श्रीमन्, अध्यक्ष की आप रूलिंग देखें तो पृष्ठ 48 से लेकर पृष्ठ 50 तक इसमें अनेक उद्धहरण हैं । अध्यक्ष की रूलिंग के कोटेशन दिये गये हैं । श्रीमन्, 12 जुलाई, 1973 को, तब मुझे सौभाग्य था वित्त मन्त्री होने का तो जब मैंने लेखानुदान प्रस्तुत किया । तब शम्भू नाथ चौधरी जी ने आपत्ति उठायी थी। तब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 206 में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि केवल दो महीने के लिए लेखानुदान लिया जा सके । उसमें वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान लिये जाने का प्राविधान है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये कई निर्णयों में इस प्रकार का प्रश्न उठा था और यह निर्णय दिया गया कि लेखानुदान 5 महीने का लिया जा सकता है । अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय लिया गया कि पार्लियामेंट में एकदम 5 महीने का ले लिया जाता है । 67-68 में हमारे यहां भी दो बार लिया गया था । एक बार मार्च में लिया गया और दूसरी बार जुलाई में लिया गया । इस प्रकार से यहां भी ऐसी प्रथा रही है कि गवर्नमेंट की सुविधा के अनुसार उसको लाया जाये । इसी प्रकार 1969 में भी 5 महीने का लेखानुदान लिये जाने पर आपत्ति की गयी, जिसे अध्यक्ष द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह एलेक्शन इयर रहा है, हम पहले से यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमी सरकार में बने रहेंगे । हम जानते थे कि हम चुने जायेंगे, लेकिन फिर भी हम असंवैधानिक कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि नई सरकार का बजट पुरानी सरकार बना लें । तो श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि अभी वार्षिक योजना को अन्तिम आकार नहीं दिया गया है । यह 7वीं योजना का प्रथम वर्ष है । हमारा प्रयास है कि 16 करोड़ से अधिक की हमारी योजना केन्द्र द्वारा स्वीकार हो सके । मैं इस बात को मानता हूं कि वोट आन एकाउन्ट बहुत समय के लिए नहीं लेना चाहिए । उस समय लेना चाहिए जब कि इसके लिए बहुत समय आवश्यकता हो ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, यह परम्परा रही है कि 5 महीने का भी वोट आन एकाउन्ट लिया गया है । मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं, खारिज करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान (क्रमागत)

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

अन्तरिम बजट के आधार पर पांच महीने की अवधि का एक लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ एक श्वेतपत्र भी प्रस्तुत है जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध हो जायगी ।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1985-86 की कुल प्राप्तियां 45,33.80 करोड़ रुपये होंगी जिसमें 3168.96 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 1366.20 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा 48.61 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं । राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य के अपने कर राजस्व से 1133.40 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व के रूप में 434.59 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 1107.42 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 493.55 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं । लोक ऋणों से शुद्ध प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य 637.02 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 679.18 करोड़ रुपये के ऋण सम्मिलित हैं ।

बजट वर्ष के दौरान 4943.04 करोड़ रुपये का कुल वचनवद्ध व्यय अनुमानित है जिसमें से 1440.61 रुपये आयोजनागत पक्ष में तथा 3502.43 करोड़ रुपये आयोजनेतर पक्ष में होगा । कुल 3502.43 करोड़ रुपये के आयोजनेतर पक्ष के व्यय में 2652.90 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 849.53 करोड़ रुपये पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है । पूंजी लेखे के आयोजनेतर व्यय में ऋणों के प्रतिदान के लिये 814.63 करोड़ रुपये, ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये 29.49 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत परिव्यय के लिय 5.41 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं ।

वर्ष 1985-86 में संचित निधि में सम्प्रति कुल 409.24 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है जो लोक लेखे के अन्तर्गत 193.58 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को सम्मिलित करने पर 215.66 करोड़ रुपये रह जायगा ।

संसाधनों के अन्तर को अंशतः पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष 343.20 करोड़ रुपये की विशष ऋण सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है जिसे चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में सम्मिलित कर लिया गया है । इससे चालू वित्तीय वर्ष का घाटा 187.74 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है ।

बजट वर्ष के 215.66 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के आधार पर अगले वर्ष का अन्तिम शेष 397.81 करोड़ रुपये की ऋणात्मक राशि होने की सम्भावना है । किन्तु यह केवल एक अनन्तिम अनुमान है । अगले वर्ष के लिये अन्तिम अवशेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही उपलब्ध हो पायेगा ।

मैं इस समय माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा । मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि वे इस अन्तरिम बजट का अनुमोदन कर दें तथा प्रस्तुत लेखानुदान को पारित करने की कृपा करें;

मान्यवर, मैं वर्ष 1985-86 का बजट तथा पांच महीने की अवधि का लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि

जो बजट और लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है, उसे पारित करने की कृपा करें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए । किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में :

(1) हाल में हुए प्रदेश में लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया ।

(2) यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्तमान मंत्रिमंडल से न तो प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन मिलेगा और न प्रदेश का समुचित विकास ही होगा ।

(3) राज्य के विकास के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में किसी नियोजित योजना के क्रियान्वयन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया । आलू समस्या, गन्ने का बकाया, पेयजल समस्या के निदान हेतु भी कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) प्रदेश में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया ।

(5) प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

इसी के साथ अन्य उपस्थित किए गए संशोधन भी अस्वीकृत हुए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 16 मार्च, 1985 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, यह विधेयक जो सदन में लाया गया है बिल्कुल भ्रामक विधेयक है । श्रीमन्, यह विधेयक इस तरह का लाना चाहिये था कि बिक्रीकर को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है । ये अगर बिक्रीकर को समाप्त करने का विधेयक लाते तो वह मानने योग्य होता और छोटे-छोटे व्यापारियों के हित में होता । लेकिन श्रीमन् मूल विधेयक में जो व्यवस्था की कि जब कारखानों में वस्तुएं तैयार होंगी जिस दिन से उत्पादन होगा उत्पादन तैयार हो जायेगा उस दिन से बिक्री कर लगेगा । अब उसमें छूट कर के कि उत्पादन के 6 महीने बाद या बिक्री के दिन से उस पर कर लगाया जायेगा । इन्होंने जो बिल रखा है उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि वे कौन से कारखाने होंगे, बड़े उद्योग होंगे, किस कारखाने में कौन सा माल तैयार होगा । जिस पर 6 महीने के

उत्पादन के बाद या बिक्री के दिन से कर लगाया जायेगा । इससे साफ प्रतीत होता है कि जैसे केन्द्र सरकार ने अपने बजट में देश के बड़े पूंजीपतियों को और देश के बड़े व्यापारियों को छूट दी है जिससे कि वे बड़े ही प्रसन्न है, वह जनता के हित में काम नहीं किया गया है । उसी प्रकार से ठीक उसी के अनुरूप बिक्रीकर संशोधन विधेयक को लाकर उस बात को परिलक्षित करने का काम किया है । इससे ऐसा मालूम होता है कि इनकी मंशा बिक्रीकर को समाप्त करने की बिल्कुल नहीं है । बिक्री कर उत्पादन के 6 माह बाद से लगा दिया, बिक्री के दिन से लगा दिया, इसमें बहुत घपला होगा । कब से बिक्री होगी, इसका लेखा-जोखा कौन रखेगा ? कारखाने को उत्पादन करने के लिये लिखा है । कब बिक्री हुआ अपने रजिस्टर में लिखे । इसके लिये शासन की कोई एजेन्सी नहीं है कि कब माल उत्पादित हुआ कब बिक्री हुआ ? कारखाने वाले को जब इच्छा हो बिक्री दिखाये । इसमें बिक्री कर चुराने का लाभ कारखाना वालों को मिलेगा । इसलिये मुझे आशंका हो रही है कि यह वर्तमान सरकार कारखाने वालों से अवैध पैसा लेकर अपने चुनाव में खर्च करती है, अपने व्यक्तिगत कामों पर खर्च करती है । कहीं अपने ऊपर उनके पैसे का उपयोग करने के उद्देश्य से तो रियायत नहीं दी जा रही है । इससे केवल कारखाने वालों को लाभ मिलेगा । जनता को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यापारी मनमाने ढंग से काम करेगा । उनपर कोई अंकुश नहीं रहेगा । अगर बिक्री कर का लाभ इन व्यापारियों को देना चाहते हैं तो जनता पार्टी ने जो सरलीकरण की नीति बनायी थी, उसी को अब लागू कर दीजिये । या जो अधिकारी व्यापारियों के यहां जा कर उनके बिक्रीकर का वहीं निपटारा कर देते थे, उस बात को विधेयक के रूप में ले आते लेकिन इन तमाम बातों को न करके इन्होंने उसमें व्यापारियों के और लाभ को बांट कर दो हैं और विधेयक के द्वारा असमंजस्य की स्थिति पैदा कर दिया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप बिक्रीकर से लाभ करना चाहते हैं तो छोटे व्यापारी जो कर से बिलकुल लदे जाते हैं, उनके लिए या तो बिक्रीकर बिलकुल समाप्त करने का विधेयक ले आये या जनता शासन में जो नीति अपनायी गयी थी, वह ले आइये । नहीं तो यह विधेयक जनता को भ्रम में डालने वाला विधेयक है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लें । बिक्रीकर समाप्त करने के लिए एक अच्छा सा विधेयक सदन में ले आये । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह जो विधेयक बिक्रीकर में संशोधन के लिए लाया जा रहा है, यह प्रदेश में जो औद्योगीकरण है, उसके विकास में उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगें उनको जो सहूलियतें दी जा रही थीं, पहले से, उनमें जो औद्योगिक इकाइयों को कठिनाइयां महसूस हो रही थीं, बिक्रीकर की छूट में, उसमें कुछ संशोधन है, दो संशोधन हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं है । उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक तरह की इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा और इससे इकाइयां ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी । इसलिए यह जो संशोधन है, इसमें आगे देना होगा कि उत्पादन जिस दिन से प्रारम्भ होता था उस दिन से उनको छूट दी जाती थी और

अधिकतम उनका समय 7 वर्ष का होता था लेकिन बिक्रीकर बिक्री पर लगता है। इसमें कभी-कभी यह होता था कि उनकी बिक्री काफी दिन बाद होती थी तो जो लाभ उनको मिलना चाहिए था, वह अन्त में जाकर उनको कम हो जाता था तो इस तरह से जो सहूलियतें उनको दी जानी थी बिक्रीकर के माध्यम से वह उनको पूरी नहीं मिलती थी। जैसे उदाहरण के लिए 7 वर्ष का समय जिस दिन से उनकी पहली बिक्री होगी जो 6 माह में होनी चाहिये। अगर किसी के उत्पादन पर जब बिक्री वह शुरू करता है, 6 माह के बाद मान लीजिए बिक्री हुई तो उसको जो सहूलियतें लाभ के लिए दी जा रही है, वह वास्तव में 6 साल 6 माह ही मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह संशोधन किया गया है।

दूसरा जो संशोधन है, वह इसलिए आवश्यक हुआ प्रदेश के लिए कि उनमें जो नई इकाई लगायी जाती थीं, उस नई इकाई में आपने देखा होगा बहुत सारे जिले हैं जो शून्य हैं। जहां एक भी उद्योग नहीं लगा तो यह देखें कि वहां पर उद्योग कैसे आये। तो उद्योग वही स्थापित कर सकता है, जिसे छोटे या बड़े उद्योग का अनुभव हो लेकिन छूट उनको मिलती थी, जिसको एक ही प्रकार की इकाई न हो। तो वह व्यक्ति इसको वजह से दूसरी इकाई दूसरे जिलों में स्थापित नहीं कर सकता है। थोड़ा सा चेक था। लेकिन, बहुत सारे जिले ऐसे हैं, जिनमें औद्योगीकरण कायदे से नहीं हो पाया है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनके पास एक भी इन्डस्ट्री नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको एक जिले में यूनिट्स हैं, और वे दूसरे जिलों में उसी प्रकार की यूनिट्स नहीं लगा सकते थे, तो उनको ऐसे जिलों में यूनिट्स लाने की सुविधा दे दी गई है। बिक्री-कर में भी छूट दी जायगी।

सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो औद्योगीकरण

चाहिये। इसी औद्योगीकरण को बढ़ाने के लिए इस तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसलिए इसका आप सब लोगों को समर्थन करना चाहिये।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैंने यह जो संशोधन विधेयक बिक्री-कर में आया है, ध्यान से पढ़ने की चेष्टा की। माननीय मन्त्री जी के भाषण को भी सुना। मैं उम्मीद करता था कि जैसा कि प्रदेश की आवश्यकता भी है, इस बार प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों का मुद्दा भी रहा है कि बिक्री-कर का वर्तमान स्वरूप समाप्त कर दिया जाना चाहिये और आय पे जो कमी होगी उसको पूरा करने के लिए उत्पादन अधिक होगा, टर्न ओवर अधिक होगा या और कोई विधि निकाली जायगी। कांग्रेस ने भी वोट मांगते समय यह वायदा किया था। लेकिन आज संशोधन विधेयक देखा तो निराशा हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन बातों का जिक्र न करके दो एक और बातों को कहा है, हालांकि मैं उनकी नीयत पर शंका नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस रूप में यह रखा गया है, उससे औद्योगीकरण का कोई हित नहीं होगा। माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। मैंने अभी उनका भाषण ध्यान से सुना था।

मंत्री जी ने कहा कि औद्योगीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से यह सहायता दी गई है। लेकिन इसका उद्देश्य पूरा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

होगा । इसके लिए मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । एक यह कि यह व्यवस्था की गई है कि नई इकाइयों को सुविधा दी जायगी और नई इकाइयों को बिक्रीकर से छूट दी जायगी । अब मान्यवर, मेरे पास पहले से एक फैक्ट्री प्रेमिसेस था, उसे मैं चला रहा था, उसी प्रेमिसेस को आधा काट कर दूसरी फैक्ट्री खोल देंगे, तो उसको सात साल की छूट और सुविधाएं मिल जायेंगी । दूसरा उदाहरण यह है कि मैं सीतापुर से निर्वाचित होकर आया हूं । वहां पर आयल इन्डस्ट्रीज बहुत सारी हैं । आयल सीड्स खराब हो रहे हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि अब केवल 32-33 आयल यूनिट्स काम कर रही हैं । अब जिनकी वहां पर यूनिट्स काम कर रही हैं, सीड ज्यादा है तो मालिकान वहां एक-एक और नई इकाई खोल देंगे, साल-साल के लिये बिक्रीकर से छूट मिल जायगी । मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह से आपका औद्योगीकरण बढ़ाने से क्या फायदा हुआ । इसीलिए मैं इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजना चाहता हूं कि जो छूट मिले वह किस तरह से मिले ।

औद्योगीकरण के लिए नई इकाई को फायदा मिलना चाहिये, लेकिन यदि वास्तव में नई इकाइयों को फायदा देने की बात है तो फिर नये उद्योगों का रजिस्ट्रेशन करके नये लोगों को देखना होगा । बरेली में साबुन के उद्योग हैं, सीतापुर में तेल उद्योग हैं, वहां इतनी व्यवस्था उद्योग हैं कि और नई यूनिट्स लगाने से पुरानी यूनिट्स मर जायेंगी । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रवर समिति में यह मामला जाय और वहां इस बात पर विचार किया जाय कि छूट तो मिले लेकिन उसका युक्तिसंगत ढंग क्या होगा, जिससे प्रदेश में ये इकाइयां बनें ।

दूसरी बात यह है कि इम्प्लायमेंट के नये साधन खुलने चाहिये क्योंकि उसमें टोटल प्रतिनिधित्व इम्प्लायमेंट का है । उसमें कटौती होगी । इसलिए इस संशोधन से काम नहीं चल पायेगा ।

दूसरी बात यह है कि आप निर्धारित तिथि से बिक्रीकर पर छूट देंगे । जो व्यवस्था की गई है, वह यह है । मैं सीतापुर का उदाहरण देना चाहूंगा । मेरे पास एक पत्र है । पुराने वित्त मन्त्री जी का । यह मैं इस समय पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जिस तारीख से इन्होंने माना है, वह है 1 अक्तूबर, 1982 । इसमें लिखा है कि बिक्रीकर से छूट की जो सुविधा राज्य सरकार को दी गई है वह उन्हीं नये उद्योगों को अनुमन्य है जिनका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 तथा 31 मार्च, 1985 के बीच में हो । लेकिन यदि उसने रा-मेटीरियल इस तिथि से पहले ही क्रय कर लिया हो और उसे बिजली का कनेक्शन मिलता है 1 अक्तूबर को, तो उस स्थिति में क्या होगा । यह मंत्री जी का पत्र है । यह उन्हीं उद्योगों के लिये अनुमन्य है जिन्होंने कच्चा माल 1 अक्तूबर, 1982 से पहले ही क्रय कर लिया था । इसलिये यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ।

तीसरी बात यह है कि बिक्रीकर रा-मेटीरियल पर और फिनिस्ड गुड्स पर भी लगता है । लेकिन जो छोटी-छोटी आटा मिलें हैं, आयल सीड की मिलें हैं, जो गेहूं खरीदते हैं और आटा बनाकर बेचते हैं, उन पर आप 8 प्रतिशत लें लेकिन धान और आयल सीड पर इसे कैसे ले सकते हैं । इसलिये इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये, जहां इन सब चीजों के बारे में छानबीन हो जायेगी । जो हमारा बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 है और उसका 4 (बी) है, छूट आप उसमें देते हैं । जैसे आयल सीड खरीदते हैं । चाहे वह प्रदेश के अन्दर हो या प्रदेश के बाहर हो, उसमें आप 2 प्रतिशत छूट देते हैं । और अगर वह दिल्ली में बेचना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि छूट नहीं देंगे । यदि उसने आयल सीड का तेल बनाकर दे दिया तो 2 प्रतिशत

छूट देंगे । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 (बी) (6) में पेनाल्टी लगाने की क्या जरूरत है । यदि वह 6 माह के बाद तेल बनाकर बेचें तो उसका क्या इन्टरेस्ट है । डी0 एस0 ओ0 इस बात को जानते थे । लेकिन इसी बीच सरकार का आदेश पहुंच गया और इससे औद्योगिक इकाइयों के ऊपर अन्याय हो रहा है । इसलिये हम चाहते हैं कि इस पर आप पुनः विचार करें । इसमें कई विसंगतियां इस तरह की रह गई हैं । इसीलिए आज व्यापारी यह कहते हैं कि बिक्रीकर समाप्त होना चाहिये । इससे छोटे दुकानदार परेशान होते हैं । इसलिये जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं वर्तमान विधेयक को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है । क्योंकि इन विसंगतियों के कारण औद्योगीकरण का कोई लाभ नहीं है । यदि आप नई इकाई को सहायता देना चाहते हैं तो आप इसे प्रवर समिति में जाने दें और प्रवर समिति इसमें व्याप्त कमियों पर विचार कर उन्हें पूरा करें । और, इन सब चीजों पर विचार कर इसे ऐसे रूप में लायें ताकि वास्तव में व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों । इसलिए मैं इस बात पर बल देते हुए यह अनुरोध करता हूं कि प्रवर समिति के प्रस्ताव को सदस्य स्वीकार करें जिससे कि एक माह के अन्दर रिपोर्ट आने पर इस पर नये सिरे से बात की जा सके ।

श्री गोपाल दास यादव—

माननीय, अपने जो मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी मन्त्री जी ने दो महत्वपूर्ण बातें बतायीं । सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और नयी नयी इकाइयों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी । लेकिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिक्री कर के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री कर वह नासूर है, जो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है । इस लिये माननीय, मैं यहां पर मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बिक्री कर को खत्म करें और वे बड़े उद्योगों की बात करते हैं, एडीशनल प्रोडक्शन टैक्स लगाने की बात करें । अतिरिक्त उत्पादन कर के माध्यम से राजस्व को भी अच्छी प्राप्ति होगी और जो यह बिक्री कर है इसका खात्मा होगा और हमारे समाज में इससे व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म होगा । माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री कर वह नासूर है जो हमारे समाज के अन्दर बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैलाये हुये है । इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को दण्ड मिलता है, समाज को इसका दण्ड मिलता है वहीं दूसरी ओर जो निर्माता हैं, वह दिन रात बिक्री कर के माध्यम से मुनाफा कमा रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि दवा के क्षेत्र में आप ले लें । दवा में जो सेल्स टैक्स के बारे में अंकित होता है, उससे जनता में भ्रम होता है । एक ही दवा दूसरी दुकानों में भिन्न-भिन्न भाव में मिलने से जनता को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कहीं यह नकली दवा तो नहीं है या क्या यह दवा निम्न स्तर की तो नहीं है ।

माननीय मन्त्री जो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बिक्री कर को खत्म करने के लिए एडीशनल प्रोडक्शन टैक्स लगायें। माननीय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज समाज के अन्दर जब तक नैतिकता नहीं आयेगी चाहे व्यापारी वर्ग हो, वहां पर बिक्री कर व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पायेगी । आज लोग बहुत सी चीजें खरीदते हैं, लेकिन बिल जो है वह थोड़ी चीजों का ही बनवाते हैं, इस पर कोई किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है । माननीय, आज जो यह बिक्री कर का नासूर समाज में गलत रूप से पनप रहा है, इसको खत्म करना होगा । और, एडीशनल प्रोडक्शन टैक्स लगा कर जनता को राहत पहुंचाना होगा । मैं अधिक कुछ न कहते हुये माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि यहां पर जन हित को

ध्यान में रखते हुये यह जो संशोधन लाये हैं, इनको कृपया वापस ले लें ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को जो प्रवर समिति में भेजने का सुझाव दिया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार की तरफ से संशोधन विधेयक नहीं अपितु पूंजीपतियों की साजिश है और उनसे इनकी सांठ-गांठ है। इन पूंजीपतियों को बिजली में छूट दिये हुए हैं. कर्जे में छूट दिये हुए हैं, सात साल की बिक्री कर से छूट दिये हुए हैं, अब उत्पादन पर 6 महीने की और छूट दी जा रही है। और, वहां इकाईयां चाहे जगह बदल कर दूसरी जगह दूसरी इकाई खड़ी कर लें। यह चन्दा देने के लिये इन्होंने दांव पेंच कर रखा है। मान्यवर, इस सरकार की जानबूझ कर, बिक्री कर को समाप्त करने की और सही आमदनी होने की बुनियाद पर नीयत नहीं है। औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने की चिन्ता और नीयत नहीं है और न ही इस प्रदेश के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान है। इनकी यह अपनी घांधली चलाने की नीयत है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को चलाने हेतु जनता की गाढ़ी कमाई का यह सरकार दुरुपयोग कर रही है और यही सरकार का ध्येय है। यदि आप जनता का हित चाहते हैं और प्रदेश में औद्योगिक विकास चाहते हैं तो माननीय सदस्यों के सुझावों के साथ आप इसे प्रवर समिति को भेज दें ।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1985 जो माननीय मन्त्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने संशोधनों के साथ इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की बात कही, उसे मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मान्यवर, यदि इस संशोधन से सम्बन्धित अधिनियम की मूल धारा को पढ़ लिया जाता तो शायद माननीय सदस्य इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की बात नहीं कहते। इसकी मूल धारा 4-क को आप देखें। शायद माननीय सदस्यों को इस बात का भ्रम है कि उद्योगपतियों का बिक्री कर में छूट दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य इतना बता दें कि बरेली में साबुन की फैक्ट्री लग सकती है ?

श्री जयदीप सिंह—

इसमें कहा गया है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जो उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है, वहां पर सरकार विज्ञप्ति करा कर बिक्री कर छूट प्रस्तावित करेगी ताकि वहां उद्योग स्थापित हो सके। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां यातायात के साधन नहीं हैं। कहीं विद्युत नहीं है। और कई अन्य दूसरे साधन नहीं हैं। माननीय सदस्य भी समय-समय पर मांग करते रहे हैं, उद्योग स्थापित करने की अपने पिछड़े क्षेत्रों में। इसलिए मैं कह रहा था कि इस विधेयक में कुछ संशोधन करके इसे यहां पर लाया गया है। जिस मूल धारा 4-क की बात मैं कर रहा था, उसमें लिखा है "उपधारा (1) में शब्द ऐसे निर्माण द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से के स्थान पर ऐसे निर्माण द्वारा प्रथम बिक्री के दिनांक से, यदि ऐसी बिक्री उत्पादन करने के दिनांक से 6 मास के भीतर की जाय और किसी अन्य मामलों में उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 6 मास की समाप्ति के पश्चात् के दिनांक से रख दिये जायेंगे।"

यह इस लिये कहा गया कि किसी ने अपनी फैक्ट्री लगायी। उसने 6 मास में जो उत्पादन किया, उसकी बिक्री नहीं हो पायी, तो उनके लिए यह किया गया है। यह तो आप भी जानते हैं कि उत्पादन होने के तुरन्त बाद माल बिक नहीं जाता और और न ही उसके तुरन्त

डोलर बनते हैं । ऐसी स्थिति में राहत देने के लिए यह संशोधन है । पहले यह होता था कि वह अपनी फैक्ट्री का एक्सटेन्सन कर लेता था, फलस्वरूप दोहरा फायदा ले लेता था, परन्तु अब वह ऐसा नहीं कर पायेगा । अब आप इसके खन्ड 1 की उपधारा-ख को देखें इसमें कहा गया है कि "वहां माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में या उससे संलग्न स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला, या

(ग) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के कोई परिवर्तन या प्रसार और । ये सभी छूट के पात्र नहीं होंगे । जो लूप-होल थ, उनमें माननीय मन्त्री जी ने सुधार हेतु यह कदम उठाया है । मुझे बिक्री कर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । जहां तक इस संशोधन का मन्तव्य है यह संशोधन जनहित में हैं । पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गति को तेज करन के लिए हैं और व्यापारियों को जो लूप-होल हैं जिनका वह नाजायज फायदा लेते थे, उनको बन्द करने तथा उद्योगपतियों को चेक करने के लिए हैं, इस लिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम गोबिन्द चौधरी--

श्रीमन्, जो आशंका मुझे थी वह मन्त्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दी । उन्होंने कहा कि नई इकाई लगाने में नये लोगों को कठिनाई होती है इस लिए पुरान लोगों को ही नये कारखाने लगाने की छूट दी जायेगी । एक तरफ तो उद्योगों के विकास के लिए बार-बार मांग की जाती रही है कि एक कारखाने वाले को दूसरा कारखाना खोलने की छूट नहीं दी जायेगी लेकिन उनके भाषण से स्पष्ट हो गया कि जो एक कारखाना लगाये हैं वही दूसरा भी लगायेंगे । इस लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है, ढुलमुल है । उनका बयानारियों से सांठ-गांठ है, दो नम्बर के लोगों से सांठ-गांठ है इसलिए मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं । अच्छा होता बिक्री कर समाप्त करने के लिए आप विधेयक विधान सभा में ले आये होते तो हम सब लोग उसका हार्दिक स्वागत करते ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने अपने विचार संशोधन पर प्रकट किये । जो माननीय सदस्य बरेली अभी भाषण दे रहे थे, जहां तक नई यूनिट्स को जो सुविधा देने की बात है, तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह काम किया जा रहा है, इम्पलायमेन्ट के नये साधन सृजित हों और इस विधि से उस उद्देश्य पर कुठाराघात हो रहा हो तो जिन-जिन क्षेत्रों में ऐसी चीजों का, जिनका स्कोप नहीं है तो उनसे लाभ क्या है ? संसदीय कार्य मन्त्री जो भी सीतापुर से आते हैं, मूंगफली बोते वह हैं और तेल हम बेचते हैं । अगर वहां कोई नई यूनिट नहीं है तो हम लोग क्या करें । इस लिए मैंने प्रवर समिति में भेजने की बात कही है । केवल कुछ ही लोगों को सुविधा दी जाय, मैं इसका विरोधी हूं अतः मैं इसको वापस नहीं लेता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये हैं । श्री गुप्त जी ने एक आशंका प्रकट की इस बिल के संशोधन से कि जो उद्योग पहले से लगे हुए हैं, वे अपनी सिक यूनिट को दूसरी जगह ले जायेंगे....

(व्यवधान)

श्रीमन्, इसमें साफ यह लिखा हुआ है कि ऐसी मशीनें जो कहीं उपयोग में लाई गई हों वह उसमें नहीं लगाई जायेंगी और आपने जो अभी अपने भाषण के अन्त में एक बात कही है कि जो उद्योग कहीं लगे हैं, वह दूसरी जगह लगायेंगे । जैसे पंजाब में साइकिल का उद्योग लगा है, वह आलरेडी अपना

काम कर रहे हैं, वह अपना यूनिट यहां लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिये यह बनाया गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके शान्त रहें। कृपा करके आपस में बात न करें। आप मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मैंने माननीय सदस्यों से सुना कि इस तरह से प्रदेश के औद्योगीकरण का ह्रास होगा, यह उनका भ्रम है और असत्य है। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही यह बनाया गया है। आप अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव और अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक 1985

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अपर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 19 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट सख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा प्रथम बिक्री के दिनांक से, यदि ऐसी बिक्री-उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास के भीतर की जाय और किसी अन्य मामले में उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात् के दिनांक से" रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) 'नई इकाई' का तात्पर्य किसी कारखाने या कार्यशाला से है चाहे उसे किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया हो जिसकी पहले से राज्य में किसी अन्य स्थान पर वही माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई अन्य माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर या उससे संलग्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते :—

(क) कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें ऐसी मशीन, साधित्र या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से ही प्रयोग में लाये गये हों और न ही उसमें प्रयोग किये जाने के लिए अर्जित किये गये हों ।

(ख) वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में या उससे संलग्न स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला, या

(ग) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्द्धन या प्रसार, और"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1985

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985

*श्री गौरी शंकर भइया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

यह सदन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, जिस दिन यह अध्यादेश और बिल पुटअप किया जा रहा था, हाउस में उस दिन हम लोगों ने इसका विरोध किया था और आज भी हम इसका विरोध कर रहे हैं ।

इसमें कहा गया है, कि "चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और इस विषय में तत्काल विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए, राज्यपाल द्वारा 1 फरवरी, 1985 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 प्रख्यापित किया गया था।" उसके बाद 14 फरवरी, 1985 को विधान सभा के सारे सदस्य आ गये, मात्र 12 दिन का अन्तर पड़ता था और 12 दिन के अन्तर पर जब विधान सभा बुलाई जानी थी, तो उसको 12 दिन के लिये रखना न तो लोकतांत्रिक था और न संसदीय आचरण के लायक था, लेकिन इसलिये किया गया कि यदि हाउस बुला कर बिल के रूप में लाया जाता है तो माननीय सदस्य विरोध करेंगे । इन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्क को दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 से समाप्त कर दिया जायगा, यह शुल्क 2 पैसे प्रति यूनिट था । उक्त शुल्क के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त धनराशि की हानि होने जा रही थी । अतः इस हानि को पूरा करने के लिये विद्युत् शुल्क को 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया । इस प्रकार, जो केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को 2 पैसे की छूट प्रति यूनिट देने वाली थी, उसको यह बर्दाश्त नहीं कर पाये और राज्य सरकार की ड्यूटी में 2 पैसे की छूट लगा दी । आज अखबारों में देखा होगा कि बिजली विभाग की दुर्दशा कैसी है और इसके बारे में केन्द्र में गम्भीर चर्चा होने वाली थी । आज के अखबार में यह भी लिखा हुआ है कि पूरे प्रदेश में अन्धेरा है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रायबरेली, सुल्तानपुर तथा तिवारी जी के इलाके में केवल विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दूसरा काम इन्होंने यह किया कि 6 पैसे से 8 पैसे कर दिया और 25 प्रतिशत, जब 1952 में लोकप्रिय सरकार बनी थी तो पन्त जी ने वायदा किया था। इसी सदन में कि उत्पादन शुल्क उत्तर प्रदेश में 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसी कुर्सी पर श्री नारायन दत्त जी मुख्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं। उसी कुर्सी पर बैठकर प्रदेश की जनता से किये गये वायदे को कुचल रहे हैं। यह 25 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत करना चाहते हैं। इन बिन्दुओं के आधार पर मैं इस अध्यादेश को सदन में लाने का विरोध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अननुमोदन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, इस विधेयक पर जो अननुमोदन का संकल्प रखा गया है, मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। पहले माननीया मन्त्री को विचार हेतु प्रस्तुत करने दें।

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि जो सरकार अपने को जनता का हितैषी कहती है, जो चुनाव के समय वायदा करके आयी है कि हम महंगाई को रोकेंगे, जनता की भलाई करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, वही माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार है कि जिसने शासनारुढ़ होते ही, एक अध्यादेश लाकर जनता के ऊपर कर-भार बढ़ाना शुरू कर दिया है। सन् 1977-78 में जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने 2 पैसे प्रति यूनिट उत्पादन शुल्क को माफ कर दिया था। लेकिन मान्यवर, इनको यह गंवारा नहीं हुआ, ये अपने को किसानों का हितैषी कहते हैं। लेकिन शासन में शासनारूढ़ होते ही उत्तर प्रदेश की जनता पर कर लादने शुरू कर दिये।

मान्यवर, यदि आप 1947-48 के प्रस्ताव को देखें, इसी सदन में माननीय पन्त जी ने आश्वासन दिया था कि "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी।" लेकिन माननीय तिवारी जी, जो कि हिमालय से ही आते हैं, ने माननीय पन्त जी की गरिमा को धूमिल कर दिया। उन्होंने जो इस सदन को वचन दिया था, उसको इन्होंने भंग कर दिया। इन्होंने 25 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। मान्यवर, आप देखें कि उन्होंने उल्लेख किया है उद्देश्य और कारण में कि "6 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति यूनिट करना आवश्यक समझा गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक था ।"

मान्यवर, 12 दिन के लिये ये रोक नहीं सके, कहते हैं कि हानि की सम्भावना थी । कितनी हानि की सम्भावना थी, इसका उल्लेख नहीं है । आज राज्य विद्युत् परिषद् जिस तरह से काम कर रहा है, आज विद्युत् परिषद् का रेलवे बोर्ड के बाद दूसरा स्थान है । इतना बड़ा राज्य विद्युत् परिषद् जो कि तीन हजार करोड़ की पूंजी से विनियोजित है, उसमें आप कहते हैं कि हानि है । प्रत्येक वर्ष उसमें उपभोक्ताओं से चाहे वह किसान हो, चाहे घरेलू बिजली हो, हर साल जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से प्रत्येक वर्ष ये इसमें वृद्धि करते आये हैं । चाहे उत्पादन शुल्क हो, चाहे उपभोक्ताओं का मामला हो, चाहे घरों को बिजली का मामला हो, किसी न किसी प्रारूप में ये वृद्धि करते रहे । आज विद्युत् परिषद् धीरे-धीरे दिवालिया हो गया है । प्रदेश के 57 जिलों में से 45 जिलों में बिजली नहीं है । ये बिजली किसी को नहीं दे पा रहे हैं लेकिन उत्पादन शुल्क और बिजली की दरों में हर वर्ष उपभोक्ताओं पर कर लादते जा रहे हैं ।

(इस समय 6 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये ।)

आज जिलों में समय से बिजली नहीं मिलती है । बिजली के अभाव में रबी की फसल सूख रही है । विद्यार्थियों को परीक्षा के समय पढ़ाई करने के लिये बिजली नहीं मिल पा रही है । वे बेचारे अन्धेरे में अपने इम्तहान दे रहे हैं । आज प्रदेश के हर मामले में यह सरकार अक्षमता का परिचय दे रही है । हमारे प्रदेश में 1959 की सितम्बर माह में राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना हुई थी । जिसका उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा हम प्रदेश की तरक्की करेंगे । हम प्रदेश को आगे ले जायेंगे लेकिन मान्यवर, अगर आप देखे तो आज प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, टी० ए०, डी० ए० देने के लिए पैसा नहीं है । विद्युत् परिषद् आज बी० एच० ए० एल० का और कोयले का पेमेंट नहीं कर पा रही है । यह लोग विद्युत् परिषद् में बैठे हैं लेकिन वहां के चेक बैंक में जो जा रहे हैं, वह डिस-आनर हो रहे हैं । आज हम अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गड़बड़ियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं उसके बदले गरीब उपभोक्ताओं को और जिन्होंने आपको आज यहां पदासीन किया है उनको दंडित कर रहे हैं । जिनसे आपने वायदा किया था कि हम सुविधा देंगे ।

आप जरा देखिये हमारे यहां आज बिजली का रेट क्या है और दूसरे प्रदेशों में क्या है ? प्रति यूनिट केरल में 29 पैसा है, बंगाल में 53 पैसा है, आंध्र प्रदेश में 43 पैसा है, गुजरात में 42 पैसा है, हरियाणा में 40 पैसा है, मध्य प्रदेश में 39 पैसे हैं, उड़ीसा में 37 पैसे हैं, राजस्थान में 44 पैसा है, तामिलनाडु में 38 पैसा है और हमारे यहां 57 पैसा प्रति यूनिट है और आज जो आप बढ़ा रहे हैं, उससे 60 पैसा हो जायेगा । इससे हम विद्युत् परिषद् की अक्षमता का परिचय दे रहे हैं, वहां पर भ्रष्टाचार है । आप देखें इंस्टाल्ड कैपेसिटी 37 सौ मेगावाट है और पिछले साल भी 37 सौ थी । जहां आपने अभिभाषण में कहा है कि प्रतिवर्ष 200 मेगावाट तापीय बिजली का उत्पादन हम बढ़ायेंगे बजाय इसे बढ़ाने के ओबरा का उत्पादन 1550 मेगावाट की जगह 315 ही रह गया है । यह कल रात को बात में बता रहा हूं कि 315 मेगावाट फुल था । पूरा तापीय उत्पादन 6 सौ, साढ़े 6 सौ से ज्यादा नहीं है । जल विद्युत् उत्पादन 37 सौ के स्थान पर केवल एक हजार मेगावाट हम उत्पादन कर रहे हैं । तो यह बड़े शर्म की बात

है बजाय उसे ठीक करने के आप गरीब किसानों और गरीब उपभोक्ताओं पर हर साल कर भार बढ़ा रहे हैं। तो यह कौन सा न्याय है। मान्यवर, आज स्थिति गम्भीर हो गयी है मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय विद्युत मंत्री यहां बैठे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें जो एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट दे तब तक इस पर आगे कार्यवाही न करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक मिनट का समय मैं और लूंगा। आपको अगर विद्युत परिषद् को ठीक करना है तो इसका पुनर्गठन करें, और इसके उपर जिम्मेदारी दें। आज वहां पर थरमल के आदमी को तापीय काम के लिए रखा जाता है जिनका इसमें कोई अनुभव नहीं होता है, उनको मेम्बर बना देते हैं। चेयरमन को जो महाराष्ट्र से निकाले गये, यहां ले आये। केवल सिनियारिटी से ही आप किसी को मेम्बर न बनाये। आप केन्द्र सरकार में रह आये हैं और जानते हैं कि सिनियारिटी के साथ-साथ काबिलियत का भी ख्याल रखा जाता है। यहां पर कोई भी जो काम जाने या न जाने, उसे मेम्बर बना दिया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह जो अतिरिक्त कर-भार लगा रहे हैं, इसको न लगायें और इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जिसमें एक महीने विचार हो उसके बाद ही कार्यवाही हो। यदि आवश्यकता हो तब कर बढ़ायें, अन्यथा इसे न लगायें। मैं यही आग्रह करूंगा कि अनर्गल तर्कों के आधार पर कर-भार न बढ़ायें। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के जरिये अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में परिवर्तन करके विद्युत शुल्क 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और प्रति यूनिट 6 पैसे से 8 पैसे करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर बड़ा भारी अन्याय है। वह उपभोक्ता चाहे किसान हों या घर में बिजली, पंखा चलाने वाले हों और चाहे छोटे-मोटे उद्योग चलाते हों, उनके प्रति अन्याय है कि हम बिजली तो दे नहीं पाते हैं, मिनिमम चार्जेज लेते हैं। जब 1977 में जनता पार्टी थी तो केन्द्र सरकार ने दो पैसे की छूट दी थी, तो यह बात नहीं थी कि दो पैसा जनता की तरफ से केन्द्र सरकार दे रही है। ऐसी बात होती तो टैक्स लगाने की बात पहले से तय करते, उत्तर प्रदेश की सरकार तय करत कि दो पैसे के बदले केन्द्र सरकार से लेंगे, तो कुछ समझ में आता। लेकिन ऐसी बात नहीं थी।

अब मान्यवर, बिजली विभाग के मसले में और भी चिन्ता के साथ सोचना चाहिये कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि सरकार सिर्फ बिजली की चोरी समाप्त कर दे तो भी बहुत कुछ भला उपभोक्ताओं का और बिजली विभाग का हो सकेगा। मान्यवर, आपको ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में 16 प्रतिशत की छीजन है, महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत, दूसरे सूबों में 10 प्रतिशत से अधिक छीजन नहीं है। तारों में बिजली जाती है तो थोड़ी बहुत उसमें 8-9 प्रतिशत छीजन हो, तो ठीक है, लेकिन यहां 16 प्रतिशत छीजन है। इसी छीजन में चोरी भी शामिल है। चोरी करने के और भी तरीके हैं। बहुत से लोगों को बिजली के बिल बढ़ा कर दिखा देते हैं जबकि उन्होंने कंजम्पशन नहीं किया होता है। चोरी दूसरी जगह हुई होती है और बिलों में खर्चा दूसरों के दिखा देते हैं। इसलिए यदि यह चोरी ही समाप्त कर दें तो बहुत भला हो सकता है। यह उपभोक्ताओं पर जबरदस्ती

अन्याय है, ऐसी स्थिति में, जबकि हम उनको बिजली दे नहीं पाते हैं। इसलिए सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें जो एक महीने में अपना प्रतिवेदन दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में एक-एक, दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, बिजली का सवाल इस समय नं0 1 का सवाल बन चुका है। मैं समझता हूं कि 57 में से करीब 50 जिले ऐसे हैं जहां अंधेरा छा गया है और सिंचाई से लेकर पारिवारिक जिन्दगी दूभर हो चुकी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह उम्मीद करता था कि जब इनकी सरकार बनेगी तो बिजली के सवाल को यह हल कर लेंगे लेकिन मैं अब समझता हूं कि जो इस सरकार की नीति बिजली के इस संकट को दूर करने की नहीं है। मैं ऊर्जा मंत्री और मुख्य मंत्री की नीयत पर शंका नहीं करता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह बिजली के संकट को दूर करना चाहते हैं लेकिन जिस नीति को लेकर यह चल रहे हैं उससे बिजली का संकट दूर नहीं होगा, चाहे इनकी सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार बने, इस नीति और ढांचे को लेकर चलेंगे तो बिजली का संकट दूर नहीं होगा। पिछले 6-7 सालों से मैं सुझाव दे रहा हूं कि उत्पादन और वितरण को अलग-अलग कर दें, इसकी घोषणा भी की जा चुकी है लेकिन आज तक इसको अलग नहीं किया गया है। और भी जितने सुझाव आए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। पैबन्द लगाने से कार्य नहीं चलेगा। किसी भी चेयरमैन को रख दीजिए, किसी को हटा दीजिये, उससे बुनियादी तौर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे का पूरा विद्युत परिषद किसानों की समस्याओं से अछूता पड़ा हुआ है। मुख्य मंत्री जी आप अपनी नीतियों को नया दृष्टिकोण दें। इस समय पूरे के पूरे बिजली के सवाल को विकेन्द्रित करने की आवश्यकता है।

आज से 20/30 साल पहले नगरों की बिजली आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती थी, लेकिन जब से यह परिषद् बनी, बड़ी-बड़ी योजनायें लगी हैं-- थर्मल पावर की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, बड़ी-बड़ी योजनाएं लगी हैं, वह व्यवस्था बिलकुल समाप्त हो गयी है और बिजली का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले एक मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था और सार्वजनिक स्थान पर उन्होंने उसकी घोषणा भी कर दी थी कि हम बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। हम सरकारी हाथों में इसे नहीं रखेंगे। मैं निजी क्षेत्र का ज्यादा हामी नहीं हूं, मैं मानता हूं कि इस तरह के बड़े प्रतिष्ठान प्राइवेट हाथों में नहीं रहने चाहिये। परन्तु भले ही आप इसको भी अलग कर दें, लेकिन जब तक पूरे की पूरी व्यवस्था को विकेन्द्रित नहीं करेंगे, खाली ओबरा, रिहन्द या ऐसे अन्य बड़े थर्मल पावर से सूबे की बिजली की आवश्यकता आप पूरी नहीं कर सकते हैं। पिछले महीने मुख्य मंत्री ने 121 करोड़ रुपया बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया था और आज फिर एक महीने बाद यह अवसर आ गया कि आप बिजली पर ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं। आज जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, जिस कदर बिजली आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो गया है, उस समय में इसकी ड्यूटी दर को यदि आप बढ़ा देंगे तो जनता का विश्वास इस नई चुनी हुई सरकार से उठ जाएगा। अतः सरकार, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, मौजूदा परिस्थिति के लिए जनता को जिम्मेदार न मानते हुए, बढ़ी हुई ड्यूटी को वापस ले और हमारे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री रामगोविन्द चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय रेवती रमण जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह जो विधेयक ले आए हैं, वह जनता के हित में बिलकुल नहीं हैं। इससे राज्य विद्युत् परिषद, जो इस प्रदेश में एक सफेद हाथी बन कर रह गया है, के काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम किया गया है। जनता शासनकाल में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इसे समाप्त किया था, उसको पुनः किसानों की एवं जनता की हितैषी सरकार ने उन पर पुनः भार लाद दिया है। विद्युत् परिषद् ने जो जनता को उत्पादन का आंकड़ा दिया था, उसके अनुसार अप्रैल, 1984 में 1,054 मी0 यूनिट उत्पादन का लक्ष्य था और उसने उत्पादन किया मात्र 931 मी0 यूनिट का। मई में इन्होंने 1,194 मिलियन यूनिट उत्पादन करने की घोषणा की लेकिन 984 मिलियन यूनिट पैदा किया। जून में 1154 मिलियन यूनिट उत्पादन करने की घोषणा की लेकिन पैदा किया 879 मिलियन यूनिट। इसी तरह से जुलाई में 987 मिलियन यूनिट पैदा करने की बात की लेकिन पैदा किया 892 मिलियन यूनिट। इसी तरह से आठवें महीने में 1009 मिलियन यूनिट पैदा करने की बात की लेकिन पैदा किया 936 मिलियन यूनिट। तो मान्यवर, जितना इन्होंने उत्पादन करने का लक्ष्य रखा उतना उत्पादन कर नहीं पाये। इसी तरह से 9वें महीने में 1119 मिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य रखा लेकिन पैदा किया 883 मिलियन यूनिट। 10वें महीने में 1267 मिलियन यूनिट पैदा करने की बात थी लेकिन पैदा हुयी 1003 मिलियन यूनिट बिजली। तो श्रीमन्, जो विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है उसको पूर्ति नहीं कर पायी।

आपको एन0 टी0 पी0 सी0 से 117.49 करोड़ रुपये की बिजली खरीदनी पड़ी, तब जाकर इस प्रदेश में कुछ बिजली की आपूर्ति हो पायी। उसके बावजूद भी श्रीमन, यह घोषणा करते रहे कि हम बिजली किसान को दे रहे हैं और शहर को दे रहे हैं। जब किसान के खेत में जायं तो किसान कहता है कि हमारा ट्यूबवेल बन्द है बिजली शहरों को दी जा रही है। लेकिन न बिजली किसानों को दी जा रही है और न शहरों को। शहरों में अंधेरा है। तो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए कोई बात नहीं की गयी है। बिजली पर जो अधिभार था उसको जनता पार्टी के शासनकाल में हटाया गया था। जनता की हितैषी, किसान की हितैषी कहलाने वाली वर्तमान सरकार ने, जन-विरोधी सरकार ने पुनः उस अधिभार को लगा दिया और 25 पैसे की जगह पर 35 पैसे कर दिया। तो एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली खरीद कर भी इन्होंने बिजली नहीं दिया। अंधेर नगरी, अंधेरा राजा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी बिजली विभाग सुधारना चाहते हैं तो राज्य विद्युत् परिषद् को सुधारें और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर ईमानदार लोगों को लायें और बिजली के उत्पादन को बढ़ायें। इसलिए जो प्रस्ताव है, प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

इस पर एक घंटे का समय है।

श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं। यह जनता के हित में किया गया है प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये किया गया है। प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए, जनता के हित में किया गया है मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इससे किसानों को सुविधा बढ़ेगी। इससे जो राजस्व प्राप्त होगा। उससे किसानों को बिजली मिलेगी और उनके उद्योग के लिए बिजली मिलेगी मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इससे किसानों का भला होगा।

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी)(संशोधन) विधेयक, 1985···

श्री अधिष्ठाता--

संशोधन तो प्रस्तुत हो गया है। उस पर आप बोलें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इसी विषय पर नियम 51 में सूचना है। उसको पढ़वा दीजिये और इसी में शामिल करवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन आया है मैं उस पर विचार करवा रहा हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इसमें संशोधन हैं, उसे नम्बरवार ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

उसको मैं देख लूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, बिजली का संकट पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं ऊर्जा मन्त्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, मैं आपको अखबार नहीं दे पाया हूं, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। इसी सरकार के उद्योग मन्त्री, श्री गोपी नाथ दीक्षित ने कहा है, जो कि 18 मार्च के "आज दैनिक" में प्रकाशित है कि बिजली के संकट के कारण उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है और विद्युत् परिषद् के सूत्रों ने भी इस बात की घोषणा की है जो कि 21 मार्च के "आज दैनिक" में प्रकाशित है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में 47 जिलों में अंधकार छाया है। विद्युत् परिषद् के सूत्रों ने कहा है कि 4 जिले ऐसे हैं, जिसमें पूरी विद्युत् की आपूर्ति हो रही है और 8 महा नगरों में केवल 8 घंटे बिजली दी जा रही है। यह बिजली संकट अभी और रहेगा। रायबरेली, सुल्तानपुर, नैनीताल और लखनऊ ये चार जिले हैं, जहां पर बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यह संकट केवल विपक्ष की ओर से नहीं कहा जा रहा है यह तो सरकार की ओर से, विद्युत् परिषद् की ओर से भी कहा जा रहा है। इसलिए सभी लोग मिल कर स्वीकार कर रहे हैं।

इस वक्त विद्युत् का संकट पूरे प्रदेश भर में व्याप्त है। माननीय मुख्य मंत्री ने दो जवान मन्त्रियों को ऊर्जा विभाग देकर लोगों में आशा जगाने की कोशिश की है। ये सुधार लायेंगे। जब तक विद्युत् परिषद् का हाथी खड़ा है और जब तक महान अष्टाचार इसके अन्दर व्याप्त है, तब तक ये विद्युत् परिषद् सुधार नहीं सकते। इस विद्युत् परिषद् को भंग किया जाना चाहिये। वर्तमान सारी व्यवस्था समाप्त किया जाना चाहिये। नए सिरे से अगर ऊर्जा मन्त्री, मुख्य मन्त्री मिलकर नई नीति और व्यवस्था के आधार पर इसका गठन करेंगे, तभी जाकर इसमें कुछ सुधार हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में कहा गया, जो कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि आज विद्युत् परिषद् के पास पैसा नहीं है कि वेतन दे पाये, जिलों का भुगतान दे पाये। मैं पिछली सरकार के विद्युत् मन्त्री, माननीय ब्रह्मदत्त जी की लिखित टिप्पणी

को कोट करना चाहता हूं । बिल का भुगतान करने के लिए बिद्युत् परिषद् के पास पैसा नहीं है । वेतन का भुगतान करने के लिए विद्युत् परिषद् के पास पैसा नहीं है । लेकिन क्लास थ्री और क्लास फोर्थ कर्मचारियों को तबाह करने के लिए पैसा है । एक कर्मचारी, पारसनाथ तिवारी न्यायालय से जीत गया, विद्युत् परिषद् ने हाई कोर्ट में अपील किया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी हार गये, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया । जब यह मामला विद्युत् मन्त्री के पास आया, तब विद्युत् मन्त्री माननीय ब्रह्मदत्त जी ने अपनी टिप्पणी में लिखा, जो कि मैं पढ़ रहा हूं "विद्युत् परिषद् इस मुकदमें में जानबूझकर धन बरबाद कर रही है । इसमें केवल वकील की फीस देने के लिए, श्रम न्यायालय के बाद हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है । सुप्रीम कोर्ट के अन्तरिम आदेश को देखते हुए यह उचित होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही श्री तिवारी को सेवा में वापस ले लिया जाय तथा सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया जाय" यह मान्यवर, विद्युत् मन्त्री की टिप्पणी में कहा गया है । विद्युत् परिषद् ने उत्पादन घटने के बारे में कहा है कि कोयला घटिया मिलता है । तो उत्पादन कहां से हो । मेरा कहना है कि इस घटिया कोयला के पीछे विद्युत् परिषद् का भ्रष्टाचार, कारण है, इसलिए उत्पादन घट रहा है ।

मान्यवर, अनेक माननीय विधायकों ने कहा कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है, उसका एक तिहाई उत्पादन हो रहा है । मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि कि यदि यह गलत हो तो यह सिद्ध करने की कोशिश करें, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पायेंगे, क्योंकि यह हर पहलू से सिद्ध हो चुका है कि एक तिहाई उत्पादन हो रहा है । उद्योग बन्द पड़े हुए हैं, शहरों में अंधेरा छाया हुआ है । आज स्थिति यह हो रही है कि बिद्युत् का एक तिहाई उत्पादन हो रहा है । आज सरकार जनता की सेवा नहीं कर पा रही है । लोगों को विद्युत् नहीं दे पा रही है । जनता की सेवा न करने वाली सरकार को जनता पर किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी करना सर्वथा अनुचित तथा असामाजिक है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय और प्रवर समिति के पास भेजा जाए, फिर अगर कोई बात बनती है तो उस पर विचार किया जाएगा । मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य तीन-तीन मिनट में अपनी बात कह लें, क्योंकि समय कम है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, आपके निर्देशों का अनुपालन करते हुए माननीय मन्त्री जी को सुझाव देकर मैं बैठ जाऊंगा । एक खुशी की बात यह है कि यह विभाग ऐसे मन्त्री को मिला है जो योग्य, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं । एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ उत्पादन लागत में किसानों को दुगुने रेट पर बिजली दी जाती है । वहीं यह देखें कि पूंजीपति को उत्पादन लागत से कम रेट पर बिजली दी जाती है मान्यवर, किसानों से एक तरफा बांड भराया गया कि साढ़े बाईस रुपये प्रति हार्स पावर रेट से बिजली दी जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से यह नहीं कहा गया कि कितनी बिजली उनको मिलेगी । इसमें दो पैसे की छूट केन्द्रीय सरकार ने दी थी, बढ़ा दिया गया है । किसानों के द्वारा ही यह घाटा पूरा क्यों किया जा रहा है । मान्यवर, अभी एक बिक्रीकर वाला संशोधन विधेयक आया था । उसमें इन्होंने बिक्री कर में छः महीने की छूट दे दी । किसानों को मान्यवर, दो पैसे की छूट नहीं दी । माननीय मन्त्री जी किसानों के बड़े हमदर्द हैं । इनको किसानों की सुविधा के बारे में सोचना

चाहिए था । इसी के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बिजली उत्पादन में बराबर गिरावट आते रहने से बिजली में बराबर चोरी होने से किसानों को बिजली नहीं मिल पाती हैं । उद्योगों को बिजली नहीं मिल पाती है, तो जितनी वांछित बिजली देने की यह घोषणा करते हैं, उतनी बिजली यह नहीं दे पाते हैं । उसके बाद उन पर कर का बोझ डाल देते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने अपनी ओजस्वी भाषा में अभी जो सदन को आश्वासन दिया, उससे क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता । दो पैसे की छूट को यह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकी । उस पर भी अधिभार डालकर बिजली के मामले में इस सरकार ने प्रदेश को तबाह कर दिया । फिरोजाबाद में जो चूड़ी की कटाई और कांच की घिसाई का काम करता है, उसकी मशीन नहीं चल पाती है, उसको दिन भर बिजली नहीं मिलती है । उससे जो मिनिमम चार्ज लेते हैं उसको भी देने की वह क्षमता नहीं रखता है । ऐसी सूरत में बिजली पर कर भार बढ़ाना अव्यवहारिक और जनता के साथ धोखा है । मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और मंत्री जी इस विधेयक को वापस लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब राज्य मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही थीं, तो उनके चेहरे से अपराधबोध झलक रहा था । उनके मुख से ऊर्जा समाप्त हो गई थी । ठीक उसी प्रकार जैसे पूरे प्रदेश की ऊर्जा समाप्त हो गयी है । केन्द्र सरकार दो पैसे की छूट देती है और उत्तर प्रदेश सरकार 4 पैसा बढ़ाती है । हमारे सुनील शास्त्री जो शास्त्र में पारंगत हैं, जनता पर, किसानों पर टैक्स लाद रहे हैं । मान्यवर, उनके परिवार की एक परम्परा रही है, उनका परिवार किसानों का हमदर्द रहा है, किसानों के लिये बहुत काम किया है, कम से कम शास्त्री जो ऐसा भार किसानों पर न डालें । जनता पार्टी के समय में गांवों के लिये 24 घंटे बिजली उपलब्ध थी । जनता सरकार ने 12 रुपये प्रति हार्स पावर बिजली देने का काम किया । आज इनकी सरकार 6 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है और साढ़े 22 रुपये प्रति हार्स पावर किसानों से वसूली की जा रही है ।

जिस समय तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, विद्युत उत्पादन गिर कर 6 सौ मेगावाट हो गया था । जनता शासन में यह विद्युत उत्पादन 6 सौ मेगावाट से बढ़ कर 18 सौ मेगावाट हो गया था । माननीय सुनील शास्त्री जी जो शास्त्र में पारंगत हैं, विद्युत परिषद् को भंग करके पुनर्गठन करें । अनुभवी लोगों को लेकर गांव, देहात के लिये किसानों के लिये विद्युत सप्लाई करें । मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो छूट दिया है, उस पर शास्त्री जी जबरदस्ती और कर भार लादने का काम न करें । मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह की जो बहस होती है, उससे माननीय सदस्य इस बात का प्रयास करें कि जो बात कही जा चुकी है उसको दोहरायें न बल्कि नई बात कही जाय ।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय मन्त्री जी पहले भी विद्युत मंत्री थे, उनके बाद ब्रह्म दत्त जी मन्त्री थे, अब दो नवजवान मंत्रियों को यह भार सौंपा गया है । आज विद्युत उत्पादन 7 सौ मेगावाट नहीं हो रही है । पूरे देश को आप देखें तो उत्तर

प्रदेश की सरकार सबसे मनहूस रही है। मान्यवर, हमारे चुनार क्षेत्र में 31 अक्तूबर को ओबरा में करोड़ों की सम्पत्ति जल गई। इसके पहले जो आर0 के0 सन्याल चेयरमैन थे, वह तो कहते थे कि हम मुख्य मंत्री के अन्डर में नहीं आते हैं। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इज एन अदर स्टेट। मैं कैसे आशा करूं कि आप विद्युत बोर्ड पर नियंत्रण करेंगे। मान्यवर, लेनिन ने कहा था कि गांव-गांव में बिजली होगी तो समाजवाद आयेगा। मान्यवर, बिजली की तीन स्टेज हैं। जनरेशन, ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन तो मान्यवर, इनका शून्य है। जनरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। मान्यवर, आप देखें कहीं खम्भे हैं तो तार नहीं। उनके विभाग के लोग ही चोरी करते हैं। एल्यूमिनियम के तारों की जगह तांबे के तार लगा दिये जायं तो आपके जनरेशन में प्रोमोशन होगा। हिन्डालको पर साढ़े नौ से साढ़े सत्तरह करोड़ का बिल का बकाया है, वह भी उत्तर प्रदेश में किसानों या जो छोटे लघु उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं, उन पर अधिभार पड़े, 6 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत और आपको 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक। मैं नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, विद्युत के अभाव में बेकार है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ऊर्जा मंत्री जी, यदि चर्चा में कुछ कहना चाहते हों तो कह लें।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, जो यह उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी संशोधन विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसमें मैं एक स्पष्ट जानकारी अपने माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि इससे किसी भी उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है। सभी ने इस बात को कहा कि 2 पैसे बढ़ाये गये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को इस संशोधन विधेयक से किसी भी उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है। यही नहीं हमारे जितने भी किसान हैं जिनको ट्यूबवेलों और पम्पिंग सेटों के लिए कनेक्शन दिये गये हैं उनके ऊपर भी किसी प्रकार से यह ड्यूटी लगती ही नहीं तो अतिरिक्त भार का सवाल ही नहीं पैदा होता।

मान्यवर, मैं अपने सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक है इसके द्वारा जनता कनेक्शन पर भी कोई अतिरिक्त भार नहीं लगता। संशोधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भारत सरकार का सेन्ट्रल इक्साइज जो 2 पैसे का होता था, वह भारत सरकार अपनी ही विद्युत परिषद् के माध्यम से उपभोक्ताओं से ले लेती थी और बाद में उतनी ही धनराशि भारत सरकार प्रदेश सरकार को भेज देती थी और उसको हम विकास के कार्यक्रमों में प्रयोग में लाते थे। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को तय किया कि अब वह इस ड्यूटी को इक्साइज के रूप में नहीं लेगी बल्कि राज्य सरकार इस पर निर्णय ले ले कि वह इस पर क्या करेगी? जो हमारा खरीद है 55 पैसे प्रति यूनिट है और जो 2 पैसे भारत सरकार लेती थी उसको मिलाकर 57 हो जाता था। वही 57 अब भी है केवल इतना हमने किया है कि जो केन्द्र सरकार करती थी उसे राज्य सरकार अब लेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इससे किसी भी उपभोक्ता के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जिन्होंने संशोधन के बारे में कहा है, वह अपना संशोधन वापस लें क्योंकि जनहित को देखते हुए विद्युत के विकास को देखते हुए, यह संशोधन लिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गौरी शंकर भइया--

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ड्यूटी लगती है। भारत सरकार जो लेती थी, इन्हीं के उत्पादन से कहीं न कहीं इनको ही दिया जाता था। पिछले 12 दिन पहले भारत सरकार ने कह दिया कि न लेंगे, न देंगे। तो इस तरह से जो 57 पैसा लगता था, उस पर दो पैसे की छूट मिल रही है, लेकिन आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप 57 को 57 ही रहने देना चाहते हैं 55 नहीं होने देना चाहते हैं। इस दो पैसे को इकट्ठा किया जाय तो यह लाखों करोड़ों रुपया होगा। कैसे मान लिया जाय कि यह विधेयक बड़ा साधारण, सुधार है। इसलिये हम अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर जोर देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको वापस ले लें। दो पैसे में तिवारी जी का मंत्रि-मंडल दीवालिया नहीं हो जायगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं इस पर बल देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको 57 से 55 कर दें। आज यहीं हाउस में यह घोषणा कर दें तो इधर और उधर दोनों तरफ के पैसे वाले [illegible]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में मुख्य मंत्री जी से बात कर लें। मैं मध्यस्थता के लिये बैठा रहूंगा।

श्रीमती सुखदा मिश्र--

श्रीमन्, जब 1-10-84 को भारत सरकार ने यह पिछला नियम खत्म कर दिया, लेकिन उसके साथ ही यह छूट भी दे दी कि यह जो दो पैसे की कमी हुई है, इसको पूरा करने की आपको पूरी छूट है और इसको पूरा कर लेना चाहिये। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। बड़ा सीधा सा संशोधन है जिसे हम लाए हैं और जैसा कि भूतपूर्व बिजली मंत्री जी ने कहा कि यह बारह दिन पहले ही क्यों लाया गया, जब कि विधान सभा शुरू होने वाली थी, तो हम यह कहना चाहेंगे कि इस संशोधन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि उसकी पूर्ति करनी थी, इसलिये बारह दिन पहले इसको लाया गया। मेरे विचार में, इसमें राय की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं थी इसके पहले, इसलिये कि इस पूर्ति को पूरा करना था। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसा कि कहा गया, यह बात गलत है कि बिजली बोर्ड दीवालिया हो गया है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पैसे की कमी की बात कही भी जाय तो उसके अनुसार एक-एक पैसे जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगी कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि अभी जो माननीय मंत्री जी भाषण दे रही थीं, ये रायल होटल में छोटे से मकान में रह रही हैं, यदि ये अच्छे आवास में रहने के बदले दो पैसे वापस ले लें तो इनको अच्छा आवास दिलवा दिया जाय, जिससे कि ये दो पैसे वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी है।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इस सरकार ने जन विरोधी काम किया है, इसलिए मैं और मेरा दल इस सदन का परित्याग करते हैं ।

(श्री रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री यदुनाथ सिंह भी सदन त्याग कर चले गए।)

खंड 2

2--उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 332 सन् 195 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि 1 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1985 के पूर्व जारी की गई ऐसी अधिसूचना को ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक को या से जो 1 अक्तूबर, 1984 के पूर्व न हो प्रभावी बनाया जा सकता है ।"

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिए जायेंगे ।

(दो) शब्द "छः पैसे" के स्थान पर शब्द "नौ पैसे" रख दिए जायेंग ।

(ग) उपधारा (5) में खंड (ख) निकाल दिया जायगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड (ख) (एक) में शब्द "पैंतीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिए जांय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं कि इसे इस तरह से किया जाय । जैसा कि मैंने स्पष्ट किया

है, यह बहुत आवश्यक है । जब विधेयक में एक क्लाज है उसी के तहत 25 प्रतिशत तक जो पैसा आता था, उसको हमने इस विधेयक के द्वारा 2 पैसा अतिरिक्त किया है तो उस 24 पैसे को 35 प्रतिशत तक करना है जिससे 8 प्रतिशत तक की धनराशि वसूल की जा सके ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के उपखन्ड (ख) (एक) में शब्द "पैंतीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर भइया---

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से विधेयक में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खंड 2 का उपखंड (ख) (एक) निकाल दिया जाय ।

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, इसके बारे में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं इसलिए सम्मानित सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 का उपखंड (ख) (एक) निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड (ख) (दो) में शब्द 'आठ पैसे' के स्थान पर शब्द 'तीन पैसे' रख दिए जायें । मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है कि भारत सरकार 2 पैसे की ड्यूटी लगा रही थी और यह 2 पैसे की ड्यूटी अपने यहां से चार्ज कर रहे थे । जब भारत सरकार ने दो पैसे की ड्यूटी को छोड़ दिया तो यह सरकार कैसे हिमाकत कर रही है कि उसे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ।

उस दो पैसे को आप न वसूलें । 8 पैसे बढ़ाने को कहा है, मैंने प्रस्ताव किया है कि 8 पैसे की जगह 3 पैसा कर दिया जाय । 6 पैसे में से 2 पैसे घंटा दिया जाय तो 4 पैसे हो जाता है, एक पैसा गरीब जनता के लिए माफ कर दें, तो क्या बुरा होगा? विद्युत मंत्री जी अभी कह रही थीं कि विद्युत बोर्ड दिवालिया नहीं है । लेकिन, गरीब किसान तो निश्चित रूप से दिवालिया है । आप हाई वोल्टेज करेन्ट सस्ते दर पर वहां तक पहुंचा दीजिए तो बड़ी अच्छी बात होगी । 6 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश हैं । लेकिन, मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली मिल रही है किसी भी गांव में आप पता लगा लें । फिर भारत सरकार ने अधिभार कम किया है, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । इस लिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड (ख) (दो) में शब्द "आठ पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन पैसे" रख दिए जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 के खंड 2 का उपखंड (ख) (दो) निकाल दिया जाय, संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस संशोधन का भी मैं बिरोध करता हूं और गौरी शंकर भइया से यह अनुरोध करता हूं कि अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें । मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इससे किसी भी उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है । जो अब तक बिजली का रेट है, वही उससे लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 का उपखंड (ख) (दो) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1985

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रसर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड–3, खंड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

परिवहन मंत्री (श्री संजय सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन इसलिए लाया गया है कि जो परिवहन के कर्मचारी यात्री बसों का संचालन करते हैं, उसमें ड्राइवर की सीट हो आज तक यात्री–कर से मुक्त थी, परन्तु उसके साथ जो सहयोगी चलता है जिसे परिचालक कहते हैं, उसकी सीट इस कर से मुक्त नहीं थी । चूंकि यह सत्यता पर आधारित था, इसलिए इस विधेयक को यहां पर लाया गया है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह एक बहुत ही छोटा बिल है । मैं समझता हूं कि इतने छोटे बिल को, इतने भारी खर्च के बाद यहां पर लाने का कोई औचित्य नहीं है । यह तो इनकी बुद्धिमता का परिचायक है जिन्होंने ड्राइवर की सीट को तो सुरक्षित कर दिया लेकिन कन्डक्टर की सीट को छोड़ दिया । ताज्जुब लगता है कि उस समय श्री लोकपति त्रिपाठी जी ही परिवहन मंत्री होंगे । यही इस तरह का काम कर सकते हैं । लगता है माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक इस सदन में इसलिए प्रस्तुत किया है कि इससे पहले मंत्री जो राज्य मंत्री थे, किन्तु अब उनका प्रमोशन केबिनेट मंत्री के रूप में हो गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब सभी मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे भी बिधेयक प्रस्तुत करना चाहिए । उन्होंने ढूंढ खोज के बाद यह इस तरह का विधेयक निकाल दिया, जो मैं समझता हूं कि इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है ।

माननीय मंत्री जी नौजवान मंत्री हैं और वे सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर यहां पर आये हैं । वोटों के मामले में तो उन्होंने हिन्दुस्तान में रिकार्ड बनाया है, उसी प्रकार यदि मंत्री जी

बसों के बढ़ा हुआ किराया कम कर इस विधेयक को यहां पर लाते तो एक अच्छी बात होती और उनका एक रिकार्ड भी इस हिन्दुस्तान में बन जाता। विधेयक लाये हैं, ऐसा जिसमें कन्डक्टर को सुरक्षित स्थान पर बैठाना है और चपरासी को खड़ा करना है। ऐसा तो इनका विधेयक है। आप विधेयक लाते कि हम टूटी-फूटी बसों की मरम्मत कर रहे हैं, तब तो कोई बात होती। बसें जो आपकी चल रही हैं, उनमें हार्न की जरुरत नहीं है, उनसे खरड-खरड की आवाज स्वतः आती है। जब हम अपने जनपदों से यहां विधान सभा में आते हैं तो भगवान ही मालिक है कि हम यहां तक आ जाते हैं। उनकी हालत ऐसी है कि हमेशा आशंका बनी रहती है कि कहीं इन्जन आगे चला जाय और पीछे की सीट पीछे ही न रह जाय। लूट-खसोट तो इस विभाग में बहुत ज्यादा है। बस पर नया इन्जन लगता है, ज्योंही वह बस गैरेज में जाती है तो उसके पुर्जे व इन्जन बदल दिये जाते हैं। फिर उसमें पुराना इन्जन व टूटे-फूटे पुर्जे लगा दिये जाते हैं। इस विभाग ने प्रदेश में परिवहन विभाग की स्थिति को जर्जर कर दिया है। किराये में ये लोग 3-3 बार वृद्धि कर चुके हैं। आप प्रदेश के जाने-माने राजा है, सम्पन्न व्यक्ति हैं; सम्पन्न विभाग मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कन्डक्टर को तो सुविधा दें किन्तु जो प्रदेश की जनता खड़खड़िया गाड़ी में बैठकर यात्रा करती है, जिसे जाड़े में कम्बल ओढ़ना पड़ता है इसलिये कि शीशे टूट गये हैं। बरसात में भीगना पड़ता है, उसके बारे में भी सोचें। मैं देख रहा हूं कि जितने हमारे मंत्री हैं, सब परेशान हैं। इसलिये मैं अपना भाषण बन्द करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले कर खड़खड़िया गाड़ियों को ठीक करायें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, इसमें मैं समझता हूं, हमारे मित्र चौधरी साहब भी इसके पक्ष में हैं कि कन्डक्टर की सीट को भी टैक्स कर से मुक्त किया जाय। इस-लिए मेरा निवेदन है कि इस ऐक्ट को संशोधित करने में मदद करें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अनुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 2, 3, खन्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985

संयुक्त प्रान्त मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तींसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 21 नवम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन 1935 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रथम अनुसूची में, भाग "ख" (परिवहन गाड़ियां) में अनुच्छेद 4 में,—

(क) खन्ड (4), खन्ड (5) और खण्ड (6) में, जहां-जहां भी शब्द "ड्राइवर को छोड़कर" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर" रख दिए जायेंगे :;

(ख) वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके "स्पष्टीकरण 1" कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण-2 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण-2—खन्ड (4) या खन्ड (5) या खन्ड (6) के अधीन कर की धनराशि को संगणना करने के लिए ड्राइवर और कन्डक्टर के बैठने के स्थान की गणना नहीं की जाएगी ।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, 3, खन्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री संजय सिंह—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई :--श्री राम सागर, श्री विजय सिंह राणा, श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हर्ष वर्धन, श्री प्रकाश सिंह, श्री रघुबर दयाल, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी की । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनमें से किसी को मन्जूर नहीं किया है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने आज अपनी बठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन का कार्य-क्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

1--वित्तीय वर्ष 1985 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2--वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार और मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

3--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1985 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परि-षद द्वारा पारित हुआ ।)

--आधा घन्टा

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

--एक घन्टा

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985--

--आधा घन्टा

4--प्रदेश में बढ़ते जल-प्रदूषण के सम्बन्ध में श्री शत्रुद्र प्रकाश द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घन्टे की चर्चा ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में विद्युत उत्पादन में गिरावट एवं उसकी अपूर्ति में कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इस वक्तव्य में जो सत्य गुरु सिंह नाम छपा है, वह किस सदस्य का है ? पहले इसको ठीक किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

इसको ठीक कर दिया जायेगा । इसको ठीक कर दिया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ कहने पर कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।)

इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं की गयी ।)

ऊर्जा मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

[मार्च, 85 में प्रदेश का औसत विद्युत उत्पादन 33.5 मि0 यू0 प्रतिदिन है और केन्द्र द्वारा संचलित विद्युत गृहों से आयातित विद्युत लगभग 8.2 मि0 यू0 प्रतिदिन है । इस प्रकार प्रदेश में विद्युत उपलब्धता 41.7 मि0 यू0 प्रतिदिन की दर से है । प्रदेश में औसत प्रतिबन्धित विद्युत मांग लगभग 44.4 मि0 यू0 प्रतिदिन की है । इस प्रकार प्रदेश में 2.7 मि0 यू0 प्रतिदिन की दर से विद्युत कमी है । जिसका कारण नदियों में पानी की कमी है इसको नगरों एवं उद्योगों की आवश्यकतानुसार आकस्मिक कटौती करके पूरा किया जा रहा है ।

माह मार्च में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन विद्युत उपलब्धता 6 घन्टे प्रतिदिन रही है । इस वर्ष मार्च का औसतन तापीय उत्पादन लगभग वही है जो पिछले वर्ष मार्च में था । परन्तु हिमालय में स्थापित जलीय विद्युत घरों से पिछले वर्ष की अपेक्षा 34 प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन हो रहा है ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी सही स्थिति बतायेंगे लेकिन मुझे दुःख है कि विद्युत परिषद द्वारा जो स्थिति बतायी गयी थी, उसी का वक्तव्य यहां दे दिया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है, जलीय और तापीय क्षेत्रों में ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें जो स्टेटमेंट आया है इसके प्रथम भाग में ही आप जो सवाल कर रहे हैं, मौजूद है ।

कुवर रेवती रमण सिंह--

मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि सरकारी नलकूपों और निजी नलकूपों को कितनी विद्युत आपूर्ति करनी है और कितना नहीं कर पा रहे हैं या निकट भविष्य में हम इसे कितना कर पायेंगे इसका कोई हवाला नहीं है ?

*श्री सुनील शास्त्री--

अन्यत्र इस उत्पादन में तापीय विद्युत 2522 है लेकिन मैं इस बात को यहां पर कहना चाहूंगा कि ओबरा में अग्निकांड के कारण और हरदुआगंज में भीषण अग्निकान्ड हो जाने के कारण, विद्युत संयंत्रों के जल जाने के कारण इस समय तापीय विद्युत 2032 मेगावाट को रह गयी है ।

जहां तक विद्युत उत्पादन का सवाल है, इस वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि तापीय विद्युत उत्पादन, जितना इन मशीनों से सभी दिक्कतों को देखते हुए किया जा सकता है, उसे किया जा रहा है लेकिन संकट

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस समय प्रदेश के सामने जो है, वह यह है कि जल विद्युत् से जो आशा थी और उम्मीद थी, उनसे उतनी मात्रा में विद्युत् नहीं उपलब्ध हो रही है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जितने हमारे 'रन आफ दि रिवर" के पावर हाउसेज हैं, उनमें नदियों में इतना कम पानी है क्योंकि जो वर्षा होती है जाड़ों में वह इस बार बहुत कम हुई, बल्कि हुई ही नहीं, बर्फ भी बहुत कम गिरी और पिघलना भी तेजी से प्रारम्भ नहीं हुआ। जो बड़े-बड़े जल विद्युत गृह हैं—छिबरो, चीला, खुदरी, जिनसे पिछले मार्च में काफी विद्युत् प्राप्त हुई थी, इस बार बहुत ही कम मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है । यही एक मुख्य कारण है कि विद्युत् की जो कमी है प्रदेश में उसकी पूर्ति हम सही मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं । जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समय 63 मि0 यूनिट की मांग है, कटौती लगाई गई । कटौती के बाद 45 मि0 यूनिट के ऊपर इस बात को तय किया, निर्धारित किया कि 45 मि0 यूनिट के अन्तर्गत अधिक से अधिक विद्युत् चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, नगर का क्षेत्र हो या गांव का क्षेत्र हो, हर जगह विद्युत् पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मशीन, मशीन होती है, कोयले की खराबी के कारण, ट्यूब लीकेज के कारण मशीनें बन्द हो जाती हैं, लेकिन बन्द होने का मतलब यह नहीं है कि काफी दिनों के लिये बन्द हो जाती हैं, फिर भी एक, दो या तीन दिनों के अन्दर प्रयास किया जाता है कि ठीक कर लिया जाय । जब मशीन खराब होती है तो तापीय विद्युत् का उत्पादन गिर जाता है, जिसके कारण "एमरजेंसी रोस्टरिंग" करनी पड़ती है, जिसके कारण शहरों की बिजली, जो कि नहीं काटनी चाहिये, लेकिन फिर भी कट देनी पड़ती है, किन्तु जो "शेड्यूल रोस्टरिंग" है, वह इसलिये निर्धारित की गयी थी कि प्रातः काल जो कम से कम घन्टे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में हों, उसको करके बिजली की रोस्टरिंग करके विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप के दिला सकें । यहां पर बहुत से स्थानों से मांग आयी, हमारे सभी माननीय विधायकों ने दिया है चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने इस बात को कहा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिये बिजली की आवश्यकता है, जिससे खेत को अन्तिम पानी उपलब्ध कराया जा सके । इसलिये यह निर्णय लिया गया कि 5 घन्टे की विद्युत् आपूर्ति जो कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर आज से ही 7 घन्टे कर दिया गया है ।

छात्रों को किसी प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में कठिनाई न हो इसलिये जो बड़े-बड़े उद्योग हैं जैसे फर्टीलाइजसं हैं, आई0 डी0 पी0 एल0 हैं, सीमेन्ट का कारखाना है, आर्क फरनेसेज हैं, उसमें शत-प्रतिशत कटौती लगा दी है और जो 6 मि0 यूनिट अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध रहेगी, उसे शहरों और छोटे कस्बों तक पहुंचायेंगे जिससे बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को कठिनाई न हो । बड़े शहरों की विद्युत् कटौती 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे कर दी है, जहां 4 घंटे थी वहां पर 3 घंटे कर दी है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर 5 घंटे के बजाय 4 घंटे कर दी है । इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है । आज सूचना मिली है, रिपोर्ट मांगी थी, बताते हुए प्रसन्नता है कि "इमरजेंसी रोस्टरिंग" बहुत ही कम हुई है ।

और पूरे शहरों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है ।

श्री मता प्रसाद पान्डेय—

माननीय, जो जानकारी पूछी गयी है ये दे ही नहीं रहे हैं ।

श्री सुनील शास्त्री—

मैं बतला तो रहा हूं कि आज की तारीख से यह आपूर्ति बढ़ायी गयी है । अब माननीय पान्डेय जी जब बस्ती जायेंगे

तो इन्हें पता चलेगा कि बिजली की आपूर्ति बढ़ा दी गयी है ।

जल विद्युत् की जो हमारी परियोजनाएं हैं उनमें इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जो मशीनें खराब हैं उन्हें तुरन्त सही किया जाय क्योंकि जो पानी नदियों में उपलब्ध है तो उससे पूरी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सके ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ऊर्जा मंत्री, क्योंकि आपका स्टेटमेन्ट आ गया है, केवल आपको स्पष्टीकरण का जवाब देना है, यह चर्चा का विषय नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि लिफ्ट कैनाल, सरकारी नलकूपों और निजी नलकूपों में कितनी बिजली की आवश्यकता है ? मंत्री जी ने इसका तो उत्तर दिया नहीं अब आप चाहे साढ़े घंटे बिजली दें तुरन्त रबी की फसल को आप बचा नहीं पायेंगे ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में चाहे वे सरकारी नलकूप हों, चाहे निजी नलकूप हों, सिंचाई के साधनों के लिये जितनी मात्रा में बिजली दी जा रही थी उसमें बढ़ोत्तरी करके अब 5 घंटे से उसे 7 घंटे के लिये कर दिया गया है ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, यदि इनके पास हमारे प्रश्न की सूचना नहीं है, तो कह दें ।

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने तो स्पष्ट रूप से बतलाया है कि 63 मिलियन यूनिट की मांग है जिसमें 45 मिलियन यूनिट बिजली कटौती के बाद रखी गयी है हमने इसी कारण से बड़े-बड़े उद्योगों में बिजली की कटौती करके कृषि के लिये बिजली का आपूर्ति को बढ़ाया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि लिफ्ट कैनाल, सरकारी और निजी नलकूपों के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता होगी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, यदि आपके पास ब्रेक अप हों तो आप उन्हें बतला दें अन्यथा न हो तो कह दें ।

श्री सुनील शास्त्री--

इसके लिये 17 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है और हम दे रहे थे अभी तक 16 मिलियन यूनिट अब हमने अतिरिक्त कटौती करके इस बात को सुनिश्चित कर लिया है कि उन्हें 17 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की जाय ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर, पहले आप माननीय सदस्य को संसदीय परम्पराओं से अवगत करा दें ।

(श्री हरदेव के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, आप अपने मंत्री जी का संरक्षण करें, आप क्यों बीच में खड़े हुए हैं, आप बैठ जाइये ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कुल बिजली 63 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर 63 मिलियन यूनिट उत्पादन होने लगे तो क्या सारे प्रदेश

की चाहे उद्योग हों, कृषि हों या उपभोक्ता सब की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री---

जी हां, मान्यवर, यह तो मैंने कहा कि जब 63 मिलियन यूनिट की जो मांग है वह पूरी हो जायेगी, उतना उत्पादन हो जायेगा तो आवश्यकता पूरी हो जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश----

मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला यह कि रिहैन्ड का जलस्तर कितना हो गया है ? दूसरा यह कि क्या रायबरेली, अमेठी, नैनीताल और लखनऊ में अभी तक कोई कटौती नहीं हुई है और बाकी जिलों में चाहे वह प्रथम श्रेणी के हों या दूसरी श्रेणी के उनमें कटौती की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, यह निर्णय बहुत पहले का है कि बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की विद्युत् कटौती नहीं होगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि इन चार जिलों में नैनीताल, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ में विद्युत् कटौती है या नहीं ? मैं किसी पिछड़े हुये जिले, मंडल या देश की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

आपने सवाल पूछा है उनका उत्तर आने दीजिये ।

श्री सुनील शास्त्री---

माननीय सदस्य को मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल भी आता है । अन्य क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति उसी प्रकार की जा रही है

(व्यवधान)

अन्य क्षेत्रों में जिनका उन्होंने जिक्र किया उसमें जहां तक लखनऊ की बात है यह कारपोरेशन टाऊन है अन्य कारपोरेशन टाउन में दो-दो तीन-तीन घंटे कटौती की जा रही है । लखनऊ में चूंकि माननीय सदस्य जानते हैं, इस समय विधान सभा चल रही है और विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए यह किया है लेकिन आज से ही यहां पर कटौती का निर्णय कर लिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इनमें कटौती आज तक की जा रही है या नहीं यह बात साफ आनी चाहिये । मैंने चार जिलों की बात कही है, स्पष्ट बताइये घुमा फिराकर बात न करें ।

श्री सुनील शास्त्री---

लखनऊ शहर में कटौती नहीं है बाकी लखनऊ जिले में कटौती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मैं इस तरह से नहीं बैठूंगा । चाहे मुख्य मन्त्री हों, चाहे राजीव गांधी हों, चाई कोई हों, मैं इस तरह से बैठने वाला नहीं हूं ।

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, इसमें मेरी आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश---

आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं

(व्यवधान)

मैं डरने वाला नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप स्पष्टीकरण करें, किसी को आरोपित न करें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश---

चाहे सदन चले या न चले, लेकिन मेरे सवालों का ठीक से जवाब आना चाहिये । आपकी ओर से मन्त्री जी को निर्देश हो कि जो स्पष्टीकरण में प्रश्न पूछा जाय, उसका स्पष्ट जवाब आना चाहिये ।

(व्यवधान)

मैं गलत बात नहीं बरदाश्त कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

श्री शतरुद्र प्रकाश जी, आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं । व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । आप बैठ जायं ।

माननीय सदस्य आप अपने स्पष्टीकरण में सवाल कर सकते हैं । श्री शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि मेरे निश्चित सवाल में निश्चित जवाब आये । तो कोई मन्त्री के लिए आप नहीं कह सकते कि इस प्रकार का उत्तर दें । आपका प्रश्न हुआ, उन्होंने उसका उत्तर दिया । आप उत्तर से सहमत हों या न हों । यह अलग बात है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

उत्तर तो दिया नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि आप अगला प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं ।

(खड़े न होने पर)

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 में यह परम्परा रही है कि जो वक्तव्य आता है उस पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है और माननीय सदस्य उस पर स्पष्टीकरण मांगते हैं । मन्त्री उसका जवाब देते हैं । यदि माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो आपकी पीठ से कहा जाता है कि उत्तर दें । माननीय सदस्य यदि उससे कहीं परे जाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर चाहते हैं तो आप उसका उत्तर न दिलायें लेकिन जो वक्तव्य में मन्त्री जी ने कहा है उसमें साफ लिखा है कि "नगरों एवं उद्योगों को आवश्यकतानुसार आकस्मिक कटौती करके पूरा किया जा रहा है" । तो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किन-किन नगरों से कटौती की, तो इसका स्पष्ट उत्तर मन्त्री जी को देना चाहिये ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नैनीताल, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में बिजली की कटौती की गयी है कि नहीं ? हां और न में उत्तर दिला दें ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय, आपका संरक्षण चाहते हुये नियम 56 के अन्तर्गत यह विषय है । इसमें वाद-विवाद प्रतियोगिता नहीं है । माननीय, स्पष्टीकरण के रूप में प्रश्न किये जा सकते हैं, उनकी भी सीमा है । आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी मन्त्री को या सदस्य को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि हां या न में जवाब दें । प्रश्न करने का आपको अधिकार है और उत्तर मन्त्री को देने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कुछ कहने पर)

आप गुस्से में बात न करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि स्पष्टीकरण की भी कोई सीमा होती है। इसके पहले भी नियम 56 में एक-दो स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं लेकिन इसमें तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी गयी। इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। आप लोग शान्त रहें और आपस में बात न करें।

श्री किरनपाल सिंह--

मैं आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या प्रदेश के अन्दर अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और नैनीताल

(व्यवधान)

जिलों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ?

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, अमेठी कोई जिला नहीं है, प्रश्न जिले का करना है।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

क्षेत्र तो है, जिला नहीं कहा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इलाहाबाद में है रीजा में नहीं है, सुल्तानपुर में है, लेकिन अमेठी में नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्यों नहीं है ? यह आप बताइये ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, इसका स्पष्टीकरण पहले मन्त्री जी कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं फिर कहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में कटौती है, लेकिन मेजा में नहीं है, उसी प्रकार सुल्तानपुर में कटौती है, पर अमेठी में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब स्पष्टीकरण इस पर काफी हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि इसको खत्म किया जाये।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं मन्त्री जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप लिफ्ट कैनाल के लिए अपनी व्यवस्था कर देंगे कि उनको 18-20 घंटे बिजली मिलेगी क्योंकि यदि उनको इतने समय बिजली नहीं मिलेगी, तो नहरों में पानी नहीं आ पायेगा, क्या इसकी व्यवस्था की घोषणा आप यहां पर आज करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जितने भी पम्प कैनाल्स स्वतन्त्र फीडर्स पर हैं, उनको हम 18-20 घंटे कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

21 मार्च, 1985

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 15 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रसर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियय बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1985, कहा जायगा ।

(2) धारा 2, दस अक्तूबर, 1984 को और धारा 3, इकतिस दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 में नयी धारा 31-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

"31-क—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसे विहित की जाय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा ।

मूल अधिनियम की धारा 50 में, धारा 50 का संशोधन

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, सन् 1984 और संख्या 28, सन् 1984

4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

पी० एस० यू० पी०--10 एल० ए०--11-4-85--813--(पी० डी०)